


सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2018-19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड सरकार

# विनियोग लेखे

**2018–19**

**झारखण्ड सरकार**



## विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
● विषय सूची	i-ii
● प्रस्तावना	iii
● विनियोग लेखे का सारांश	iv - xvi
● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र विनियोग लेखे-	xvii - xviii
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1-23
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	24-35
3. भवन निर्माण विभाग	36-41
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	42-45
5. राज्यपाल सचिवालय	46-48
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	49-50
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	51
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	52-55
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	56-61
10. ऊर्जा विभाग	62-67
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	68-69
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	70-75
13. ब्याज संदाय	76-79
14. ऋण की वापसी/अदायगी	80-83
15. पेंशन	84-86
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	87
17. वाणिज्यकर विभाग	88-89
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	90-105
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	106-118
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	119-139
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	140-145
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	146-157
23. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	158-171
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	172-174
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	175
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	176-191
27. विधि विभाग	192-193
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	194
29. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)	195-197

30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	198-202
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	203
32. विधान सभा	204-205
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	206
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	207
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	208-212
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	213-218
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	219
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	220-221
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	222-229
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	230-234
41. पथ निर्माण विभाग	235-241
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	242-257
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	258-261
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	262
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	263-265
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	266-268
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	269-272
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	273-284
49. जल संसाधन विभाग	285-295
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	296-301
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	302-318
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	319-326
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	327-332
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	333-340
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	341-346
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	347-353
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	354-355
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	356-368
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	369-379
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग परिशिष्ट	380-406 407

## प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	16,01,20,60	3,43,00,82	7,53,41,50	2,60,41,37
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	3,89,13,58	30,45,00	1,70,98,43	8,96,95
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,34,01,06	5,48,17,00	92,67,46	4,03,64,88
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	62,74,62	00	49,28,64	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	12,44,17	00	9,85,76	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	1,12,07,99	00	1,02,62,06	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	29,08,18	00	28,83,40	00
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	27,48,82	1,19,00,00	18,77,52	12,97,38
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	2,41,07,94	1,75,00,00	1,60,05,26	65,60,35
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	42,06,47,83	18,90,41,00	27,42,11,01	14,13,09,00
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	28,33,35	5,00,00	23,50,56	3,00,00

सारांश			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

8,47,79,10	82,59,45	00	00
2,18,15,15	21,48,05	00	00
41,33,60	1,44,52,12	00	00
13,45,98	00	00	00
2,58,41	00	00	00
9,45,93	00	00	00
24,78	00	00	00
8,71,30	1,06,02,62	00	00
81,02,68	1,09,39,65	00	00
14,64,36,82	4,77,32,00	00	00
4,82,79	2,00,00	00	00



विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)				
दत्तमत	64,17,41	69,00,00	48,39,20	47,33,14
13. ब्याज संदाय				
प्रभारित	56,33,04,03	00	48,51,97,39	00
14. ऋण की वापसी/आदायगी				
प्रभारित	2,55,00,00	35,05,55,79	00	30,60,09,66
15. पेंशन				
दत्तमत	60,79,51,74	00	59,91,48,31	00
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)				
दत्तमत	3,35,61	00	2,91,50	00
17. वाणिज्यकर विभाग				
दत्तमत	1,05,97,33	32,11	86,30,84	32,11
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग				
दत्तमत	13,75,70,09	34,50,00	10,27,00,42	3,85,62
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	7,70,39,08	00	5,25,07,11	00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
दत्तमत	38,81,12,09	4,68,76,81	31,09,16,41	2,73,38,79
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	12,46,69,47	00	9,02,25,72	00
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	48,82,38,46	5,36,77,02	46,95,34,55	4,66,87,84

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

15,78,21	21,66,86	00	00
7,81,06,64	00	00	00
2,55,00,00	4,45,46,13	00	00
88,03,43	00	00	00
44,11	00	00	00
19,66,49	00	00	00
3,48,69,67	30,64,38	00	00
2,45,31,97	00	00	00
7,71,95,68	1,95,38,02	00	00
3,44,43,75	00	00	00
1,87,03,91	69,89,18	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
23. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)				
दत्तमत	4,58,93,89	11,50,00	3,08,08,92	6,50,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	1,70,94,83	14,10,00	1,57,94,02	12,83,21
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	1,10,00	00	98,80	00
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग				
दत्तमत	2,45,19,42	1,00,51,56	1,66,63,05	13,21,27
27. विधि विभाग				
दत्तमत	4,04,07,51	00	3,50,94,30	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	98,87,83	00	89,72,44	00
29. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)				
दत्तमत	83,45,24	75,00	41,86,33	00
30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	2,67,32	95,99,67	1,99,35	60,73,85
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,45,37	00	98,69	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	97,22,73	00	88,50,19	00
प्रभारित	64,96	00	58,67	00
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	30,96,29	00	26,59,19	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1,50,84,97	5,00,00	00	00
13,00,81	1,26,79	00	00
11,20	00	00	00
78,56,37	87,30,29	00	00
53,13,21	00	00	00
9,15,39	00	00	00
41,58,91	75,00	00	00
67,97	35,25,82	00	00
46,68	00	00	00
8,72,54	00	00	00
6,29	00	00	00
4,37,10	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	12,63,59	00	9,80,17	00
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) दत्तमत	8,86,46,02	5,79	5,59,87,30	00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत	18,20,13,38	5,19,10,00	13,65,17,88	4,00,12,51
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) दत्तमत	24,97,71	00	23,72,50	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) दत्तमत	27,41,62	00	22,08,12	00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दत्तमत	9,08,13,65	00	4,70,32,67	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) दत्तमत	6,03,53,31	56,13,76	4,82,24,55	52,79,30
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत	4,59,91,78	40,00,00,00	2,55,27,89	38,43,01,42
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) दत्तमत	62,73,10,28	5,54,82,35	41,88,42,05	5,19,71,59
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) दत्तमत	5,34,10,45	3,23,95,00	3,63,66,61	3,08,11,02

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

2,83,42	00	00	00
3,26,58,72	5,79	00	00
4,54,95,50	1,18,97,49	00	00
1,25,21	00	00	00
5,33,50	00	00	00
4,37,80,98	00	00	00
1,21,28,76	3,34,46	00	00
2,04,63,89	1,56,98,58	00	00
20,84,68,23	35,10,76	00	00
1,70,43,84	15,83,98	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दत्तमत	7,58,87	00	6,78,20	00
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग दत्तमत	1,81,53,61	16,00,00	1,32,97,61	12,50,00
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) दत्तमत	54,19,14	1,10,60,00	49,34,77	99,36,97
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) दत्तमत	1,48,34,70	22,22,00	1,38,90,10	14,55,57
48. नगर विकास एवं अवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) दत्तमत	32,04,21,63	65,72,13	19,20,99,50	53,23,24
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	4,13,42,19	18,97,65,00	3,23,78,55	11,64,49,60
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) दत्तमत	1,13,88,77	5,33,90,00	83,39,04	3,11,96,31
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग) दत्तमत	17,69,90,71	3,80,77,00	11,51,35,84	3,33,84,90
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) दत्तमत	82,62,75	49,20,00	64,60,08	35,77,37
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) दत्तमत	82,91,67	62,28,00	53,76,32	51,49,30
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) दत्तमत	3,19,43,71	9,20,00	1,42,99,49	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

80,67	00	00	00
48,56,00	3,50,00	00	00
4,84,37	11,23,03	00	00
9,44,60	7,66,43	00	00
12,83,22,13	12,48,89	00	00
89,63,64	7,33,15,40	00	00
30,49,73	21,93,69	00	00
6,18,54,87	46,92,10	00	00
18,02,67	13,42,63	00	00
29,15,35	10,78,70	00	00
1,76,44,22	9,20,00	00	00



विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) दत्तमत	24,54,05,17	21,70,80,00	23,82,27,59	19,41,16,07
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) दत्तमत	17,43,93,13	6,00,00	8,72,87,50	2,39,30
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) दत्तमत	13,25,48	20,00,00	12,19,07	00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	16,81,44,41	56,07,23	9,65,16,87	00
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	71,92,62,09	00	54,20,88,62	00
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग दत्तमत	35,60,16,10	39,56,51	25,82,92,00	00
कुल दत्तमत	6,12,98,30,18	1,53,37,30,76	4,57,10,73,46	1,21,97,30,23
कुल प्रभारित	60,12,64,58	35,05,55,79	49,61,94,43	30,60,09,66
कुल जोड़	6,73,10,94,76	1,88,42,86,55	5,06,72,67,89	1,52,57,39,89

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
71,77,58	2,29,63,93	00	00
8,71,05,63	3,60,70	00	00
1,06,41	20,00,00	00	00
7,16,27,54	56,07,23	00	00
17,71,73,47	00	00	00
9,77,24,10	39,56,51	00	00
1,55,87,56,72	31,40,00,53	00	00
10,50,70,15	4,45,46,13	00	00
1,66,38,26,87	35,85,46,66	00	00

## विनियोग लेखे का सरांश-क्रमांत

वर्ष 2018-2019 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	4,57,10,73,46	1,21,97,30,23	49,61,94,43	30,60,09,66
घटाएँ -				
कुल वसूलियाँ	41,95,00	00	00	00
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।	4,56,68,78,46	1,21,97,30,23	49,61,94,43	30,60,09,66

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर अधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित



विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं का सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

### अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों/मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।


1. वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य विधानमंडल के द्वारा कुल अनुदान अथवा विनियोग तथा व्यय के मध्य महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं, जिसके परिणामस्वरूप पाँच अनुदानों (1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, 42- ग्रामीण विकास, 51- कल्याण, 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा) के अन्तर्गत ₹ 6,504.19 करोड़ की बचत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, इन अनुदानों के अन्तर्गत विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक में से कम से कम ₹ 4,853.98 करोड़ की कुल बचत हुई थी।

2. ₹ 3,015.37 करोड़ की राशि, जो कि वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक से सम्बंधित है, को अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण किया गया, का राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिक अनुदानों के विनियमितकरण के लिए प्रदत्त है। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की पद्धति को निष्फल करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है।

दिनांक : 5 अगस्त, 2020

नई दिल्ली

  
(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



## अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,83,71,55	16,01,20,60	7,53,41,50	(-)8,47,79,10
अनुपूरक	1,17,49,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

7,28,69,70

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,39,00,00	3,43,00,82	2,60,41,37	(-)82,59,45
अनुपूरक	4,00,82			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

75,58,62

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 8,47,79.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 26,06.96 लाख), दिसंबर 2018 (₹ 34,41.05 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 57,01.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,17,49.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,28,69.70 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,47,79.10 लाख) से ₹1,19,09.40 लाख कम था।



**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2402-00.102.11 - जल निधि (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 2,26.96 लाख, की बचत जो कि ₹ 30,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	1,89.60	1,89.60	0.00	₹1,70.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.40				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	1,08.00	1,08.00	0.00	₹1,32.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.00				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	3,50.17	3,50.17	0.00	₹11,42.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,13.00				
	पुनर्वि.	(-)11,42.83				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,20.00	2,47.02	2,47.02	0.00	₹7,47.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,75.00				
	पुनर्वि.	(-)7,47.98				
2401-00.102.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	9,60.00	7,32.08	6,79.78	(-)52.30	₹2,27.92 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹52.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,27.92				
2401-00.102.AU- कन्वर्सन ऑफ फैलो लैंड इंटू क्रॉपड एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,62.40	4,05.35	(-)1,57.05	₹37.60 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹1,57.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है(सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.60				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102. AW- बीज विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	11,16.37	10,70.00	(-)46.37	₹3,83.63 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 46.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,83.63				
2401-00.102.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,60.00	5,05.90	4,72.63	(-)33.27	₹1,54.10 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 33.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.10				
2401-00.102.01- बीज संवर्धन फार्म (स्थापना व्यय)	मूल	4,71.90	3,83.93	3,83.93	0.00	₹92.97 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)92.97				
2401-00.104.BB- मधुमक्खी पालन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	00.00	3,00.00	2,64.25	(-)35.75	₹35.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.105.01- कम्पोस्ट खाद योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,23.74	93.87	93.87	0.00	₹34.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)34.87				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम राज्यांश)	मूल	2,52.00	8.43	8.43	0.00	₹2,43.57 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,43.57				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,68.00	5.90	5.90	0.00	₹1,62.10 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,62.10				
2401-00.105.B2- जैविक प्रमाणिकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	19,50.00	15,40.19	15,40.19	0.00	₹4,09.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,09.81				
2401-00.107.09- पौधा संरक्षण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	8,71.15	7,61.97	7,61.97	0.00	₹1,15.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.18				
2401-00.108.AY- कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.108.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	8,38.21	8,38.21	0.00	₹3,61.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.79				
2401-00.109.01- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	72,01.86	60,37.96	60,40.37	+2.41	₹12,25.53 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	64.04				
	पुनर्वि.	(-)12,27.94				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.08- क्षेत्र परीक्षात्मक सेवा की योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,71.10	1,00.90	1,00.90	0.00	₹75.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.20				
	पुनर्वि.	(-)75.40				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,30.00	5,71.86	5,71.86	0.00	₹5,21.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,63.00				
	पुनर्वि.	(-)5,21.14				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,20.00	3,85.96	3,76.93	(-) 9.00	₹ 3,98.07 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹9.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,64.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.07				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,20.00	3,05.48	3,05.48	0.00	₹5,64.52 लाख की प्रत्याशित प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)5,64.52				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,80.00	5,21.37	5,21.37	0.00	₹ 9,70.63 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,12.00				
	पुनर्वि.	(-)9,70.63				
2401-00.113.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,45.20	3,38.23	(-)6.97	₹1,94.80 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹6.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,40.00				
	पुनर्वि.	(-)1,94.80				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.BO- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	7,80.00	3,41.22	3,41.22	0.00	₹4,38.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,38.78				
2401-00.113.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	54,00.00	24,11.36	15,11.36	(-)9,00.00	₹29,88.64 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹9,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)29,88.64				
2401-00.119.05- सब्जी विकास योजना (रोग मुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (स्थापना व्यय)	मूल	2,44.55	1,71.89	1,71.89	0.00	₹72.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.66				
2401-00.119.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	5,99.66	5,99.66	0.00	₹2,00.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.34				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,50.00	2.22	2.22	0.00	₹4,47.78 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,47.78				
2401-00.789.28- राज्य बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	1.48	1.48	0.00	₹2,98.52 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,98.52				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,10.00	1,28.54	1,28.54	0.00	₹1,45.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	64.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.46				
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,40.00	98.27	98.27	0.00	₹97.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	56.00				
	पुनर्वि.	(-)97.73				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20.00	48.11	48.11	0.00	₹71.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.89				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	30.15	29.50	(-)0.65	₹50.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.85				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	62.15	62.15	0.00	₹12,60.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	9,63.00				
	पुनर्वि.	(-)12,60.85				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	39.43	39.43	0.00	₹8,42.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6,42.00				
	पुनर्वि.	(-)8,42.57				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789. AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,40.00	1,37.71	1,37.71	0.00	₹13,02.29 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,02.29				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,60.00	5,65.41	1,00.10	(-)4,65.31	₹3,94.50 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹4,65,31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,94.59				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,40.00	2,41.20	2,41.20	0.00	₹3,48.80 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,50.00				
	पुनर्वि.	(-)3,48.80				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृष सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,60.00	2,98.11	2,98.11	0.00	₹10,21.89 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	9,60.00				
	पुनर्वि.	(-)10,21.89				
2401-00.789.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	3,20.00	1,74.83	1,39.97	(-)34.86	₹1,45.17 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹34.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.17				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	84.00	1.40	1.40	0.00	₹82.60 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.60				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	56.00	1.91	1.91	0.00	₹54.09 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.09				
2401-00.789.AW- बीज विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,87.49	1,71.84	(-)15.65	₹3,12.51 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹15.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,12.51				
2401-00.789.AX- कृषि मेला कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादी (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,23.02	1,21.80	(-)1.22	₹56.98 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹1.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)56.98				
2401-00.789.AY- कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	50.00	50.00	0.00	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.789.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	1,19.09	90.51	(-)28.58	₹1,00.91 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 28.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.91				



अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूशन (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	77.43	77.43	0.00	₹1,82.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,82.57				
2401-00.789.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,92.21	2,92.21	0.00	₹1,07.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.79				
2401-00.789.B2- जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	4,91.35	4,91.35	0.00	₹1,58.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.65				
2401-00.789.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	6,25.64	3,25.64	(-)3,00.00	₹11,74.36 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 3,00.00 लाख की की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,74.36				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	27,00.00	2,65.67	2,96.42	+30.75	₹24,34.33 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹30.75 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,34.33				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,00.00	1,77.10	1,77.10	0.00	₹16,22.90 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,22.90				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,60.00	8,74.54	8,74.54	0.00	₹4,91.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,06.00				
	पुनर्वि.	(-)4,91.46				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,40.00	7,23.24	7,23.24	0.00	₹2,56.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,40.00				
	पुनर्वि.	(-)2,56.76				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,20.00	1,41.00	1,41.00	0.00	₹5,79.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,79.00				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,80.00	4,06.98	1,07.63	(-) 2,99.35	₹73.02 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹2,99.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.02				
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	21,60.00	10,99.64	10,99.64	(-)0.00	₹24,35.36 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	13,75.00				
	पुनर्वि.	(-)24,35.36				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	14,40.00	7,49.85	7,49.85	0.00	₹16,07.15 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	9,17.00				
	पुनर्वि.	(-)16,07.15				
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,08.00	76.70	76.70	0.00	₹49.30 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	(-)49.30				
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	72.00	44.27	44.27	0.00	₹39.73 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)39.73				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	86,40.00	10,34.69	10,34.69	0.00	₹76,05.31 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76,05.31				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	57,60.00	34,66.00	6,78.96	(-)27,87.04	₹22,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹27,87.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,94.00				
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,40.00	7,15.61	7,15.61	0.00	₹7,45.39 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	21.00				
	पुनर्वि.	(-)7,45.39				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	21,60.00	13,36.00	13,36.00	0.00	₹19,39.00 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	11,15.00				
	पुनर्वि.	(-)19,39.00				
2401-00.796.AJ- क्रॉपिंग राइस फ़ैलो योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,20.00	11,01.99	8,53.67	(-)2,48.32	₹ 8,18.01 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,48.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,18.01				
2401-00.796.AU- कन्वर्सन ऑफ़ फ़ैलो लैण्ड इन्टू क्रॉप एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	10,61.02	5,49.32	(-)5,11.70	₹1,38.98 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹5,11.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,38.98				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ़ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,04.00	21.44	21.44	0.00	₹4,82.56 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,82.56				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ़ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,36.00	13.44	13.44	0.00	₹3,22.56 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,22.56				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AW- बीज, विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	21,57.51	12,19.52	(-) 9,37.99	₹8,42.49 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹9,37.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,42.49				
2401-00.796.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	7,48.98	7,46.54	(-)2.44	₹3,31.02 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹2.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,80.00				
	पुनर्वि.	(-)3,31.02				
2401-00.796.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,20.00	11,00.19	9,74.12	(-)1,26.07	₹2,19.81 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹1,26.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,19.81				
2401-00.796.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	15,60.00	3,57.02	3,57.02	0.00	₹12.02.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,02.98				
2401-00.796.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	18,21.82	18,21.82	0.00	₹5,78.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,78.18				
2401-00.796.B2- जैविक प्रमानिकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	39,00.00	31,55.80	31,55.80	+ 0.00	₹7,44.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,44.20				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.B3- इंटरैस्ट सबभेसन (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	10,20.07	1,41.67	(-)8,78.40	₹13,79.93 लाख की की प्रत्याशित बचत एवं ₹8,78.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,79.93				
2401-00.796.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,08,00.00	49,03.20	31,03.20	(-)18,00.00	₹58,96.80 लाख की प्रत्याशित एवं ₹18,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58,96.80				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	43,20.00	8,15.76	8,15.76	0.00	₹35,04.24 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,04.24				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	28,80.00	19,28.23	5,27.50	(-)14,00.73	₹9,51.77 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹14,00.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,51.77				
2401-00.102.04- क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	13,77.04	9,61.85	9,60.96	(-)0.89	₹4,99.17 लाख की प्रत्याशित बचत ₹0.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	83.98				
	पुनर्वि.	(-)4,99.17				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2402-00.796.11- जल निधि (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	53,43.78	53,43.78	0.00	₹ 6,56.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,56.22				
2415-01.004.02- मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (स्थापना व्यय)	मूल	1,21.62	43.35	43.35	0.00	₹78.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.27				
2415-01.277.02- प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (स्थापना व्यय)	मूल	1,94.96	1,45.61	1,45.61	0.00	₹49.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.35				
2415-80.796.17 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,47.00	1,47.00	0.00	₹1,53.00 की प्रत्याशित बचत रामकृष्ण मिशन मोराबादी, राँची, झारखण्ड द्वारा द्वितीय किस्त की राशि की मांग नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.00				
2415-01.102.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	47.08	47.08	0.00	₹42.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.92				
2435-01.796.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	94.28	1,27.48	+33.20	₹85.72 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹33.20 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.72				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2435-01.796.11- मिट्टी जाँच से सम्बन्धित भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	3,98.40	3,57.75	(-)40.65	₹40.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,98.40				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,16.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹2,16.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,16.00				
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,44.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹1,44.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.00				
2401-00.105.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	कृषि निदेशालय के प्रस्तावानुसार इस मद में राशि व्यय नहीं होने के कारण ₹6,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2401-00.105.B8- स्वॉयल हेल्थ किट तथा रिफिल (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹9,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,50.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹13,50.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,50.00				



**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹9,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹90.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2401-00.115.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेलपलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2401-00.195.B3- इंटरैस्ट सबभेंसन (राज्य स्कीम)	मूल	12.00.00	5,98.56	0.00	(-)5,98.56	₹ 12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 6,01.44				
2401-00.789.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 72.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 48.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2401-00.789.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2401-00.789.B3- इंटरैस्ट सबर्सेसन (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,19.84	0.00	(-) 1,19.84	₹4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.16				
2401-00.789.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	कृषि निदेशालय के प्रस्तावानुसार इस मद में राशि व्यय नहीं होने के कारण ₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2401-00.789.B8- स्वॉयल हेल्थ किट तथा रिफिल (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2401-00.789.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेल्पलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,32.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹4,32.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,32.00				
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,88.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,88.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,88.00				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹1,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के. प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹1,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2401-00.796.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	कृषि निदेशालय के प्रस्तावानुसार इस मद में राशि व्यय नहीं होने के कारण ₹12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2401-00.796.B8- स्वॉयल हेल्थ किट तथा रिफिल (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹18,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेल्पलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹82,59.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹4,00.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹75,58.62 लाख), अंतिम बचत (₹82,59.45 लाख) से ₹7,00.83 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4402-00.203.01-बंजर भूमि/राइस फ़ैलो विकास योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹8,88.01 लाख की बचत, जो कि ₹90,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4402-00.203.02- वर्षा जल संचयन इकाई -डोभा (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	4,48.31	4,48.31	0.00	₹4,02.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,00.82				
	पुनर्वि.	(-)4,02.51				
4402-00.789.01- बंजर भूमि एवं राइस फ़ैलो विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	23,35.00	23,35.00	0.00	₹6,65.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,65.00				
4402-00.789.02- वर्षा जल संचयन इकाई -डोभा (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,08.60	24.12	(-) 84.48	₹41.40 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹84.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.40				

**अनुदान संख्या-1 क्रमशः**

4402-00.789.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,80,00.00	1,48,36.10	1,48,36.00	0.00	₹31,63.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-31,63.90)				
4402-00.789.02- वर्षा जल संचयन इकाई -डोभा (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	6,02.19	2,85.84	(-)3,16.35	₹2,97.81 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹3,16.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-2,97.81)				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4401-00.101.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	7,20.00	90.00	0.00	(-)90.00	₹6,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई। ₹90.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,30.00				
4401-00.789.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹2,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई। ₹30.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,10.00				

**अनुदान संख्या-1 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.796.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	14,40.00	1,80.00	0.00	(-)1,80.00	₹12,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई। ₹1,80,.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,60.00				

**अनुदान संख्या 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
( पशुपालन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2403-पशुपालन, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत्त :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	3,67,90,45	3,89,13,58	1,70,98,43	(-)2,18,15,15
अनुपूरक	21,23,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,14,75,75

पूंजी:

दत्तमत्त:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	30,45,00	30,45,00	8,96,95	(-)21,48,05
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

21,48,05

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 2,18,15.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,25.88 लाख) एवं दिसम्बर 2018 में (₹ 19,97.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,23.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,14,75.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,18,15.15 लाख) से ₹ 3,39.40 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2403-00.001.01- अधीक्षण जिला प्रभार (स्थापना व्यय) एवं 2403-00.101.03 - अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 7,62.24 लाख एवं ₹ 3,88.17 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 13,65.19 लाख एवं ₹ 84,96.89 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001.03- निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	2,49.00	60.16	60.16	0.00	₹ 1,88.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,88.84				
2403-00.001.04- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	29.19	29.19	0.00	₹ 70.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.81				
2403-00.101.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	6,20.13	2,66.28	2,66.28	0.00	₹ 3,53.72 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,53.72				
2403-00.101.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	6.55	6.55	0.00	₹ 33.45 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.45				
2403-00.101.30- इपिडेमिओलौजिकल एवं अनुश्रवण कोषांग (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	32.46	32.46	0.00	₹ 2,17.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,17.54				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36.00	54.57	54.57	0.00	₹ 61.61 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के संचालन में विलम्ब तथा योजना के संचालित भाग की राशि की निकासी नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	80.18				
	पुनर्वि.	(-)61.61				



**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	24.00	8.23	8.23	0.00	₹ 69.22 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के संचालन में विलम्ब तथा योजना के संचालित भाग की राशि की निकासी नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	53.45				
	पुनर्वि.	(-)69.22				
2403-00.101.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अन्तर्गत (एल.एच. एन.डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	4,10.80	4,10.80	0.00	₹ 1,89.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,89.20				
2403-00.101.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अन्तर्गत (एल.एच. एन.डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,00.00	2,65.43	2,65.43	0.00	₹ 1,34.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.57				
2403-00.101.99- सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास / वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	64,10.00	1,67.44	1,67.44	0.00	₹ 62,42.56 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित करने तथा आचार संहिता लागू होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62,42.56				
2403-00.101.A0- विशेष पशु चिकित्सा शिविर (राज्य स्कीम)	मूल	1,45.00	97.62	97.62	0.00	₹ 47.38 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययित के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.38				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.102.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	21.97	21.97	0.00	₹ 26.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.03				
2403-00.106.37- अन्य पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	3,15.00	1,55.48	1,55.48	0.00	₹ 1,59.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.32				
2403-00.109.34 - प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.10	0.10	0.00	₹ 69.90 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.90				
2403-00.109.86- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,95.00	76.67	76.67	0.00	₹ 1,18.33 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.33				
2403-00.789.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	4.84	4.84	0.00	₹ 27.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.16				
2403-00.789.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अर्न्तगत (एल.एच. एण्ड डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,15.00	0.69	(-) 1,14.31	₹ 1,14.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,15.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अर्न्तगत (एल.एच. एण्ड डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	76.66	15.36	(-) 61.30	₹ 61.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	76.66				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.789.99- सूकर विकास/ बकरा विकास/ ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/ वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/ कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	24,70.00	40.94	40.94	0.00	₹ 24,29.06 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित करने तथा आचार संहिता लागू होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,29.06				
2403-00.796.03- निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	60.53	60.53	0.00	₹ 1,39.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.47				
2403-00.796.24- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,13.00	2,72.68	2,72.68	0.00	₹ 2,40.32 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.32				
2403-00.796.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,60.00	58.89	58.89	0.00	₹ 1,01.11 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.11				
2403-00.796.37- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	5,85.00	3,81.83	3,81.83	0.00	₹ 2,03.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.17				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.99- सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/ वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	36,75.00	27.76	27.76	0.00	₹ 36,47.24 लाख की प्रत्याशित बचत लाभकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित करने तथा आचार संहिता लागू होने कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,47.24				
2403-00.796.A0- विशेष पशु चिकित्सा शिविर (राज्य स्कीम)	मूल	1,05.00	63.10	63.10	0.00	₹ 41.90 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.90				
3454-01.001.03- पशुगणना (CSS)	मूल	4,25.00	37.27	37.27	0.00	₹ 3,87.73 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,87.73				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2403-00.101.A1- संक्रमक पशु रोग नियंत्रण हेतु एम्बयुलेटी मेन की सुविधा (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.102.36- जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	0.00	0.00	0.00	राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 2,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,75.00				
2403-00.102.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टीविटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.102.93- खाद्य चारा मशीन का आधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	75.00	0.00	(-) 75.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	75.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.103.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स (पी.पी.प्लान्ट एल.आई.टी. बर्ड्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.103.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स (आई.पी. पी.पी. फॉर एल आई.टी.बर्ड्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	योजना का संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.106.A2 - कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	15,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,50.00				
2403-00.109.33 - पारा भेट प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं हो पाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2403-00.789.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलौजी बड्स (आई.पी. पी.पी. फॉर एल आई.टी.बड्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बड्स (आई.पी. पी.पी. फॉर एल आई.टी. बड्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	योजना के संचालन के लिए लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				

**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.A2- कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.40	0.00	0.00	0.00	₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,50.00				
2403-00.796.04- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजनो के संचालन के लिए लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2403-00.796.84- इंटरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलेपमेंट (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	पूर्व में आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण राशि आवंटित नहीं की गई जिसके कारण ₹ 12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2403-00.796.93- चारा मशीन का अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	50.00	0.00	(-)50.00	योजना के संचालन के लिए लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.A2- कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019) ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,00.00				
3454-01.789.03 - पशुगणना (के.से. स्कीम)	मूल	1,75.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 1,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.00				



**अनुदान संख्या-2 क्रमशः**

**पूँजी:**

(5) बचत ( ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	12.65	12.65	0.00	₹ 1,37.35 लाख की प्रत्याशित बचत उपबंधित राशि के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.35				
4403-00.101.09- पेट क्लीनिक (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	10.14	10.14	0.00	₹ 19.86 लाख की प्रत्याशित बचत उपबंधित राशि के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19.86				
4403-00.109.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3.99	3.99	0.00	₹ 2.96.01 लाख की प्रत्याशित बचत उपबंधित राशि के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,96.01				
4403-00.796.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	61.90	61.90	0.00	₹ 58.10 लाख की प्रत्याशित बचत उपबंधित राशि के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.10				

**अनुदान संख्या -2 क्रमांत**

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.106.06- पशु प्रक्षेत्तों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,50.00				
4403-00.109.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
4403-00.796.06- पशु प्रक्षेत्रों को सुदृढीकरण की योजना (राज्य-स्कीम)	मूल	9,10.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 9,10.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,10.00				
4403-00.796.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	2,80.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.00				
4403-00.796.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 15.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				

### अनुदान संख्या 3 - भवन निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,33,66,06	1,34,01,06	92,67,46	(-)41,33,60
अनुपूरक	35,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

41,34,05

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	5,11,17,00	5,48,17,00	4,03,64,88	(-)1,44,52,12
अनुपूरक	37,00,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,44,56,95

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व:

- (1) ₹ 41,33.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 ( ₹ 30.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 5.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,34.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 41,33.60 लाख) से ₹ 0.45 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या-3 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.20- भवन निर्माण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,83.66	1,63.10	1,63.14	+0.04	₹ 20.52 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.56				
2059-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	6,83.56	4,30.77	4,30.77	0.00	₹ 2,57.79 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)2,57.79				
2059-80.001.03- भवन निर्माण-अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	8,90.95	5,44.19	5,44.19	0.00	₹ 3,46.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,46.76				
2059-80.001.04- भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (स्थापना व्यय)	मूल	49,79.66	39,39.09	39,39.13	+0.04	₹ 10,40.53 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,40.57				
2059-80.001.05- निरूपन (स्थापना व्यय)	मूल	5,34.90	1,96.68	1,96.68	0.00	₹ 3,38.22 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,38.22				
2059-80.001.06- निदेशन-एच.ई. सी. से लिये गये सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,01.14	2,01.14	0.00	₹ 98.86 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.86				
2059-80.001.11- निदेशन-उद्यान संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,19.32	2,19.32	0.00	₹ 30.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.68				

**अनुदान संख्या-3 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.12- बाह्य स्रोत से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, झांडूकश, रात्री प्रहरी इत्यादि/ संविदा पर नियुक्त अभियंतागण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,91.26	1,91.26	0.00	₹ 2,08.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,08.74				
2059-80.053.13- गैर आवासीय भवनों की मरम्मती (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	22,66.87	26,68.73	+1.86	₹ 3,31.27 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,33.13				
2059-80.053.04- लोक निर्माण कार्य आवासीय भवनों का मरम्मती एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	5,88.09	5,87.10	(-)0.99	₹ 14,12.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,11.91				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.053.06- नगर निगम एवं नगर पालिका कर (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

**अनुदान संख्या-3 क्रमशः**

**पूँजी :**

- (5) ₹1,44,52.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹37,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,44,56.95 लाख), अंतिम बचत (₹1,44,52.12 लाख) से ₹4.83 लाख अधिक था।
- (7) शीर्ष 4059.01.700.14-सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 2,26.23 लाख की बचत, जो ₹ 30,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश- 25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	25,00.00	4,78.34	4,78.34	0.00	₹ 20,21.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,21.66				
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	17,00.00	4,42.95	4,42.95	0.00	₹ 12,57.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,57.05				
4059-01.051.58- कार्यालय भवन/ परिसदन भवन (राज्य स्कीम)	मूल	85,00.00	67,60.66	67,08.37	(-)52.29	₹ 17,91.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,39.34				

**अनुदान संख्या -3 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.796.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादी (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	25,00.00	4,19.80	4,19.80	0.00	₹ 20,80.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,80.20				
4059-01.796.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	17,00.00	11,41.89	11,41.89	0.00	₹ 5,58.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,58.11				
4059.01.796.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	50.88	50.88	0.00	₹ 99.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.12				
4259-01.796.59- कोर्ट भवन ( आवासीय/ गैर-आवासीय) (राज्य स्कीम)	मूल	89,00.00	45,26.17	45,26.17	0.00	₹ 43,73.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)43,73.83				

अनुदान संख्या -3 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4216-01.106.03- लोक निर्माण कार्य-राज्य में भवन सम्बन्धी लघु निर्माण-कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	68.89	68.89	0.00	₹ 31.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)31.11				
4216-01.796.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20,00.00	1,07,77.15	1,07,77.15	0.00	₹ 19,22.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	7,00.00				
	पुनर्वि.	(-)19,22.85				



**अनुदान संख्या 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
( मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	51,03,62	62,74,62	49,28,64	(-)13,45,98
अनुपूरक	11,71,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

13,84,36

**टीका एवं टिप्पणी:**

- (1) ₹13,45.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 (₹ 11,61.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,71.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 13,84.36 लाख) , अंतिम बचत (₹ 13,45.98 लाख) से ₹ 38.38 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2013-00.101.01- मंत्रिगण (स्थापना)	मूल	14,35.08	10,35.90	10,33.36	(-)2.54	₹ 3,99.18 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,00.19 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹ 2,98.99 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,99.18				

**अनुदान संख्या-4 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.105.02- मंत्रीगण का वैवेकिक अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	7,12.52	7,12.52	0.00	₹ 87.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)87.48				
2013-00.108.02- निजी स्टाफ का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	11.24	11.24	0.00	₹18.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.76				
2052-00.090.01- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री का सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.85	4,67.76	4,67.76	0.00	₹1,58.09 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹18.03 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹1,40.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.09				
2052-00.090.24- मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (स्थापना व्यय)	मूल	5,27.62	4,21.47	4,03.81	(-)17.66	₹1,06.15 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹11.03 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹95.11 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹17.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.15				

**अनुदान संख्या-4 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.25- मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	2,56.97	1,90.56	1,90.56	0.00	₹97.41 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹55.72 लाख की बचत (i) मितव्ययिता (₹21.81लाख) एवं (ii) कर्मचारियों का स्थानान्तरण ( ₹33.19लाखा ) के कारण हुई थी। ₹42.41 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	31.00				
	पुनर्वि.	(-)97.41				
2070-00.115.01- राज्य अतिथि गृह (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.08	1,79.27	1,79.27	0.00	₹ 20.81 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.81				
2070-00.800.04- पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को सुविधाएँ (स्थापना व्यय)	मूल	2,77.98	2,47.58	2,46.41	(-)1.17	₹ 40.40 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)40.40				
2070-00.800.11- झारखण्ड सरकार स्थापना दिवस समारोह (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	7,68.73	7,68.73	0.00	₹ 1,31.27 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	8,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,31.27				
2205-00.104.01- अभिलेखागार (स्थापना व्यय)	मूल	67.93	49.53	49.53	0.00	₹ 18.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)18.40				

विनियोग संख्या-4 क्रमांत

(4) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.108.01- मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	1,25.00	97.92	1,17.74	+19.82	₹ 1,02.08 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 19.82 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	75.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.08				
2070-00.115.02- झारखण्ड भवन स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	7,81.99	6,12.51	6,52.43	+39.92	₹ 1,99.48 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,45.87 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹53.61 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹ 39.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.48				

## विनियोग संख्या 5- राज्यपाल सचिवालय

(मुख्य शीर्ष- 2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	11,64,85	12,44,17	9,85,76	(-)2,58,41
अनुपूरक	79,32			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,58,41

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 2,58.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 79.32 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2012-03.090.01- सचिवालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,30.87	5,01.54	5,01.54	0.00	₹ 1,29.33 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,20.18 लाख की बचत स्वीकृत बल के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹ 1,14.18) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 6.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 9.15 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,29.33				

विनियोग संख्या-5 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.103.01- राज्यपाल का घरेलु स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,58.14	2,12.36	2,12.36	0.00	₹ 45.78 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 41.09 लाख की बचत स्वीकृत बल के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹ 19.09 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 22.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 4.69 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.78				
2012-03.103.02- राज्यपाल के सैन्य सचिव एवं परिसहाय (स्थापना व्यय)	मूल	67.31	38.73	38.73	0.00	₹ 28.58 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.21 लाख की बचत स्वीकृत बल के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹ 19.71 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 0.50 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 8.37 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.58				
2012-03.103.05- बाग एवं उधान (स्थापना व्यय)	मूल	79.27	61.22	61.22	0.00	₹ 18.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत बल के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹ 8.93 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 9.10 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.05				

विनियोग संख्या-5 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.105.01- अन्य प्रभार (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति) (स्थापना व्यय)	मूल	29.51	11.02	11.02	0.00	₹ 18.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत बल के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹14.28 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 4.21 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.49				

## अनुदान संख्या 6- मंत्रिमंडल ( निर्वाचन ) विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	62,33,44	1,12,07,99	1,02,62,06	(-)9,45,93
अनुपूरक	49,74,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

8,05,52

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 9,45.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 49,74.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,05.52 लाख) , अंतिम बचत (₹ 9,45.93 लाख) से ₹ 1,40.41 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2015-00.105.08 लोक सभा, 2014 की प्रारंभिक तैयारी (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 63.91 लाख की बचत, जो ₹ 29,97.20 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2015-00.102.01- मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	15,29.13	21,59.16	21,59.16	0.00	₹ 2,28.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	8,58.88				
	पुनर्वि.	(-)2,28.85				
2015-00.103.02- मतदाता सूचि का मुद्रण (स्थापना व्यय)	मूल	12,00.00	6,40.24	6,40.24	0.00	निधि अधिक होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी गई। ₹ 2,59.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,59.76				



**अनुदान संख्या-6 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.105.01- लोक सभा का आम निर्वाचन (स्थापना व्यय)	मूल	12.02	1,18.23	1,18.23	0.00	₹ 89.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,96.17				
	पुनर्वि.	(-)89.96				
2015-00.105.05- ई.वी.एम. टेस्टिंग एवं एफ.एल.सी. (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	1,99.00	1,22.52	(-)76.48	₹ 76.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,99.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2015-00.106.01- राज्य विधानसभा का आम निर्वाचन (स्थापना व्यय)	मूल	0.03	1,76.05	1,76.05	0.00	₹ 31.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,07.18				
	पुनर्वि.	(-)31.16				
2015-00.106.03- राज्य विधान सभा का उपनिर्वाचन (स्थापना व्यय)	मूल	75.38	5,12.37	5,12.37	0.00	₹ 77.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,14.62				
	पुनर्वि.	(-)77.63				
2015-00.108.02- मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	2,08.65	2,08.65	0.00	₹ 91.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.35				

**अनुदान संख्या 7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवा)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,12,90	29,08,18	28,83,40	(-)24,78
अनुपूरक	4,95,28			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(31 मार्च 2019)

21,31

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 24.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 4.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 4,91.28 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,95.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹21.31 लाख), अंतिम बचत (₹24.78 लाख) से ₹3.47 लाख कम था।

## अनुदान संख्या 8- परिवहन विभाग ( नागर विमानन प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	27,35,32	27,48,82	18,72,52	(-)8,71,30
अनुपूरक	13,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

8,71,30

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,19,00,00	1,19,00,00	12,97,38	(-)1,06,02,62
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,06,02,62

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹8,71.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2018 ( ₹ 7.50 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹6.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-8 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 3053-80.003.01 -प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 50.79 लाख की बचत, जो ₹ 5,16.79 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख) अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.114.01- सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	21,26.03	14,11.52	14,11.52	0.00	₹ 7,20.51 लाख की बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.51				

- (3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

3053-02.102.07- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**पूँजी:**

- (4) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों के लिए रनवे का निर्माण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	55,00.00	4,86.71	4,86.71	0.00	₹ 50,13.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,13.29				

अनुदान संख्या-8 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.796.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में रनवे के निर्माण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	6,44.94	6,44.94	0.00	₹1,05.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.06				
5053-80.003.05- सी.पी.एल. ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	23.27	23.27	0.00	₹76.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.73				
5053-80.796.05- सी.पी.एल. ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,42.46	1,42.46	0.00	₹57.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.54				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.01- बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
5053-02.102.03- रांची हवाई अड्डे पर राजकीय एयरबेस के निर्माण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00,.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-8 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.08- देवघर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु संचरण लाइनों का परिवर्तन (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,50.00				
5053-02.102.09- देवघर हवाई अड्डा का विकास एवं विस्तारीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
5053-02.102.10- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) एवं हवाई अड्डा का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
5053-02.102.11- झारखण्ड में हेलिपैड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
5053-02.796.10- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
5053-02.796.11- झारखण्ड में हेलिपैड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या 9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2425- सहकारिता, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,36,42,29	2,41,07,94	1,60,05,26	(-)81,02,68
अनुपूरक	4,65,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

80,52,52

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,75,00,00	1,75,00,00	65,60,35	(-)1,09,39,65
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,09,39,65

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

राजस्व:

- (1) ₹ 81,02.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 4,65.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 80,52.52 लाख), अंतिम बचत (₹ 81,02.68 लाख) से ₹ 50.16 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-9 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2425-00.001.02 - अधिक्षण एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सहकारी समितियों का विकास एवं संगठन (स्थापना व्यय) एवं 2425-00.789.27- फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 90.86 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 40,77.09 लाख एवं ₹ 20,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.107.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	26,93.00	26,93.00	0.00	₹ 3,07.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,07.00				
2425-00.108.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	34.20	13.35	(-)20.85	₹ 2,65.80 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 20.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.80				
2425-00.789.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	30.90	30.90	0.00	₹ 1,69.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.10				



अनुदान संख्या-9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.796.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रिमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50,00.00	43,87.39	43,87.39	0.00	₹ 6,12.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-6,12.61)				
2425-00.796.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,08.78	82.78	(-)26.00	₹ 3,91.22 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-3,91.22)				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.107.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-15,00.00)				

अनुदान संख्या-9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.108.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2425-00.789.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2425-00.789.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2425-00.796.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

**अनुदान संख्या-9 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.796.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				

**पूँजी :**

(5) बचत ( ₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4425-00.108.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	52,50.00	19,53.77	19,53.77	0.00	₹ 32,96.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,96.23				
4425-00.789.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	13,06.58	13,06.58	0.00	₹ 21,93.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,93.42				

अनुदान संख्या-9 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4425-00.796.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	87,50.00	33,00.00	33,00.00	0.00	₹ 54,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54,50,00				

## अनुदान संख्या 10- ऊर्जा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2801- बिजली, 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6801- बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	40,06,42,82	42,06,47,83	27,42,11,01	(-)14,64,36,82
अनुपूरक	2,00,05,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

12,64,36,81

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,23,69,00	18,90,41,00	14,13,09,00	(-)4,77,32,00
अनुपूरक	3,66,72,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,77,32,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 14,64,36.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 2,00,00.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 5.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,00,05.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,64,36.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,64,36.82 लाख) से ₹ 2,00,00.01 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-10 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2801-06.052.06 - सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ज.बी.वी.एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम) एवं 2801-06.796.06- सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जे.बी.वी.एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 1,95.80 लाख एवं ₹ 82.10 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 55,80.00 लाख एवं ₹ 23,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.08- विद्युत निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	2,70.59	2,00.78	2,00.78	0.00	₹ 69.81 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.81				
2859-80.001.10- विद्युत कार्य संपादन (स्थापना व्यय)	मूल	59,03.35	33,49.61	33,49.61	0.00	₹ 25,53.74 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,53.74				
2059-80.053.14- विद्युत कार्य प्रमंडल के अंतर्गत पूँजीगत मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	13,03.17	13,03.17	0.00	₹ 6,96.83 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,96.83				
2801-01.789.10- ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	36,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 33,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,00.00				
2801-01.796.10- ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	78,00.00	6,50.00	6,50.00	0.00	₹ 71,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71,50.00				
2801-01.800.10- ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,86,00.00	15,50.00	15,50.00	0.00	₹ 1,70,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70,50.00				

**अनुदान संख्या-10 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-80.004.16- विद्युतीकरण के लिए परामर्शी सेवा, अकेक्षण शुल्क/ प्रसार/सेमिनार एवं गोष्ठी तथा एस.एल. डी.सी. एवं अन्य को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	49,92.00	22,51.49	22,51.49	0.00	₹ 27,40.51 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,40.51				
2801-80.101.15- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ सबसिडी (स्थापना व्यय)	मूल	20,00,00.00	5,94,95.00	5,94,95.00	0.00	जे.बी.वी.एन.एल. के चालू एवं बकाया बिजली बिल के भुगतान हेतु ₹ 5,00,00.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 9,05.05.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ सबसिडी मद में पूरी राशि व्यय न होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,05,05.00				
3451-00.090.13- ऊर्जा विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,36.38	1,05.02	1,05.02	0.00	₹ 31.36 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.36				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-05.052.04- संचरण लाइनो का विस्थापन हेतु जे. यू.एस.एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,25.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,25.00				

**अनुदान संख्या-10 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-05.789.04- संचरण लाइनो का विस्थापन हेतु जे. यू.एस.एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,02.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,02.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.00				
2801-05.796.04- संचरण लाइनो का विस्थापन हेतु जे. यू.एस.एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.00				
2801-06.800.01- अटल ग्रामीण ज्योति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2801-06.800.02- तिलका मांझी कृषि पंप योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2801-80.101.02- झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,57.20	0.00	0.00	0.00	बिल की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 4,57.20 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,57.20				
2801-80.796.10- जे. एस. ई. आर. सी. को नयी भवन निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				



**अनुदान संख्या-10 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-80.796.18- उदय योजना के अन्तर्गत जे.बी.वी. एन.एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,00,00.00	0.00	(-)2,00,00.00	₹ 2,00,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,00,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹ 4,77,32.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2018 (₹ 91,72.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,75,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3.66,72.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.789.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,21,32.00	90,44.16	90,44.16	0.00	₹ 30,87.84 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,87.84				
6801-00.796.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	2,62,86.00	1,95,95.68	1,95,95.68	0.00	₹ 66,90.32 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66,90.32				
6801-00.800.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	6,26,82.00	4,67,28.16	4,67,28.16	0.00	₹ 1,59,53.84 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59,53,84				

**अनुदान संख्या-10 क्रमांत**

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.201.24- प्रदुषण नियंत्रण उपाय (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
6801-00.202.01- कोल-ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 15,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
6801-00.796.38- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० (जे.बी.वी.एन.एल.) को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00,00.00				

## अनुदान संख्या 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2039- राज्य उत्पाद शुल्क, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,43,83	28,33,35	23,50,56	(-)4,82,79
अनुपूरक	3,89,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,68,50

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,00,00	5,00,00	3,00,00	(-)2,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,00,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 4,82.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1.70 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 3,20.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 67.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,89.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,68.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,82.79 लाख) से ₹ 14.29 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-11 क्रमांत**

(3) बचत ( ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2039-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	19,39.95	19,73.09	19,65.96	(-)7.13	₹ 3,32.06 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी। ₹ 7.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,65.20				
	पुनर्वि.	(-)3,32.06				
2039-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,31.56	2,36.41	2,33.17	(-)3.24	₹ 95.37 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी। ₹ 3.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.22				
	पुनर्वि.	(-)95.37				
2052-00.092.07- स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	1,67.32	1,55.35	1,51.44	(-)3.91	₹ 36.07 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी। ₹ 3.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	24.10				
	पुनर्वि.	(-)36.07				

**पूँजी:**

(4) बचत ( ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.796.07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

## अनुदान संख्या 12- योजना-सह-वित्त विभाग ( वित्त प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,84,41	64,17,41	48,39,20	(-) 15,78,21
अनुपूरक	4,33,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

20,73,35

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	69,00,00	69,00,00	47,33,14	(-)21,66,86
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

21,66.86

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 15,78.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1.50 लाख), दिसम्बर 2018 ( ₹ 2,00.00 लाख) और जनवरी 2019 (₹ 2,31.50 लाख) में प्राप्त किया ₹ 4,33.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20,73.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,78.21 लाख) से ₹ 4,95.14 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या-12 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.08- वित्त विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	12,84.78	13,33.52	13,33.52	0.00	₹ 71.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,20.00				
	पुनर्वि.	(-)71.26				
2052-00.090.10- सामान्य भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना व्यय)	मूल	85.98	50.79	50.79	0.00	₹ 35.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.19				
2052-00.090.34- वित्त (वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	57.50	79.65	79.65	0.00	₹ 27.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)27.85				
2052-00.090.39- भविष्य निधि- अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय)	मूल	2,20.00	1,82.40	1,82.40	0.00	₹ 37.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.60				
2052-00.092.05- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना- मुख्यालय प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	2,21.29	1,71.35	1,71.35	0.00	₹ 49.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.94				
2052-00.092.06- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	15,52.99	7,35.26	7,35.26	0.00	₹ 8,17.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,17.73				

**अनुदान संख्या-12 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.21- राज्य वित्त आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	73.52	11.54	11.54	0.00	₹ 61.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.98				
2054-00.095.01- भविष्य निधि लेखा का संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	3,92.45	2,85.60	2,85.60	(-)0.00	₹ 1,06.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.85				
2054-00.097.01- कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (स्थापना व्यय)	मूल	13,50.03	11,63.35	11,62.36	(-)0.99	₹ 2,00.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	13.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.68				
2058-00.103.02- झारखंड राजकीय मुद्रणालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,01.77	1,61.18	1,61.18	0.00	₹ 1,40.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,40.59				
2058-00.105.01- सरकारी प्रकाशनों, संहिताओं, नियम पुस्तकों आदि का मुद्रण (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	36.75	36.75	0.00	₹ 43.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-) 43.25				
2070-00.800.08- विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	1,29.23	1,29.32	+0.09	₹ 70.68 लाख की शुद्ध बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 70.77				

**अनुदान संख्या-12 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075-00.791.02- राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रूपये का समायोजन (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				

(5) निम्नलिखित मामले में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075-00.791.01- ए.डी.बी. के लिए विनियोग दर में वृद्धि/कमी का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	60.00	4,96.04	+4,96.04	₹ 4,96.04 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

(6) शीर्ष 7610-00.201.01- सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 63.00 लाख का अंतिम अधिक व्यय, जो ₹ 40,91.93 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.003.85- आईएफ.एम.एस. - भर्सन 2.0 (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	45.26	45.26	0.00	₹ 9,54.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,54.74				



**अनुदान संख्या-12 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.201.03- मंत्रियों/विधानमंडल के सदस्यों को गृह-निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	68.00	20.00	(-)48.00	₹ 4,48.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,32.00				
7610-00.202.01- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	4,40.20	4,40.20	0.00	₹ 59.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.80				
7610-00.202.02- सरकारी सेवकों को मोटर साइकल क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	6.00	6.00	0.00	₹ 94.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.00				
7610-00.202.03- मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	15.00	15.00	0.00	₹ 85.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				
7610-00.202.04- विधान मंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	51.76	51.76	0.00	₹ 1,48.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.24				

**अनुदान संख्या-12 क्रमांत**

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.201.02- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह-निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	15.00	0.00	(-)15.00	₹5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,85.00				

## विनियोग संख्या 13- ब्याज संदाय

(मुख्य शीर्ष- 2049-ब्याज अदायगियाँ)

राजस्व :

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	56,31,04,03	56,33,04,03	48,51,97,39	(-) 7,81,06,64
अनुपूरक	2,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,42,27.07

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,42,27.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,81.06.64 लाख) से ₹ 5,38,79.57 लाख कम था।
- (2) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-01.101.01- राज्य विकास ऋण ब्याज देय (स्थापना व्यय)	मूल	31,52,00.00	31,52,00.00	27,42,63.89	(-)4,09,36.11	₹ 4,09,36.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	4,30,00.00	2,60,85.17	2,60,85.17	0.00	₹ 1,69,14.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69,14.83				
2049-01.200.03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	3,92.84	3,92.84	0.00	₹ 2,07.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.16				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.08- आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,00.00	86,27.38	86,27.38	0.00	₹ 38,72.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,72.62				
2049-01.200.11- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्ज पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	70,00.00	39,23.81	39,23.81	0.00	₹ 30,76.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,76.19				
2049-03.104.01- सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,80,00.00	2,80,00.00	2,24,38.52	(-)55,61.48	₹ 55,61.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-03.108.01- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	43.74	73.70	(-)0.04	₹ 1,50.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.26				
2049-04.101.03- एकमुश्त ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	70,00.00	70,00.00	58,41.43	(-)11,58.57	₹ 11,58.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.104.03- अन्य गैर योजना मद के कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,74.00	2,74.00	1,81.07	(-)92.93	₹ 92.93 लाख को अंतिम कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-04.109.01- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तें अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	94,46.00	94,46.00	62,97.31	(-)31,48.69	₹ 31,48.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.03- विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	7,00.00	4,54.18	(-)2,45.82	₹ 2,45.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.06- वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	8,00.00	5,36.68	(-)2,63.32	₹ 2,63.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(3) निम्नलिखित मामलों में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.14- पावर बांड-ब्याज भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	5,00,00.00	5,00,00.00	0.00	(-)5,00,00.00	₹ 5,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-03.104.02- ए.आई.एस. भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-) 3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.115.01- भारतीय रिजर्व बैंक से बेस एंड मींस एडवान्स (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	6,23.28	+6,23.28	₹6,23.28 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.15- उदय ब्रॉन्ड्स (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	4,72,70.28	+4,72,70.28	₹ 4,72,70.28 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं कियया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## विनियोग संख्या 14- ऋण की वापसी/अदायगी

( मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम )

राजस्व:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,55,00,00	2,55,00,00	0,00	(-)2,55,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	35,05,55,79	30,05,55,79	30,60,09,66	(-)4,45,46,13
अनुपूरक	5,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,03,58,79

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।

**विनियोग संख्या-14 क्रमशः**

(2) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2048-00.101.01- निक्षेप निधि में योगदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,55,00.00	2,55,00.00	0.00	(-)2,55,00.00	₹ 2,55,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

- (3) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,03,58.79 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,45,46.13 लाख) से ₹ 41,87.34 लाख कम था।
- (4) शीर्ष 6003-00.109.08-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्जे (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 5,77.15 लाख की बचत, जो ₹ 90,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.105.01- नाबार्ड के अंतर्गत आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋण के मूलधन की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	7,50,00.00	4,31,90.28	4,31,90.28	0.00	₹ 3,18,09.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,18,09.72				
6004-01.108.01- सहकारिता विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	14,00.00	7,28.76	7,28.76	0.00	₹ 6,71.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 6,71.24				
6004-01.109.01- हुडको से कर्ज (स्थापना व्यय)	मूल	2,00,00.00	1,26,99.32	1,26,99.32	0.00	₹ 73,00.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 73,00.68				



विनियोग संख्या-14 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6004-01.800.01- पुलिस आधुनिकीकरण कर्जे (स्थापना व्यय)	मूल	21,57.00	21,57.00	1,77.54	(-)19,79.46	₹ 19,79.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6004-02.105.01- राज्य योजना संचित ऋण (12वें वित्त आयोग) (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,95.00	1,25,95.00	1,04,95.52	(-)20,99.48	₹ 20,99.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.72- 6.34 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2018 (स्थापना व्यय)	मूल	1,95,45.00	1,95,45.00	0.00	(-)1,95,45.00	₹ 1,95,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.73- 6.10 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	2,48,10.00	2,48,10.00	0.00	(-)2,48,10.00	₹ 2,48,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.74- 7.44 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	0.00	(-)4,00,00.00	₹ 4,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-14 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामलों में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.61- 6.10 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भंडार, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	2,48,10.00	+ 2,48,10.00	₹ 2,48,10.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.62- 6.34 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भण्डार, 2018 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	5,95,45.00	+ 5,95,45.00	₹ 5,95,45.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या 15- पेंशन

(मुख्य शीर्ष- 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	55,95,51,74	60,79,51,74	59,91,48,31	(-)88,03,43
अनुपूरक	4,84,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 88,03.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 20018 (₹ 4,20,00.00) एवं जनवरी 2019 (₹ 64,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,84,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (3) शीर्ष 2071-01.101.09 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों का बंटवारा के तहत बिहार को भुगतान (स्थापना व्यय), 2071-01.102.04-15.11.2000 के बाद के पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय), 2071-01.104.03-15.11.2000- के पूर्व का उत्पादन (स्थापना व्यय), 2071-01.115.03-15.11.2000 के बाद सेवानिवृत/मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अन्यवृहत उपार्जित अवकाश (स्थापना व्यय) एवं 2071-01-117.03- भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 12,87.00 लाख, ₹ 2,47,84 लाख, ₹ 3,48.37 लाख, ₹ 21,18.55 लाख एवं ₹ 36,69.28 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 5,70,00.00 लाख, ₹ 2,50,00.00 लाख, ₹ 35,00.00 लाख, ₹ 4,50,00.00 लाख एवं ₹ 4,64,00.00 लाख के प्रावधान 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2071-01.101.05- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	1,42.06	(-)3,57.94	₹ 3,57.94 लाख अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-15 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.104.04- 15.11.2000 के बाद का उपादान (स्थापना व्यय)	मूल	8,00,00.00	8,00,00.00	4,45,47.06	(-) 3,54,52.94	₹3,54,52.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.04- 15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	9,00.00	9,00.00	4,05.44	(-) 4,94.56	₹4,94.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.02- विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन- राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	3,50.00	3,50.00	1,06.79	(-) 2,43.21	₹2,43.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.03- विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन- राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	6,50.00	6,50.00	5,02.07	(-) 1,47.93	₹1,47.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.115.02- 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्ति/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अन्यवृहत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	30,00.00	88.22	(-) 29,11.78	₹29,11.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-15 क्रमांत**

- (4) शीर्ष 2071-01.101.06- 15.11.2000 के बाद पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 3,19,87.51 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 32,62,28.72 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.102.03- 15.11.2000 के पूर्व पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	30,00.00	53,55.93	+23,55.93	₹23,55.93 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.03- 1984 दंगा में पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/ लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	36.32	+36.31	₹36.31 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.05- 15.11.2000 के बाद का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	1,88,97.71	+38,97.71	₹38,97.71 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.06- झारखंड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आंदोलनकारियों आश्रितों को पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	2,57.87	+2,57.86	₹2,57.86 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 16- योजना-सह-वित्त विभाग ( राष्ट्रीय बचत प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,86,66	3,35,61	2,91,50	(-)44,11
अनुपूरक	48,95			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

44,11

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹44.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹48.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2047-00.103.02- जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	2,51.22	2,62.30	2,62.30	0.00	₹34.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	45.95				
	पुनर्वि.	(-)34.87				

## अनुदान संख्या 17- वाणिज्य कर विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	73,06,33	1,05,97,33	86,30,84	(-)19,66,49
अनुपूरक	32,91,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

19,66,06

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	0,00	32,11	32,11	0,00
अनुपूरक	31,11			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 19,66.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 6,51.00 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 25,00.00 लाख) और जनवरी 2019 (₹ 1,40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,91.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान(₹19,66.06 लाख), अंतिम बचत (₹19,66.49 लाख) से ₹0.43 लाख के कम था।

**अनुदान संख्या-17 क्रमांत**

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2040-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	11,74.17	9,04.82	9,04.39	(-)0.43	₹ 2,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि निधि की कमी के कारण की गयी थी। ₹ 5,20.35 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	51.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.35				
2040-00.101.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	56,37.08	67,29.95	67,29.95	0.00	₹2,23.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी निधि की अधिक प्रावधान होने के कारण की गई। ₹13,24.13 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	26,40.00				
	पुनर्वि.	(-)15,47.13				
2052-00.090.07- वाणिज्य कर विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,26.45	3,24.50	3,24.50	0.00	₹ 1,01.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.95				



## अनुदान संख्या 18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 4408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,11,11,77	13,75,70,09	10,27,00,42	(-)3,48,69,67
अनुपूरक	64,58,32			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

3,44,67,17

पूँजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	31,00,00	34,50,00	3,85,62	(-)30,64,38
अनुपूरक	3,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

30,64,38

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 3,48,69.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 9,42.80 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 8,12.02 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 47,03.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 64,58.32 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,44,67.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,48,69.67 लाख) से ₹ 4,02.50 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 3456-00.102.39-पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम) एवं 3456-00.796.51-प्रधामंत्री उज्ज्वला योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 18,43.81 लाख एवं ₹ 3,15.05 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 2,25,93.00 लाख एवं ₹ 1,19,76.00 लाख की प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3451-00.090.11- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,19.47	3,71.81	3,71.81	0.00	₹47.66 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 30.37 लाख की बचत (i) पदाधिकारियों के सेवा निवृत्ति एवं स्थानान्तरण (₹ 24.96 लाख) , (ii) अपेक्षित आवेदन की स्वीकृति नहीं होने (₹ 3.41 लाख), (iii) अतिरिक्त यात्रा की आवश्यकता नहीं होने (₹ 6.88 लाख), (iv) मितव्ययिता ( ₹ 1.97 लाख) एवं स्वीकृति का अभाव (₹ 0.15 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 10.29 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.66				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.001.02 - जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	20,96.22	19,04.77	19,04.77	0.00	₹ 3,91.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से (i) पदाधिकारियों के सेवा निवृत्ति एवं स्थानान्तरण (₹ 2,98.24 लाख), (ii) निधि का ससमय प्रत्यार्पित नहीं करने (₹ 72.12 लाख), (iii) माँग अप्राप्त रहने (₹ 5.90 लाख,) (iv) अतिरिक्त यात्रा की आवश्यकता नहीं होने (₹ 2.25 लाख), (v) मितव्ययिता (₹ 11.94 लाख) एवं (vi) स्वीकृति का अभाव (₹ 1.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,91.45				
3456-00.001.53- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (स्थापना व्यय)	मूल	12,53.48	8,80.92	8,80.42	(-)0.50	₹ 4,00.06 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 22.48 लाख की बचत (i) माँग अप्राप्त रहने (₹ 4.00 लाख), (ii) मितव्ययिता (₹ 15.01 लाख) एवं (iii) अतिरिक्त यात्रा की आवश्यकता नहीं होने (₹ 3.47 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 3,77.58 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	27.50				
	पुनर्वि.	(-)4,00.06				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	46,15.00	40,14.47	40,14.47	0.00	₹ 6,00.53 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत लाभुकों के अपवर्जन एवं समावेशन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.53				
3456-00.102.03- अन्नपूर्णा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,63.00	84.51	84.51	0.00	₹ 78.49 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिर्फ प्रथम छमाही के लिए खद्यान्न प्राप्ति के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.49				
3456-00.102.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	1,85.00	98.85	98.85	0.00	₹ 86.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.15				
3456-00.102.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,95.00	5,90.90	5,90.90	0.00	₹ 7,04.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटीन योजना के संचालन में देरी होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,04.10				
3456-00.102.27 - कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	23,40.00	20,06.87	20,06.87	0.00	₹ 3,33.13 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं कुल मदों में आकस्मिक व्यय अनापेक्षित होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,33.13				

**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.35- कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	11,10.00	1,34.18	1,34.18	0.00	₹ 9,75.82 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,75.82				
3456-00.102.41- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- शिकायत निवारण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	36.96	36.96	0.00	₹ 38.04 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं राज्य खाद्य आयोग के स्थापना व्यय अन्तर्गत पूर्ण कार्यबल न होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.04				
3456-00.102.48- अन्त्योदय / पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	31,75.00	4,98.26	4,98.26	0.00	₹ 26,76.74 लाख की प्रत्याशित बचत डबल फोर्टीफाइड के स्थान पर फ्री-फ्लो आयोडीन युक्त नमक के वितरण संबंधी नीतिगत निर्णय एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,76.74				
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37.00	0.82	0.82	0.00	₹ 1,71.18 लाख की प्रत्याशित बचत द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,35.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.18				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	37.00	0.79	0.79	0.00	₹ 1,71.21 लाख की प्रत्याशित बचत द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,35.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.21				
3456-00.102.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,66.00	79.52	79.52	0.00	₹ 86.48 लाख की प्रत्याशित बचत जे. एस. एल. पी. एस. द्वारा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.48				
3456-00.789.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	21,44.00	15,76.21	15,76.21	0.00	₹ 5,67.79 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत लाभुकों के अपवर्जन एवं समावेशन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,67.79				
3456-00.789.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	25.01	25.01	0.00	₹ 39.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.99				
3456-00.789.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,55.00	1,08.97	1,08.97	0.00	₹ 3,46.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटीन योजना के संचालन में देरी होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,46.03				

**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.27- कम्प्युटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,40.00	6,13.80	6,13.80	0.00	₹ 2,26.20 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं कुछ मदों में आकस्मिक व्यय अनापेक्षित होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,26.20				
3456-00.789.35 - कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	37.08	37.08	0.00	₹ 3,52.92 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,52.92				
3456-00.796.39 - पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	72,20.00	50,28.77	50,28.77	0.00	₹ 21,91.23 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत लाभुकों के उपवर्जन एवं समावेशन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,91.23				
3456-00.789.48- अन्त्योदय / पूर्ववित्त प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडिन युक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,05.00	1,68.97	1,68.97	0.00	₹ 9,36.03 लाख की प्रत्याशित बचत डबल फोर्टीफाइड के स्थान पर फ्री-फ्लो आयोडीन युक्त नमक के वितरण संबंधी नीतिगत निर्णय एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,36.03				
3456-00.789.51- प्रधानमंत्री उज्वला योजना (राज्य स्कीम)	मूल	29,12.00	23,71.54	23,71.54	0.00	₹ 10,40.46 लाख की प्रत्याशित बचत एस.सी.एस.पी. प्रक्षेत्र में लाभुकों की अपर्याप्त संख्या के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,40.46				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.52- धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	6,76.00	5,00.00	5,00.00	0.00	₹ 1,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत बोनस की राशि का निर्धारण विपणन मौसम एवं अनुमानित उत्पादन के आधार पर किए जाने एवं सी.ओ.बी.टी. के समय बोनस का स्वरूप अनिर्धारित रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.00				
3456-00.789.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,33.00	40.00	40.00	0.00	₹ 93.00 लाख की प्रत्याशित बचत के जे.एस.एल.पी.एस. द्वारा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.00				
3456-00.796.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	97,26.00	77,17.80	77,17.80	0.00	₹ 20,08.20 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत लाभुकों के अपवर्जन एवं समावेशन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.08.20				
3456-00.796.03- अन्नपूर्णा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,21.00	1,03.92	1,03.92	0.00	₹ 1,17.08 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिर्फ प्रथम छमाही के लिए खाद्यान्न प्राप्ति के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.17.08				



**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,05.31	1,05.31	0.00	₹ 1,44.69 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.69				
3456-00.796.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	17,50.00	7,66.02	7,66.02	0.00	₹ 9,83.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटीन योजना के संचालन में देरी होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,83.98				
3456-00.796.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28,20.00	24,53.85	24,53.85	0.00	₹ 3,66.15 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं कुछ मदों में आकस्मिक व्यय अनापेक्षित होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,66.15				
3456-00.796.35- कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	2,34.64	2,34.64	0.00	₹ 12,65.36 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,65.36				
3456-00.796.39- पात्र-गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,54,58.00	2,15,85.83	2,15,85.83	0.00	₹ 38,72.17 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत लाभुकों के अपवर्जन एवं समावेशन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,72.17				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.41- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,59.44	1,59.44	0.00	₹ 1,40.56 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं राज्य खाद्य आयोग के स्थापना व्यय अन्तर्गत पूर्ण कार्यबल नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.40.56				
3456-00.796.48- अन्त्योदय/ पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों की फ्री-फ्लो आयोडीन युक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	42,20.00	6,54.41	6,54.41	0.00	₹ 35,65.59 लाख की प्रत्याशित बचत डबल फोर्टीफाइड के स्थान पर फ्री-फ्लो आयोडीन युक्त नमक के वितरण संबंधी नीतिगत निर्णय एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.65.59				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा. स्कीम -केन्द्रांश)	मूल	50.00	33.38	33.38	0.00	₹ 2,06.62 लाख की प्रत्याशित बचत द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,90.00				
	पुनर्वि.	(-)2.06.62				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम -राज्यांश)	मूल	50.00	33.38	33.38	0.00	₹ 2,06.62 लाख की प्रत्याशित बचत द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,90.00				
	पुनर्वि.	(-)2.06.62				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.52- धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	34,84.00	15,00.00	15,00.00	0.00	₹ 19,84.00 लाख की प्रत्याशित बचत बोनस की राशि का निर्धारण विपणन मौसम एवं अनुमानित उत्पादन के आधार पर किए जाने एवं सी.ओ.बी.टी. के समय बोनस का स्वरूप अनिर्धारित रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,84.00				
3456-00.796.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,01.00	2,76.15	2,76.15	0.00	₹ 1,24.85 लाख की प्रत्याशित बचत जे.एस.एल.पी.एस. द्वारा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.24.85				
3456-00.796.57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	3,21.90	2,73.90	(-)48.00	₹ 48.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,21.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.106.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	3,52.11	3,02.15	3,02.15	0.00	₹ 50.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण (₹ 44.99 लाख), (ii) माँग अप्राप्त रहने (₹ 2.00 लाख) एवं (iii) मितव्ययिता (₹ 2.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)50.96				

**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	4,53.00	0.00	0.00	0.00	योजनान्तर्गत डी.बी. टी. लागू होने के फलस्वरूप अवांछित लाभुकों की छटनी एवं डीलर कमीशन के खर्च संबंधी नीतिगत निर्णय में देरी के कारण ₹ 4,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,53.00				
3456-00.102.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,70.00				
3456-00.102.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,40.00				
3456-00.789.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,59.00	0.00	0.00	0.00	योजनान्तर्गत डी.बी. टी. लागू होने के फलस्वरूप अवांछित लाभुकों का छटनी एवं डीलर कमीशन के खर्च संबंधी नीतिगत निर्णय में देरी के कारण ₹ 1,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
3456-00.789.44- जन वितरण दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,60.00				
3456-00.789.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13.00	0.00	0.00	0.00	द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण ₹ 61.51 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	48.51				
	पुनर्वि.	(-)61.51				
3456-00.789.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13.00	0.00	0.00	0.00	द्वितीय अनुपूरक से राशि का उपबंध होने तथा योजना के क्रियान्वयन में यथावश्यक समय की कमी के कारण ₹ 61.51 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	48.51				
	पुनर्वि.	(-)61.51				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	6,13.00	0.00	0.00	0.00	योजनान्तर्गत डी.बी. टी. लागू होने के फलस्वरूप अवांछित लाभकों की छटनी एवं डीलर कमीशन के खर्च संबंधी नीतिगत निर्णय में देरी के कारण ₹ 6,13.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,13.00				
3456-00.796.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
3456-00.796.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
3456-00.796.59- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के गैर निर्माण आस्तियाँ हेतु केन्द्रीय सहायता राशि (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	37.50	0.00	(-)37.50	₹ 37.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	37.50				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3475-00.106.09- राज्य विधिक माप शाखा का सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	0.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3475-00.796.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				

**पूंजी :**

- (5) ₹ 30,64.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 3,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.101.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,10.00	97.33	97.33	0.00	₹ 10,12.67 लाख की प्रत्याशित बचत बचत नये गोदामों की स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,12.67				
4408-02.796.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	37.84	37.84	0.00	₹ 14,62.16 लाख की प्रत्याशित बचत नये गोदामों की स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,62.16				

**अनुदान संख्या-18 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.796.02- झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	2,50.45	2,50.45	0.00	₹ 1,99.55 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति के बदले इकरारनामा के आधार पर आवंटन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,50.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.55				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	0.00	0.00	0.00	नये गोदामों की स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ₹ 3,90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,90.00				



## अनुदान संख्या 19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,01,85,26	7,70,39,08	5,25,07,11	(-)2,45,31,97
अनुपूरक	68,53,82			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,29,14,23

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹2,45,31.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 15,75.66 लाख) दिसम्बर 2018 (₹ 5,38.69 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 47,39.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 68,53.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,29,14.23 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,45,31.97 लाख) से ₹ 16,17.74 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2406-01.001.01-निदेशन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 5,00.38 लाख के कुल बचत, जो ₹ 53,19.08 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न अनुदान के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.004.02- अन्य अनुसंधान (स्थापना व्यय)	मूल	6,13.24	4,28.53	4,28.53	0.00	₹ 1,84.71 लाख मुख्यतः वेतन निर्धारण को जिला लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन (₹ 1,76.04 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 5.02 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.71				

**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.005.12- मूल्यांकन-सह -योजना कोषांग (स्थापना व्यय)	मूल	4,68.69	4,16.17	4,16.17	0.00	₹ 52.52 लाख मुख्यतः वेतन निर्धारण को जिला लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन (₹ 37.62 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 11.12 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.52				
2406-01.101.01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (स्थापना व्यय)	मूल	1,56,31.59	1,25,06.53	1,24,99.28	(-)7.35	निधि की प्रावधान के लिए ₹ 2.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 34,36.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोषागार द्वारा चेक/विपत्र पारित होने के पश्चात भुगतान नहीं किये जाने, जिला लेखा अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं किये जाने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,09.88				
	पुनर्वि.	(-)34,34.94				
2406-01.101.02- वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना व्यय)	मूल	6,69.55	5,40.67	5,40.42	(-)0.25	₹ 1,28.88 लाख मुख्यतः वेतन निर्धारण को जिला लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन (₹ 1,19.33 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 5.82 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.88				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.101.03-वन कूपों की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,76.08	4,34.34	4,32.92	(-)1.41	₹ 2,41.98 लाख मुख्यतः वेतन निर्धारण को जिला लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन (₹ 2,31.62 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 7.27 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.24				
	पुनर्वि.	(-)2,41.98				
2406-01.101.06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	29,56.08	24,66.94	24,62.31	(-)4.63	संविदा पर नई नियुक्ति ओ.एस.डी. को मानदेय भुगतान के लिए ₹ 7.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 4,86.67 लाख का प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन निर्धारण को जिला लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन (₹ 4,78.28 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 6.35 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 4.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	4.53				
	पुनर्वि.	(-)4,93.67				
2406-01.101.15-वन प्रबंधन सुविधायें (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	7,23.57	7,22.44	(-)1.13	₹ 5,46.43 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2.70.00				
	पुनर्वि.	(-)5,46.43				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	28,07.61	28,02.70	(-)4.91	₹ 9,08.10 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	7,15.71				
	पुनर्वि.	(-)9,08.10				
2406-01.101.46- इको-टूरिज्म (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,18.07	1,18.07	0.00	₹ 1,31.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,31.93				
2406-01.101.47- वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	98.31	38.35	(-)59.96	₹ 4,11.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,51.69				
2406-01.101.48- वन सीमा का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	9,95.73	5,98.20	(-)3,97.53	₹ 19,01.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,04.27				

**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	29,50.00	27,66.20	27,59.45	(-)6.75	₹ 5,84.02 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 6.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,00.22				
	पुनर्वि.	(-)5,84.02				
2406-01.101.60- प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,81.26	10,78.20	(-)3.06	₹ 4,21.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.74				
2406-01.101.61- वन प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण (राज्य स्कीम)	मूल	21,25.00	18,18.75	17,63.52	(-)55.23	₹ 3,61.48 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,06.25				
2406-01.102.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,14.14	4,06.16	(-)7.98	₹ 93.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.86				
2406-01.102.55- मुख्यमंत्री जन-वन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	3,71.26	3,58.76	(-)12.50	₹ 5,41.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,28.74				
2406-01.102.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	23,24.67	23,24.25	(-)0.42	₹ 3,07.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	32.63				
	पुनर्वि.	(-)3.07.96				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.102.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,60.00	91.01	86.20	(-)4.81	₹ 5,73.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,68.99				
2406-01.102.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,40.00	60.77	57.96	(-)2.81	₹ 3,82.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,79.23				
2406-01.110.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मैनेजमेंट (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,00.04	69.37	(-)30.70	₹ 2,39.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,09.00				
	पुनर्वि.	(-)2,08.96				
2406-01.110.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मैनेजमेंट (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	66.69	46.22	(-)20.47	₹ 1,59.78 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,06.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.31				
2406-01.789.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,53.45	4,11.56	(-)41.89	₹ 88.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.55				
2406-01.789.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	19,62.86	19,92.77	(-)0.09	₹ 5,37.14 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,37.14				
2406-01.789.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	20,99.75	20,94.62	(-)5.13	₹ 5,39.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,34.01				
	पुनर्वि.	(-)5,34.26				

**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.789.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	79.20	28.53	(-)50.67	₹ 19,01.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	79.20				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	52.80	20.22	(-)32.58	₹ 32.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	52.80				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एव मैनेजमेंट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	75.46	60.06	(-)15.40	₹ 94.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,54.50				
	पुनर्वि.	(-)79.04				
2406-01.789.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एव मैनेजमेंट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	50.31	40.41	(-)9.90	₹ 62.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,03.00				
	पुनर्वि.	(-)52.69				
2406-01.796.15- वन प्रबंधन सुविधायें (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	9,12.56	8,70.40	(-)42.16	₹ 5,87.44 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 42.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,87.44				
2406-01.796.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	25,89.77	25,29.57	(-)60.20	₹ 4,70.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.23				

**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.796.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	21,87.67	21,59.34	(-)28.33	₹ 27,80.83 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 28.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	24,68.50				
	पुनर्वि.	(-)27,80.83				
2406-01.796.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	12,16.83	11,86.47	(-)30.36	₹ 4,65.65 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,89.12 लाख की बचत निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 76.53 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹ 30.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,82.48				
	पुनर्वि.	(-)4,65.65				
2406-01.796.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,71.60	49.92	(-)1,21.68	₹ 1,21.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,71.60				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.796.63- सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,14.40	48.14	(-)66.26	₹ 66.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,14.40				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.796.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	83.41	44.47	(-)38.94	₹ 38.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	83.41				
	पुनर्वि.	0.00				



**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.01- अभ्यारण (स्थापना व्यय)	मूल	19,61.50	16,22.06	16,22.06	0.00	₹ 3,39.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिला लेखा अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण का सत्यापन (₹ 3,23.32 लाख) नहीं करने तथा निधि के निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 13.21 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,39.44				
2406-02.110.02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	41.99	41.99	0.00	₹ 58.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.01				
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	1,15.65	1,15.47	(-)0.18	₹ 64.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.35				
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	76.64	76.52	(-)0.12	₹ 43.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.36				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,64.00	1,06.42	97.04	(-)9.38	₹ 1,66.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.58				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,76.00	70.95	65.09	(-)5.86	₹ 1,10.91 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.05				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.21- टाईगर प्रोजेक्ट योजना, पलामू (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,15.00	1,22.54	1,22.06	(-)0.48	₹ 92.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.46				
2406-02.110.21- टाईगर प्रोजेक्ट योजना, पलामू (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,15.00	1,22.54	1,22.06	(-)0.48	₹ 92.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.46				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,65.00	83.33	82.60	(-)0.73	₹ 81.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.67				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,10.00	55.55	55.49	(-)0.06	₹ 54.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.45				
3451-00.090.06- वन एवं पर्यावरण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	6,64.00	5,97.03	5,97.03	0.00	संविदा पर नई नियुक्ति ओ.एस.डी. को मानदेय भुगतान के लिए ₹ 3.53 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 71.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.57				

**अनुदान संख्या-19 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2406-01.101.57- वनरोपण योजनाओं का स्वतन्त्र एजेंसी से मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,98.90	0.00	(-)1,98.90	₹1,98.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,98.90				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,32.60	0.00	(-)1,32.60	₹1,32.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,32.60				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.110.37- इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फोरेट मैनेजमेन्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.110.37- इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फोरेट मैनेजमेन्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इण्डिया मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2406-01.110.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37.50	0.00	0.00	0.00	₹ 37.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.50				
2406-01.789.37- इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फोरेट मैनेजमेन्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2406-01.789.37- इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फोरेट मैनेजमेन्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-19 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.796.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,48.54 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	73.54				
	पुनर्वि.	(-)1,48.54				
2406-01.796.48- वन सीमा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
2406-01.796.54- झारपार्क को अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2406-01.800.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	14.03	0.00	(-)14.03	₹ 1,05.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	30.90				
	पुनर्वि.	(-)91.87				

**अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,83,49,56	38,81,12,09	31,09,16,41	(-)7,71,95,68
अनुपूरक	3,97,62,53			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

7,91,73,60

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,28,76,81	4,68,76,81	2,73,38,79	(-)1,95,38,02
अनुपूरक	1,40,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,93,63,02

**टीका और टिप्पणियाँ**

राजस्व :

- (1) ₹ 7,71,95.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 48,39.78 लाख), दिसम्बर 2018 (₹54,15.66 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,95,07.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,97,62.53 लाख का अनुपूरक पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,91,73.60 लाख) अंतिम बचत ( ₹ 7,71,95.68 लाख) से ₹ 19,77.92 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2210-01.103.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)-सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2210-01.110.69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग (राज्य स्कीम) एवं 2210-05.105.02- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेजों, धनबाद (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 3,22.50 लाख, ₹ 3,44.37 लाख एवं ₹ 2,24.51 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 3,69,66.52 लाख, ₹ 40,00.00 लाख एवं ₹ 28,78.51 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.02- जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	23,70.20	20,05.92	20,02.77	(-)3.15	₹ 6,36.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,68.78				
	पुनर्वि.	(-)6,33.06				
2210-01.001.20- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	3,24.59	3,24.59	0.00	₹ 11,75.41 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,75.41				
2210-01.001.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	36,05.82	36,05.82	0.00	₹ 8,94.18 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से निधि की निकासी में बिलम्ब होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	(-)8,94.18				
2210-01.102.54- यूनिवर्सल हेल्प इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	1,86,00.00	1,36,05.46	1,36,05.46	0.00	₹ 49,94.54 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49,94.54				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.05- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धानबाद (स्थापना व्यय)	मूल	21,94.84	21,86.90	21,86.90	0.00	₹ 2,69.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,61.34				
	पुनर्वि.	(-)2,69.28				
2210-01.110.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	28,16.36	24,29.42	24,29.42	0.00	₹ 4,06.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)4,06.94				
2210-01.110.13- सदर अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	98,20.51	1,04,18.38	1,04,18.38	0.00	₹ 15,89.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	21,87.32				
	पुनर्वि.	(-)15,89.45				
2210-01.110.14- अवर-प्रमंडलीय अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	37,34.01	25,53.63	25,53.63	0.00	₹ 12,08.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	28.43				
	पुनर्वि.	(-)12,08.81				
2210-01.110.15- इटकी सैनाटोरियम (स्थापना व्यय)	मूल	9,47.45	7,74.25	7,74.25	0.00	₹ 1,73.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.20				
2210-01.110.66- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए आउटसोर्सिंग (राज्य स्कीम)	मूल	15,50.00	14,95.57	14,95.57	0.00	₹ 7,54.43 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	7,00.00				
	पुनर्वि.	(-)7,54.43				



**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.67- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए दवा, मशीन उपकरण, उपस्कर क्रय सामग्री आपूर्ति एवं डायग्नोस्टि तथा रेडियोलॉजी जांच योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,50.00	3,72.32	3,72.32	0.00	₹ 11,77.68 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,77.68				
2210-01.110.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों/ सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	4,76.36	4,76.36	0.00	₹ 10,23.64 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,23.64				
2210-01.789.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाइकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	5,89.44	5,89.44	0.00	₹4,10.56 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा बिल की स्वीकृत ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.56				
2210-01.789.67- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए दवा, मशीन उपकरण, उपस्कर क्रय सामग्री आपूर्ति एवं डायग्नोस्टिक तथा रेडियोलॉजी जांच योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	60.00	60.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹2,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-01.796.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (राज्य स्कीम)	मूल	6,51.34	6,03.47	6,03.47	0.00	₹ 68.35 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	20.48				
	पुनर्वि.	(-)68.35				
2210-01.796.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	32,74.33	32,74.33	0.00	₹ 7,25.67 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)7,25.67				
2210-01.796.67- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए दवा, मशीन उपकरण, उपस्कर क्रय सामग्री आपूर्ति एवं डायग्नोस्टिक तथा रेडियोलॉजी जाँच योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	1,30.00	1,30.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 5,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,20.00				
2210-01.796.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों/ सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	4,84.44	4,81.97	(-) 5.47	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 5,12.56 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹ 5.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,12.56				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.69- सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य, केन्द्रों, लेबोरेट्रीजकार्यालयों, डाग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	35,65.53	35,35.53	0.00	₹ 4,34.47 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,34.47				
2210-02.101.01- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	13,14.97	11,24.84	11,24.17	(-)0.67	₹ 1,92.24 लाख की प्रतिशत बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2.11				
	पुनर्वि.	(-)1,92.24				
2210-02.200.02- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय-राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा (राज्य स्कीम)	मूल	1,08.87	1,07.91	91.22	(-)16.69	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹38.96 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹16.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	38.00				
	पुनर्वि.	(-)38.96				
2210-03.101.02- स्वास्थ्य उप-केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	63,77.92	54,96.21	54,96.21	0.00	₹9,82.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00.51				
	पुनर्वि.	(-)9,82.22				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-03.103.01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,32,25.65	2,10,41.27	2,08,21.90	(-)2,19.37	₹29,14.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,10.60				
	पुनर्वि.	(-)26,94.98				
2210-03.103.03- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	1,36,46.82	99,20.07	96,58.10	(-)2,61.97	₹ 43,88.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,00.15				
	पुनर्वि.	(-)41,26.90				
2210-03.110.04- रेफरल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	53,49.69	46,02.43	46,02.43	0.00	₹ 9,22.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,75.00				
	पुनर्वि.	(-)9,22.26				
2210-04.101.03- ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (स्थापना व्यय)	मूल	12,46.56	7,24.35	7,23.65	(-)0.70	₹ 5,24.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2.06				
	पुनर्वि.	(-)5,24.27				
2210-04.102.01- होमियोपैथी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,39.29	3,03.40	3,03.40	0.00	₹ 1,36.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.42				
	पुनर्वि.	(-)1,36.31				
2210-04.103.01- यूनानी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,62.17	1,17.07	1,17.07	0.00	₹ 75.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)75.10				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.105.04- प्रशिक्षण-नर्स (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	42.12	42.12	0.00	₹ 57.88 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.88				
2210-05.105.06- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान-सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,34,72.82	1,84,72.82	1,84,72.82	0.00	₹ 80,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	30,00.00				
	पुनर्वि.	(-)80,00.00				
2210-05.105.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	38,70.19	32,66.73	32,66.73	0.00	₹6,04.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.55				
	पुनर्वि.	(-)6,04.01				
2210-05.105.21- हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,12,83.00	86,20.00	86,20.00	0.00	₹ 26,63.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,63.00				
2210-05.105.21- हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,42,06.40	2,08,18.90	2,08,18.90	0.00	₹ 33,87.50 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,87.50				
2210-06.001.02- जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	3,60.59	2,50.07	2,50.07	0.00	₹ 1,10.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.52				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	4,49.85	3,33.67	3,33.67	0.00	₹1,16.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.18				
2210-06.101.01- अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	15,98.38	11,61.94	11,61.94	0.00	₹ 4,39.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	(-)4,39.44				
2210-06.101.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	54,48.13	38,33.56	38,33.20	(-)0.36	₹ 16,19.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.41				
	पुनर्वि.	(-)16,19.98				
2210-06.101.05- अन्य औषधालय (कुष्ठ निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	25,96.50	18,43.34	18,43.23	(-)0.11	₹ 7,53.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.32				
	पुनर्वि.	(-)7,53.48				
2210-06.101.06- अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	5,38.09	4,81.98	4,81.98	0.00	₹ 1,56.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.11				
2210-06.101.10- संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	14,64.02	9,78.41	9,78.41	0.00	₹ 4,85.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,85.61				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.101.11- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (राज्य स्कीम)	मूल	3,65.85	3,24.63	3,24.63	0.00	₹41.22 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.22				
2210-06.101.13- गैर-संचारी रोग (कुष्ठ रोग) (राज्य स्कीम)	मूल	3,48.32	2,49.26	2,49.26	0.00	₹99.52 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वर डाउन होने के कारण कोषागार से ससमय बिल की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.46				
	पुनर्वि.	(-)99.52				
2210-06.102.01- खाद्य अपमिश्रण का निवारण (स्थापना व्यय)	मूल	1,10.27	38.21	36.67	(-)1.54	₹ 72.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। ₹ 1.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.06				
2210-06.104.01- औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	9,78.93	5,12.26	5,12.26	0.00	₹4,67.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.20				
	पुनर्वि.	(-)4,67.87				
2211-00.103.01- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (राज्य स्कीम)	मूल	3,16.37	2,99.66	2,99.66	0.00	₹56.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	39.88				
	पुनर्वि.	(-)56.59				
2251-00.090.07- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,36.52	3,88.19	3,88.19	0.00	₹48.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.33				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.101.63- विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड में लोक स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2210-01.001.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 20,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 1,13,35.96 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	76,35.96				
	पुनर्वि.	(-)1,13,35.96				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./ जी.एन.एम. स्कूल) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./ जी.एन.एम. स्कूल) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				



अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.55- इनसेन्टिव फॉर इस्टाब्लिसिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 2,40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,60.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 1,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.00				
2210-01.110.71- जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों, कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
2210-01.789.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 7,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 7,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.789.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों/सुविधाओं में जीर्णोद्धार, मरम्मत, परिवर्तन आदि (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2210-01.789.71- जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों को आपूर्ति (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2210-01.796.55- इन्सेन्टिव फौर इस्टाब्लिसिंग प्राइवेट मेडिमल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2210-01.796.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 16,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
2210-01.796.63- विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड में लोक स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 15,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2210-01.796.71- जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों, कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8.00.00				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,96.34	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹14,96.34 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,96.34				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,01.07	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹9,01.07 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,01.07				
2210-03.800.14- माल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.101.17- राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,75.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 4,75.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,75.00				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्सेस) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,11.60	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 3,11.60 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,11.60				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्सेस) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,86.65	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति समय नहीं होने के कारण ₹ 6,86.65 लाख सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,86.65				
2210-05.105.22- जी.एन.एम.स्कूलों का बी.एस.सी.नर्सिंग महाविद्यालय में उत्क्रमण (के.से.स्कीम)	मूल	4,18.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 4,18.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.00				
2210-06.001.20- राज्य औषधि नियामक व्यवस्था का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.001.20- राज्य औषधि नियामक व्यवस्था का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-06.101.21- क्षेत्रीय ओपथाल्मोलौजी संस्थान, रिम्स को सहायता अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	मांग की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-06.101.22- दुर्लभ रोगों का ईलाज (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2210-06.101.22- दुर्लभ रोगों का ईलाज (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	मांग की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-06.112.19- त्रिवर्षीय बी.एस.सी. सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2210-06.200.15- स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए सेनेटरी (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

(5) अधिक व्यय निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.05- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	1,25,00.00	1,50,00.00	+25,00.00	₹ 25,00.00 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (6) ₹ 1,95,38.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 1,40,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,93,63.02 लाख) अंतिम बचत (₹ 1,95,38.02 लाख) से ₹ 1,75.00 लाख कम था।
- (8) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.31- सेटिंग अप मेडिको सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	70.00	70.00	0.00	₹ 4,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,30.00				
4210-01.110.42- ट्रॉमा केयर सुविधाएं (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,64.80	1,77.60	1,77.60	0.00	₹ 87.20 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)87.20				
4210-01.110.45- मेडिकल कॉलेजें एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें-आधार भूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	62,00.00	20,79.36	20,79.36	0.00	₹41,20.64 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,20.64				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधार भूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	75,00.00	40,54.52	40,54.52	0.00	₹34,45.48 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,45.48				
4210-01.200.46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेबोरेट्रीज का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	84.80	84.80	0.00	₹3,15.20 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,15.20				
4210-01.200.47- एम्बुलेन्सेज/शव वाहन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,00.00	4,05.00	4,05.00	0.00	₹95.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.00				
4210-01.789.45- मेडिकल कॉलेजें एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें-आधार भूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4210-01.789.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधार भूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	9,27.57	9,27.57	0.00	₹ 5,72.43 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,72.43				
4210-01.796.45 मेडिकल कॉलेजें एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें-आधार भूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	18,43.70	8,84.99	8,84.99	0.00	₹ 9,58.71 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,58.71				

**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.796.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधार भूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	20,27.49	20,27.49	0.00	₹ 39,72.51 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39,72.51				
4210-03.105.09- ए.एन.एम./जी.एन. एम. स्कूल निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	6,28.79	6,28.79	0.00	₹ 71.21 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.21				
4210-03.200.08- आयुष प्रक्षेत्र- आधारभूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	13,38.95	54.31	54.31	0.00	₹12,84.64 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,84.64				

(9) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.41- नए ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4210-01.110.43- तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,65.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 7,65.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,65.00				



**अनुदान संख्या-20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.43- तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,10.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 5,10.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 5,10.00				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलाइड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,11.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 4,11.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,11.00				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलाइड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,74.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 2,74.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,74.00				
4210-01.796.41- नए ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 25.00				
4210-03.789.09- ए.एन.एम./जी.एन. एम. स्कूल निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4210-03.796.09- ए.एन.एम./जी.एन. एम. स्कूल निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमांत

(10) निम्नलिखित मामलों में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.36- नए ट्रॉका सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	25.00	+ 25.00	₹ 25,00.00 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
( उच्च शिक्षा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,19,96,47	12,46,69,47	9,02,25,72	(-) 3,44,43,75
अनुपूरक	26,73,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

3,39,37,86

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 3,44,43.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (₹ 73.00 लाख), एवं जनवरी 2019 (₹ 26,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,73.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,39,37.86 लाख) अंतिम बचत (₹ 3,44,43.75 लाख) से ₹ 5,05.89 लाख कम था।
- (3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	2,82.00	2,56.71	2,56.71	0.00	₹32.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	7.00				
	पुनर्वि.	(-)32.29				
2202-03.102.79- केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46,50.00	39,80.40	39,80.40	0.00	₹18,78.60 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12,09.00				
	पुनर्वि.	(-)18,78.60				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.79- केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	31,00.00	26,53.60	26,53.60	0.00	₹12,52.40 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	8,06.00				
	पुनर्वि.	(-)12,52.40				
2202-03.102.B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	24,08.20	24,08.20	0.00	₹10,91.80 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,91.80				
2202-03.02.B6- वित्त रहित महाविद्यालयों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	13,27.20	9,52.80	(-)3,74.40	₹ 13,72.80 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹3,74.40 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,72.80				
2202-03.102.BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	65,00.00	24,41.13	24,41.13	0.00	₹ 40,58.87 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,58.87				

**अनुदान संख्या-21 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.789.79- केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,00.00	7,70.40	7,70.40	0.00	₹ 3,63.60 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,34.00				
	पुनर्वि.	(-)3,63.60				
2202-03.789.79- केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,00.00	5,13.60	5,13.60	0.00	₹ 2,42.40 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,56.00				
	पुनर्वि.	(-)2,42.40				
2202-03.796.79- केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,50.00	3,85.20	3,85.20	0.00	₹ 1,81.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,17.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.80				
2202-03.796.B1- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	2,56.80	2,56.80	0.00	₹ 1,21.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	78.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.20				
2202-03.796.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2202-03.796.B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	65,00.00	35,84.41	35,84.41	(-)29,15.59	₹ 29,15.59 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,15.59				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202.03.796.B6- वित्त रहित महाविद्यालयों की सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	6,96.00	5,97.60	(-)98.40	₹ 7,04.00 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹94.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,04.00				
2202-03.796.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	45.43	45.43	0.00	₹ 44,54.57 लाख की प्रत्याशित बचत में से विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थीं। ₹ 27,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44,54.57				
2202-03.796.B9- प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला एवं भ्रमण सॉफ्ट स्कूल, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेंट सेल, स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	43.53	27.73	(-)15.80	₹ 4,56.47 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 15.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,56.47				
2202-03.796.BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	65,00.00	14,21.67	14,21.67	0.00	₹ 50,78.33 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,78.33				

**अनुदान संख्या-21 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.B0- परिवहन एवं अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-03.102.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	33,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 33,00.00 लाख की प्रावधान में से, विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 20,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुई थी। ₹ 13,00.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	33,00.00				
2202-03.102.B8- छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 2,86.00 लाख में से ₹ 10,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹ 7,14.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2202-03.102.B9- प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं भ्रमण सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेंट सेल, स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	16.95	0.00	(-) 16.95	₹ 6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान में से 2,83.05 लाख कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई एवं ₹ 3.00 लाख की शेष राशि तथा ₹ 3,16.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितंबर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,83.05				

**अनुदान संख्या-21 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.BB- आई.एस.एम. धानबाद एवं झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भू-अर्जन हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2202-03.796.BO- परिवहन एवं अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-03.796.B8- छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 14,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान में से कोषागार द्वारा ₹ 3,00.00 लाख के विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई। ₹ 11,00.00 लाख की शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.00				
2202-03.796.BB- आई.एस.एम., धनबाद एवं झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भू-अर्जन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				



**अनुदान संख्या 22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2055-पुलिस, 2056- जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	46,86,09,91	48,82,38,46	46,95,34,55	(-)1,87,03,91
अनुपूरक	1,96,28,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,82,81,39

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,04,00,01	5,36,77,02	4,66,87,84	(-)69,89,18
अनुपूरक	3,32,77,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

10,59,13

**टीका और टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

- (1) ₹ 1,87,03.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 5,07.27 लाख), दिसम्बर 2018 (₹1,30,51.62 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 60,69.66 लाख) में प्राप्त किया गया, ₹ 1,96,28.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,82,81.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,87,03.91 लाख) से ₹ 4,22.52 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2055-00.001.12- सुरक्षा व्यय (स्थापना व्यय), 2055-00.101.01-अपराधिक जांच विभाग (स्थापना व्यय), 2055-00.104.02- पैदल सैन्य पुलिस (स्थापना व्यय), 2055-00.104.04-एस.टी.एफ. (झारखण्ड जगुवार) (स्थापना व्यय), 2055-00.104.05-इंडिया रिजर्व बटालियन (स्थापना व्यय), 2055-00.109.01- जिला कार्यकारी बल (स्थापना व्यय) एवं 2070-00.107.01-ग्रामीण (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹2,09.96 लाख, ₹5,62.41 लाख, ₹10,55.23 लाख, ₹1,46.01 लाख, ₹1,62.18 लाख, ₹62,20.98 लाख एवं ₹3,57.85 लाख की बचत, जो क्रमशः, ₹1,35,00.00 लाख, ₹59,12.41 लाख, ₹ 7,82,84.98 लाख ₹2,46,73.50 लाख ₹2,32,14.00 लाख ₹24,51,70.64 लाख एवं ₹63,63.96 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.03- गृह विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	12,74.24	10,39.03	10,28.80	(-)10.23	₹ 2,41.21 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,96.09 लाख की बचत वर्तमान वित्तीय वर्ष से शीर्ष 2055-00.001.04- के अंतर्गत मुख्य पायलट/ पायलट/एयर क्राफ्ट प्रबन्धन इंजीनियर/ गुणवत्ता प्रबंधक तथा ध्रुव हेलीकोप्टर को चलाने के लिए संविदा पर नियुक्त प्रविधिज्ञ को संविदा भत्ता का भुगतान होने के कारण हुई। ₹ 45.12 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	(-)2,41.21				
2052-00.092.20- झारखण्ड/ वनांचल आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	86.88	66.72	59.93	(-) 6.79	₹ 42.38 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	15.43				
	पुनर्वि.	(-)35.59				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.01- अभियोजन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	35,92.09	24,43.27	24,24.33	(-)18.94	₹ 13,15.76 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,48.00				
	पुनर्वि.	(-)12,96.82				
2055-00.001.02- विधि व्यवस्था पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	6,30.29	6,30.29	0.00	₹ 1,69.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.71				
2055-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	16,07.87	17,03.13	16,45.75	(-) 57.38	₹ 5.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि में अपर्याप्त आवंटन के कारण हुई। ₹ 1,85.83 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 57.38 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,76.09				
	पुनर्वि.	(-)1,80.83				
2055-00.003.03- परिवहन-सह- यातायात प्रशिक्षण विद्यालय, जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	2,34.10	2,03.30	2,03.30	0.00	₹ 61.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	30.25				
	पुनर्वि.	(-)61.05				
2055-00.101.05- श्वान दस्ता (स्थापना व्यय)	मूल	70.00	27.15	25.78	(-)1.37	₹ 44.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.85				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.109.97- प्रतिबंधित/कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	2,28.00	2,18.00	(-)10.00	₹82.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2055-00.110.01- चौकीदार-दफादार स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,51,56.64	2,17,67.68	2,17,03.41	(-)64.27	₹34,53.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,88.96				
2055-00.113.01- चिकित्सालय व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,87.03	3,27.28	3,26.68	(-)0.60	₹44.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	85.03				
	पुनर्वि.	(-)44.78				
2055-00.114.02- कम्प्यूटर (स्थापना व्यय)	मूल	85.40	38.10	38.10	0.00	₹ 47.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.30				
2056-00.001.01- जेल निरीक्षणालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,65.46	56.07	2,62.38	+2,06.31	₹3.08 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.39				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2056-00.101.02- जिला जेल (स्थापना व्यय)	मूल	61.14.63	48,72.59	47,73.53	(-)99.06	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹5,99.90 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹6,42.14 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹99.06 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,42.04				
2056-00.101.03- उप जेल (स्थापना व्यय)	मूल	13,97.13	10,95.36	10,71.38	(-)23.98	₹ 3,43.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	17.76				
	पुनर्वि.	(-)3,19.53				
2070-00.105.14- राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार (स्थापना व्यय)	मूल	38.64	7.68	7.68	0.00	₹ 30.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.96				
2070-00.106.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	4,38.54	70.02	70.02	0.00	₹ 3,73.32 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5.50 लाख कार्य योजना की अनुपउलब्धता होने के कारण हुई। ₹ 3,67.82 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4.80				
	पुनर्वि.	(-)3,73.32				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.106.05- मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	65.53	24.36	24.36	0.00	₹ 41.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 19.00 लाख कार्य योजना की अनुपलब्धता होने के कारण हुई। ₹ 22.17 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.17				
2070-00.108.01- अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	19,69.41	17,97.94	17,97.94	0.00	₹ 2,08.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	36.96				
	पुनर्वि.	(-)2,08.43				
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिस कर्मी/ ग्रामीण पुलिस/ होम गार्ड / गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	1,12.70	1,12.70	0.00	₹ 6,87.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,87.30				
2070-00.800.10- उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	19.05	19.05	0.00	₹ 30.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.95				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-01.200.01- झारखण्ड विक्टिम कमपन्शेसन स्कीम-2012 के अन्तर्गत पीड़ित अथवा उनके आश्रित को मुआवजा (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	10,79.69	10,16.84	(-)62.85	₹ 2,53.06 लाख की कुल बचत क कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	7,69.90				
	पुनर्वि.	(-)1,90.21				
2235-02.106.02- परिवीक्षा सेवाएँ (स्थापना व्यय)	मूल	4,53.27	4,08.75	4,18.96	+10.21	₹ 57.07 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	22.76				
	पुनर्वि.	(-)67.28				
2235-60.200.03- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	2,25.00	1,11.06	1,00.67	(-)10.39	₹ 1,24.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.94				
2235-60.200.05- दंगा में प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना व्यय)	मूल	2,50.00	1,95.15	1,57.77	(-)37.38	₹ 1,88.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	96.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.85				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.07- असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2235-60.200.12- 1984 दंगा में पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/ लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹ 69,89.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 3,08,39.90 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 21,36.40 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 3,00.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,32,77.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,59.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 69,89.18 लाख) से ₹ 59,30.05 लाख कम था।
- (7) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,78.00	28,79.18	16,48.77	(-)12,30.41	₹ 12,30.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	27,01.18				
	पुनर्वि.	0.00				



अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम.-राज्यांश)	मूल	1,00.00	5,47.82	64.82	(-)4,83.00	₹ 4,83.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,47.82				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.78- राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	6,80.00	6,11.46	6,11.46	0.00	₹ 68.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.54				
4055-00.796.78- राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,30.00	6,38.96	6,16.95	(-)22.01	₹ 91.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वाहन के क्रय की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 22.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.04				
4070-00.796.83- अग्निशामन सेवा का सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.74- अभियोजन निदेशालय / कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4055-00.796.16- नये उप-कारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की संशोधित तकनीकी स्वीकृति एवं आवासीय परिसर की निर्माण के लिए प्रस्तावित व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4055-00.796.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	18,39.30	0.00	(-)18,39.30	₹ 18,39.30 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	15,39.30				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.796.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	11,34.00	0.00	(-)11,34.00	₹ 11,34.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	9,34.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.45- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.45- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.74- अभियोजन निदेशालय / कार्यालय का निर्माण / सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4070-00.796.63- केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नागरिक सुरक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.800.65- अग्निशामन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	2,44.04	0.00	(-) 2,44.04	₹ 2,44.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,44.04				
	पुनर्वि.	0.00				
4070-00.800.65- अग्निशामन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	56.67	0.00	(-)56.67	₹ 56.67 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	56.67				
	पुनर्वि.	0.00				
4070-00.800.83- अग्निशामन सेवा का सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या 23- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग ( उद्योग प्रमाण )**

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4875-अन्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,56,56,83	4,58,93,89	3,08,08,92	(-)1,50,84,97
दत्तमत	2,37,06			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
( मार्च 2019)

1,03,22,45

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,50,00	11,50,00	6,50,00	(-)5,00,00
दत्तमत	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

5,00,00

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,50,84.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 4.44 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 1,69.31 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 63.31 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,37.06 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,03,22.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,50,84.97 लाख) से ₹ 47,62.52 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.68- जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	40.16	40.16	0.00	₹ 59.84 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 19.84 लाख क्षेत्रीय कार्यालयों से आवंटन की मांग प्राप्त नहीं होने तथा ₹ 40.00 लाख योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.84				
2851-00.103.69- हस्तकरघा विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	67.00	4.32	4.32	0.00	₹ 62.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना की स्वीकृति (₹ 57.00 लाख) नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.68				
2851-00.104.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	88.63	87.03	(-)1.60	₹ 6,61.37 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,00.50 लाख की बचत, (i) निधि की निकासी पर 15 प्रतिशत सीलिंग लागू (₹ 25.53 लाख), (ii) पारित विपत्र का भुगतान नहीं होने (₹ 74.97 लाख) तथा (iii) योजना की स्वीकृति नहीं होने (₹ 4,00.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,60.87 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,61.37				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.104.67- झारखण्ड लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	17,34.85	17,34.85	0.00	₹ 2,65.15 लाख की प्रत्याशित बचत में से, केवल ₹ 20.15 लाख की बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,45.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.15				
2851-00.104.71- झारखण्ड माटीकला बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	7,33.90	5,20.80	5,20.80	0.00	₹ 2,13.10 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,13.10				
2851-00.107.12- रेशम दूतों के माध्यम से न्युकीलियस सीड रियारिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,30.00	1,92.98	1,69.05	(-)23.93	₹ 37.02 लाख की प्रत्याशित बचत पारित विपत्र का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 23.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.02				
2851-00.107.28- मलवारी कीट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30.80	2.40	2.40	0.00	₹ 28.40 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम वर्ष में योजना पूर्ण नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.40				
2851-00.107.29- तसर कीट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,71.41	1,71.41	0.00	₹ 78.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.59				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.107.70- रेशम की विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,19.10	1,30.02	1,30.02	0.00	₹ 89.08 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 55.79 लाख की बचत पारित विपत्र (₹ 50.69 लाख) का भुगतान नहीं होने एवं योजना की स्वीकृति (₹ 5.10 लाख) नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 33.29 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.08				
2851-00.796.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,84.08	60.38	(-)1,23.70	₹ 65.92 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 52.92 लाख की बचत पारित विपत्र का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 13.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,23.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.92				
2851-00.796.06- रेशम के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,60.10	5,78.30	5,78.30	0.00	₹ 1,81.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पारित विपत्र (₹ 1,69.57 लाख) का भुगतान नहीं होने एवं योजना स्वीकृति (₹ 7.10 लाख) नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.80				



**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.26- रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियारिंग (राज्य स्कीम)	मूल	3,20.00	2,93.89	2,37.89	(-)56.00	₹ 26.11 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9.03 लाख की बचत पारित विपत्र का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 17.08 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.11				
2851-00.796.28- मलवारी कीट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	82.66	27.66	(-)55.00	₹ 72.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.34				
2851-00.796.33- आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	12.97	12.97	0.00	₹ 1,87.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,87.03				
2851-00.796.46- रेशम का विकास- रेशम दूतों के माध्यम से न्युकीलियस सीड रियारिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,05.00	1,53.38	1,53.02	(-)0.36	₹ 51.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.62				
2851-00.796.56- समेकित खादी विकास (राज्य स्कीम)	मूल	6,05.00	5,25.00	5,25.00	0.00	₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.68- जिला उद्योग केंद्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	38.50	37.25	(-)1.25	₹ 61.50 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से आवंटन के लिए मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोषागार द्वारा विपत्र वापस करने (₹ 41.50 लाख) तथा योजना की स्वीकृति (₹ 20.00 लाख) नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.50				
2852-80.102.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	21,50.00	21,34.00	14,84.00	(-)6,50.00	₹ 16.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 6,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16.00				
2852-80.102.42- प्रोजेक्ट एवं फिजिब्लिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,09.33	2,09.33	0.00	₹ 40.67 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.67				
2852-80.102.44- विभागीय योजनाओं का प्रचार एवं प्रकाशन योजनाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	4,98.81	4,98.81	0.00	₹ 3,01.19 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,01.19				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.70- झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	16.80	16.80	0.00	₹ 2,83.20 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,83.20				
2852-80.102.81- झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	29,03.47	29,03.47	0.00	₹ 10,96.53 लाख की प्रत्याशित बचत इकाईयों द्वारा आवश्यक प्रपत्र ससमय उपलब्ध नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,96.53				
2852-80.102.82- झारखण्ड टेक्स्टाइल, एप्रेल एवं फूटवेयर नीति-2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,62.93	3,62.93	0.00	₹ 1,37.07 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.07				
2852-80.796.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	45,00.00	19,64.00	(-)25,36.00	₹ 25,36.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.796.70- झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	99.68	99.68	0.00	₹ 50.32 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने कारण होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)50.32				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.74- झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वेट पर सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	9,30.63	2,30.63	(-)7,00.00	₹ 69.37 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 7,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.37				
2852-80.796.78- झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	48.50	48.50	0.00	₹ 2,51.50 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,51.50				
2852-80.796.82- झारखण्ड टेक्स्टाइल, एप्रेल एवं फूटवेयर नीति-2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,60.02	2,60.02	0.00	₹2,39.98 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.98				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.58- रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.102.61- लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.103.18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2851-00.103.60- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.107.10- रेशम विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	80.00	0.00	(-)80.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹20.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹80.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2851-00.789.64- बाँस शिल्पी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता समिति का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2851-00.796.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों का उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.42- हस्तकरघा का विकास हस्तकरघा संसाधन का स्तरोन्नयन सह केन्द्र विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.43- हस्तकरघा का विकास एन.आई.डी. अहमदाबाद के मदद के द्वारा हस्तकरघा विकास केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2851-00.796.55- खादी पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2851-00.796.62- रिलिंग स्पीनिंग के सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 30.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.05- भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	₹50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.07- एसाइड योजना-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.19- उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2852-80.102.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	70.00	0.00	(-)70.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग इकाईयों द्वारा आवश्यक प्रपत्र ससमय उपलब्ध नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2852-80.102.66- खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2852-80.102.76- सेन्ट्रल टूल रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग कोषागार से विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**अनुदान संख्या-23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.78- झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	70.00	0.00	(-)70.00	₹ 1,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत का उपयोग मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2852-80.102.79- झारखण्ड निर्यात नीति 2015 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.80- अमृतसर-दिल्ली- कोलकाता औद्योगिक गलियारे निमित्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.83- मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.84- झारखण्ड ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोबाइल एवं ऑटोकम्पोनेन्ट नीति-2016 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				



अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.86- स्टार्टअप कैपिटल भरुचर फण्ड (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹15,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2852-80.796.05- भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.796.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.796.52- पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग इकाईयों द्वारा आवश्यक प्रपत्र ससमय उपलब्ध नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2852-80.796.65- वास्तविक वाणिज्य-कर भुगतान के विरुद्ध पूँजीनिवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग इकाईयों द्वारा आवश्यक प्रपत्र ससमय उपलब्ध नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2852-80.796.76- सेन्ट्रल टूल रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-23 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.84- झारखण्ड ऑटोमोबाइल एवं ऑटोकम्पोनेन्ट नीति-2016 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.796.85- उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**पूँजी :**

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4885-60.796.01- जिडको को हिस्सापूँजी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

## अनुदान संख्या 24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2220- सूचना एवं प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ, 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,56,70,17	1,70,94,83	1,57,94,02	(-)13,00,81
अनुपूरक	14,24,66			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

13,01,26

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,10,00	14,10,00	12,83,21	(-)1,26,79
अनुपूरक	3,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,26,79

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 13,00.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 (₹ 3,22.22 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 11,02.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,24.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या-24 क्रमशः**

(2) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-01.796.02- झारखंड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,75.00	3,75.00	0.00	₹ 1,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.00				
2220-60.106.02- जिला भ्रमणशील इकाईयाँ (स्थापना व्यय)	मूल	9,24.95	7,57.42	7,57.42	0.00	₹ 1,87.97 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.44				
	पुनर्वि.	(-)1,87.97				
2220-60.106.13- क्षेत्रीय प्रचार योजना- प्रेस क्लब की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	4,41.37	4,41.37	0.00	₹ 5,58.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,58,63				
2220-60.796.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	15.11	15.11	0.00	₹ 44.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.89				
2220-00.090.15- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,73.57	84.27	84.27	0.00	₹ 89.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.30				

**अनुदान संख्या-24 क्रमांत**

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-60.796.13- क्षेत्रीय प्रचार योजना प्रेस क्लब की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2220-60.796.11- पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**पूँजी :**

- (4) ₹ 1,26.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 3,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) बचत ( ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4220-60.796.02- सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.ई.डी. वाहन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	8,06.14	8,06.14	0.00	₹ 93.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	(-)93.86				

**अनुदान संख्या 25- योजना-सह-वित्त विभाग  
( सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	94,30	1,10,00	98,80	(-)11,20
अनुपूरक	15,70			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

11,19

**टीका और टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 11.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 4.18 लाख) तथा दिसम्बर 2018 (₹ 11.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.19- सांस्थिक वित्त विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	94.30	98.81	98.80	(-)0.01
	अनुपूरक	15.70			
	पुनर्वि.	(-)11.19			
₹ 11.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।					

## अनुदान संख्या 26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,42,84,90	2,45,19,42	1,66,63,05	(-)78,56,37
अनुपूरक	2,34,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
( मार्च 2019)

78,40,13

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,83,00	1,00,51,56	13,21,27	(-)87,30,29
अनुपूरक	34,68,56			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

87,30,29

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 78,56.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 26.10 लाख ), दिसम्बर 2018 (₹ 1,59.05 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 49.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,34.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 78,40.13 लाख) , अंतिम बचत (₹ 78,56.37 लाख) से ₹ 16.24 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2235-60.200.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कंबल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 65.71 लाख की बचत जो ₹ 14,31.50 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत कम है के अलावे, बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.001.01- श्रमायुक्त (स्थापना व्यय)	मूल	4,68.80	3,49.47	3,35.66	(-)13.81	₹ 1,42.43 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.50 लाख निधि की माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,39.93 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 13.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	23.10				
	पुनर्वि.	(-)1,42.43				
2230-01.001.03- श्रमयुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	68.65	68.65	0.00	₹ 2,31.35 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,31.35				
2230-01.001.40- झारखंड असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	4,18.73	4,18.73	0.00	₹ 2,81.27 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 36.00 लाख निधि की माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,45.27 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.27				



**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.101.05- औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मंडल (स्थापना व्यय)	मूल	3,44.37	2,79.54	2,79.54	0.00	₹ 69.83 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹28.21 लाख की बचत भाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 41.62 लाख लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)69.83				
2230-01.101.06- श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	5,62.86	4,74.22	4,74.22	0.00	₹ 1,28.64 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3.31 लाख की बचत निधि की माँग प्राप्त नहीं होने ₹ 2.35 लाख एवं मित्तव्यिता (₹ 0.96 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,25.33 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	40.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.64				
2230-01.101.07- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (स्थापना व्यय)	मूल	8,88.56	7,50.83	7,50.34	(-)0.49	₹ 1,63.78 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.50 लाख की बचत भाऊचर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,61.28 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	26.05				
	पुनर्वि.	(-)1,63.78				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.102.01- स्टीम बॉयलर के निरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	70.80	67.86	67.86	0.00	₹ 22.94 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7.06 लाख की बचत भाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹15.88 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)22.94				
2230-01.102.02- कारखानों के निरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	6,17.30	5,48.13	5,49.06	+0.93	₹ 1,64.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹59.21 लाख की बचत डी.डी.ओ. द्वारा निधि की माँग नहीं होने (₹18.00 लाख) एवं भाउचर प्राप्त नहीं होने (₹41.21 लाख) के कारण हुई थी। ₹1,04.96 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	95.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.17				
2230-01.103.01- शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (स्थापना व्यय)	मूल	2,85.03	2,13.84	2,13.54	(-)0.30	₹ 81.49 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹4.86 लाख की बचत भाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 76.63 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	10.30				
	पुनर्वि.	(-)81.49				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.103.35- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,10.00	20.00	20.00	0.00	₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2230-01.796.03- श्रमयुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,92.94	1,92.87	(-) 0.07	₹ 2,07.06 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,25.17 लाख की बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी। ₹81.89 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.06				
2230-01.796.11- आम आदमी बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	80.90	23.83	23.83	0.00	₹ 57.07 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.40 लाख निधि की माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 54.67 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.07				
2230-02.796.35- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	20.00	20.00	0.00	₹ 1,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	1,10.00				
2230-01.796.38- झारखंड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैंटीन की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	14.09	14.09	0.00	₹ 85.91 लाख की प्रत्याशित बचत भाऊचर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.91				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.40- झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	3,78.59	3,78.59	0.00	₹ 4,21.41 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 46.00 लाख की बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,75.41 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,21.41				
2230-02.101.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	2,41.51	83.69	83.69	0.00	₹ 1,57.82 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 61.00 लाख की बचत (i) निधि की माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 2.00 लाख), (ii) क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 55.00 लाख) तथा (iii) जेनरेटर का क्रय नहीं होने (₹ 4.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 96.82 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.82				
2230-02.101.04- रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	11,98.54	9,59.17	9,59.17	0.00	₹ 2,39.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों से सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.37				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.101.35- मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	55.21	55.21	0.00	₹ 1,24.79 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 46.38 लाख की बचत विपत्र पारित होने के उपरांत भी तकनीकी कारणों से कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किये जाने (₹ 34.38 लाख) तथा काउंसिलर हायर करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹12.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹78.41 लाख की की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.79				
2230-02.101.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से. स्कीम)	मूल	1,04.00	8.98	8.98	0.00	₹ 95.02 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 48.41 लाख की बचत विपत्र पारित होने के उपरांत भी कोषागार के तकनीकी कारणों से हुई थी। ₹ 46.61 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.02				
2230-02.789.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	19.88	19.88	0.00	₹ 20.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.12				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.796.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	5,18.49	3,11.40	3,11.40	0.00	₹ 2,07.09 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 93.23 लाख की बचत (i) निधि प्राप्त नहीं होने (₹ 2.00 लाख) (ii) क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 85.23 लाख) और (iii) जेनरेटर का क्रय नहीं होने (₹ 6.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 11,3.86 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.09				
2230-02.796.35- मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,95.00	60.69	60.69	0.00	₹ 1,34.31 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 65.00 लाख की बचत (i) विपत्र पारित होने के उपरांत भी तकनीकि कारणों से कोषागार (ii) द्वारा भुगतान नहीं होने (₹ 45.00 लाख) तथा काउंसिलर हायर करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने ₹ 20.00 लाख के कारण हुई थी। ₹ 69.31 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.31				
2230-02.796.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से. स्कीम)	मूल	1,70.00	5.19	5.19	0.00	₹ 1,64.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.81				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.003.26- मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	5.80	5.80	0.00	₹ 34.20 लाख की प्रत्याशित बचत सभी संस्थानों में वाई-फाई नहीं लगाने ( ₹ 22.20 लाख) तथा कम्प्यूटर लैब की मरम्मत नहीं होने ( ₹ 12.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.20				
2230-03.003.38- व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	10,01.30	10,01.30	0.00	₹ 9,98.70 लाख की प्रत्याशित बचत (i) प्रस्ताव अप्राप्त रहने (₹ 19.19 लाख), (ii) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 46.00 लाख), (iii) कर्मचारियों की बहाली नहीं होने (₹ 2,52.10 लाख) तथा (iv) माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 1,35.85 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,98.70				
2230-03.003.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	3,93.93	3,93.93	0.00	₹ 4,06.07 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,06.07 लाख की बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,06.07				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.101.02- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन-राज्य परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	25,82.77	23,01.51	23,01.51	0.00	₹ 2,81.26 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 2,70.26 की बचत (i) कर्मचारियों की बहाली का कार्य पूर्ण नहीं होने (₹ 2,34.60 लाख) (ii) विद्युत विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 16.52 लाख) (iii) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 12.76 लाख) (iv) माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 3.38 लाख) तथा (v) वाहन की क्रय नहीं होने कार्य पूर्ण नहीं होने (₹ 3.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 11.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.26				
2230-03.789.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,90.31	2,90.31	0.00	₹ 2,09.69 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,73.75 लाख विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 35.94 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.69				



अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.789.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,90.31	2,90.31	0.00	₹ 2,09.69 लाख की प्रत्याशित विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,73.75 लाख की बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 35.94 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.69				
2230-03.796.26- मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	33.00	33.00	0.00	₹ 27.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से (₹ 21.79 लाख) की बचत (i) पुरानी लैब का मरम्मत नहीं होने (₹ 13.91 लाख) तथा (ii) संस्थानों में वाई-फाई नहीं लगने (₹ 7.88 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 5.21 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.00				
2230-03.796.32- शिल्प प्रशिक्षण/ शिक्षु प्रशिक्षण के सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	71.00	35.89	35.89	0.00	₹ 35.11 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 32.87 लाख की बचत कर्मचारियों की बहाली नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2.24 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.11				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.796.38- व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	16,13.98	16,13.98	0.00	₹ 13,86.02 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6.29.17 लाख की बचत (i) कर्मचारियों की बहाली का कार्य पूर्ण नहीं होने (₹ 3,38.62 लाख) (ii) बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 1,93.90 लाख) तथा (iii) माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 96.65 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 7,56.85 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,86.02				
2230-03.796.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	5,50.54	5,50.54	0.00	₹ 6,49.46 लाख की प्रत्याशित (i) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 6,43.07 लाख) तथा (ii) माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 6,39 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,49.46				
2235-60.789.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कंबल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,74.75	1,74.75	0.00	₹ 25.25 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.25				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-60.796.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कंबल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	14,31.50	12,29.04	12,29.04	0.00	₹ 2,02.46 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,02.46				

**पूँजी :**

(4) ₹ 87,30.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 34,68.56 लाख का दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(5) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.001.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	34.64	34.64	0.00	₹ 1,15.36 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.36				
4250-00.203.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवन (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	7,00.00	7,00.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.00 लाख की बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 80.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.203.04 - उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,00.00	44.73	44.73	0.00	₹ 13,31.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,76.31				
	पुनर्वि.	(-)13,31.58				
4250-00.203.04 - उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	29.82	29.82	0.00	₹ 9,21.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,50.87				
	पुनर्वि.	(-)9,21.05				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,00.00	63.82	63.82	0.00	₹ 24,11.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	14,74.83				
	पुनर्वि.	(-)24,11.01				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,00.00	1,02.55	1,02.55	0.00	₹ 15,64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	8,66.55				
	पुनर्वि.	(-)15,64.00				

**अनुदान संख्या-26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	67.32	67.32	0.00	₹ 2,92.68 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,42.72 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 49.96 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.68				
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	43.05	43.05	0.00	₹ 1,96.95 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,63.65 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 33.30 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.95				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.789.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.00 लाख की बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4,80.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-26 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवन (राज्य स्कीम)	मूल	12,61.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,61.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 20.00 लाख की बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 12,41.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,61.00				

## अनुदान संख्या 27- विधि विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2014- न्याय प्रशासन, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,67,05,71	4,04,07,51	3,50,94,30	(-)53,13,21
अनुपूरक	37,01,80			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

52,86,15

### टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 53,13.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,21.00 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 32,99.30 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,81.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 37,01.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 52,86.15 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,13.21 लाख) से ₹ 27.06 लाख कम था।
- (3) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.105.01- सिविल और सेशन न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,28,27.82	3,24,65.73	3,24,58.57	(-) 7.16	₹ 36,89.39 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई। ₹ 7.16 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	33,27.30				
	पुनर्वि.	(-)36,89.39				
2014-00.105.03- ग्राम न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,19.95	20.87	20.87	0.00	₹ 3,99.08 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,99.08				

**अनुदान संख्या-27 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.114.01- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना व्यय)	मूल	3,97.84	3,71.13	3,71.13	0.00	₹ 1,76.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,49.50				
	पुनर्वि.	(-)1,76.21				
2014-00.114.02- निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	7,38.64	5,99.87	5,97.43	(-)2.44	₹ 2,38.77 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई। ₹ 2.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.77				
2014-00.114.03- सरकारी मुकदमें (स्थापना व्यय)	मूल	9,20.00	7,83.38	7,83.38	0.00	₹ 1,36.62 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.62				
2014-00.114.04- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशियल एकेडमी) (स्थापना व्यय)	मूल	4,01.14	3,88.55	3,88.55	0.00	₹ 62.59 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)62.59				
2014-00.114.06- स्थानीय लोक अदालत-अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	86.80	86.00	0.00	₹ 3,13.20 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,13.20				
2025-00.090.18- विधि विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,39.40	3,06.62	3,06.62	0.00	₹ 2,32.78 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,32.78				



## विनियोग संख्या 28- झारखंड उच्च न्यायालय

(मुख्य शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	96,68,31	98,87,83	89,72,44	(-)9.15,39
अनुपूरक	2,19,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

8,19,02

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 9,15.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,98.02 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹ 21.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,19.52 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,19.02 लाख), अंतिम बचत (₹9,15.39 लाख) से ₹96.37 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2014-00.102.01- उच्च न्यायालय राँची (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹6,95.99 लाख की बचत, जो कि ₹90,21.26 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.102.03- झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (स्थापना व्यय)	मूल	8,66.56	7,37.19	6,47.18	(-)90.01	₹1,29.38 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता के कारण हुई। ₹ 90.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.01				
	पुनर्वि.	(-)1,29.38				

**अनुदान संख्या 29- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग  
( खान एवं भूतत्व प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	82,99,24	83,45,24	41,86,33	(-)41,58,91
अनुपूरक	46,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

41,58,91

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	75,00	75,00	0,00	(-)75,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

75,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 41,58.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसंबर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 46.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-29 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2853-02.102.01- भूगर्भ स्थापना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 62.19 लाख की बचत, जो ₹ 14,85.04 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2853-02.001.01- खनन स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	27,07.89	14,75.67	14,75.67	0.00	₹ 12,32.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,32.22				
2853-02.001.07- खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	17,74.00	6,76.28	6,76.28	0.00	₹ 10,97.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,97.72				
2853-02.102.20- भूगर्भ स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	21,51.00	4,07.06	4,07.06	0.00	₹ 17,43.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,43.94				
3451-00.090.04- खनन एवं भूतत्व विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,27.31	2,04.47	2,04.47	0.00	₹ 22.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.84				

अनुदान संख्या-29 क्रमांत

पूँजी :

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4853-02.004.01- खनन स्थापना- मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	निर्माण से संबंधित अनुमानित व्यय की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4853-02.004.03- भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लेने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

## अनुदान संख्या 30- कल्याण विभाग ( अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,12,88	2,67,32	1,99,35	(-)67,97
अनुपूरक	54,44			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	93,50,00	95,99,67	60,73,85	(-)35,25,82
अनुपूरक	2,49,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

12,35,58

(मार्च 2019)

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 67.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 22.00 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 24.98 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 7.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 54.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या-30 क्रमशः**

(3) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2250-00.101.02- झारखण्ड राज्य हज कमिटी को अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	38.88	35.04	13.66	(-)21.38	₹3.84 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹21.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.84				
2251-00.090.14- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-15 सूत्री कार्यक्रम समिति (स्थापना व्यय)	मूल	22.81	22.81	5.72	(-)17.09	₹17.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी:**

(4) ₹ 35,25.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,64.67 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹ 85.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,49.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,35.58 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,25.82 लाख) से ₹ 22,90.24 लाख कम था।

(6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	74.75	(-)25.25	₹25.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-30 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.02- साइकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	11,00.00	9,78.86	(-)1,21.14	₹1,21.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	14,00.00	8,12.69	(-)5,87.31	₹ 6,87.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4225-80.277.04- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	80.20	80.20	0.00	₹19.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19.80				
4225-80.277.05- कियोस्क निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	74.71	54.04	(-)20.67	₹ 20.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.29				
4225-80.277.20- मल्टी-सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	17.50	17.41	(-)0.09	₹ 82.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.50				
4225-80.796.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	68.00	(-)32.00	₹ 32.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-30 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.02- साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	5,80.86	(-)4,19.14	₹ 4,19.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	13,00.00	11,62.37	(-)1,37.63	₹ 3,37.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,00.00				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,00.00	10,00.00	4,65.07	(-)5,34.93	₹ 5,34.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,00.00	7,00.00	4,45.05	(-)2,54.95	₹ 2,54.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	67.83	61.27	(-)6.56	₹ 38.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.17				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.10- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				



**अनुदान संख्या-30 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.14- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4225-80.796.07- अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.10- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-80.796.14- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4225-80.796.21- अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के.से. स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**अनुदान संख्या 31- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( संसदीय कार्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,45,37	1,45,37	98,69	(-)46,68
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

45,36

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 45.36 लाख), अंतिम बचत (₹ 46.68 लाख) से ₹ 1.32 लाख कम था।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2052-00.090.22- संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)	मूल	1,45.37	1,00.00	98.69	(-)1.31	₹ 45.37 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4.00 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹ 42.68 लाख की शेष कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.37				

## अनुदान संख्या 32- विधान सभा

(मुख्य शीर्ष - 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	94,02,23	97,22,73	88,50,19	(-)8,72,54
अनुपूरक	3,20,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

8,68,14

राजस्व:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	61,96	64,96	58,67	(-)6,29
अनुपूरक	3,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

6,29

टीका एवं टिप्पणियाँ:

दत्तमत:

- (1) ₹ 8,72.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 27.00 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 2,88.50 लाख) तथा जनवरी 2019 (₹ 5.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,20.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,68.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,72.54 लाख) से ₹ 4.40 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-32 क्रमांत**

- (3) शीर्ष 2011-02.103-01-विधानसभा सचिवालय (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 2,55.56 लाख की कुल बचत, जो ₹ 58,98.51 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.04- सचेतकगण का कार्यालय	मूल	2,15.17	1,92.84	1,92.82	(-)0.02	₹ 22.33 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.33				
2011-02.101.07- सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन	मूल	13,18.00	7,80.51	7,80.51	0.00	निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण ₹ 8.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5,29.49 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,37.49				

**प्रभारित :**

- (4) ₹ 6.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 3.00 लाख की अनुपूरक विनियोग पुर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या 33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग  
( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2220-सूचना एवं प्रचार)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	28,73,88	30,96,29	26,59,19	(-)4,37,10
अनुपूरक	2,22,41			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,37,10

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 4,37.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2018 (₹2,05.41 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 17.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,22.40 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) शीर्ष 2052-00.090.04- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्थापना व्यय) तथा 2220-60.001.02- राज्य सूचना आयोग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 32.34 लाख तथा ₹ 28.16 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹ 11,68.94 लाख तथा ₹ 3,22.71 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.003.05- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	7,28.41	3,93.60	3,93.60	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)3,34.81			
₹3,34.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।					

## विनियोग संख्या 34- झारखंड लोक सेवा आयोग

(मुख्य शीर्ष - 2051 - लोक सेवा आयोग)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,33,59	12,63,59	9,80,17	(-)2,83,42
अनुपूरक	3,30,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,83,42

### टीका एवं टिप्पणियाँ

- (1) ₹ 2,83.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 (₹ 50.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,80.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,30.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2051-00.102.01- लोक सेवा आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	9,33.59	9,80.17	9,80.17	0.00
	अनुपूरक	3,30.00			
	पुनर्वि.	(-)2,83.42			
₹ 2,83.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।					

## अनुदान संख्या 35- योजना-सह-वित्त विभाग ( योजना प्रभाग )

( मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	6,75,87.36	8,86,46,02	5,59,87,30	(-)3,26,58,72
अनूपूरक	2,10,58,66			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

3,19,91,19

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	5,79	5,79	0.00	(-)5,79
अनूपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

5,79

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 3,26,58.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 ( ₹ 2,07,64.39 लाख ) एवं जनवरी 2019 ( ₹ 2,94.27 लाख ) में प्राप्त किया गया ₹ 2,10,58.66 लाख का अनूपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 3,19,91.19 लाख ), अंतिम बचत ( ₹ 3,26.58.72 लाख ) से ₹ 6,67.53 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-35 क्रमशः**

(3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.09- योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	7,06.50	5,22.33	5,20.64	(-)1.69	₹ 1,85.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.17				
2052-00.092.10- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग-परियोजना संगठन (स्थापना व्यय)	मूल	93.93	69.92	66.00	(-)3.92	₹ 1,27.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	99.16				
	पुनर्वि.	(-)1,23.17				
2053-00.094.03- योजना तंत्र का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	7,39.77	5,72.95	5,71.37	(-)1.58	₹ 1,68.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.82				
2053-00.094.34- कैपेसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभेसन / पी.पी.पी. वर्कशाप आदि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,41.18	4,39.04	(-)2.14	₹ 1,60.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.82				
2053-00.796.17- संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क एवं नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	1,02.30	45.44	45.04	(-) 0.40	₹ 56.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.86				



अनुदान संख्या-35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.34- कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभोसन/ पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि (राज्य स्कीम)	मूल	6,10.00	3,66.51	4,06.18	+39.67	₹ 2,43.49 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 39.67 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,43.49				
2053-00.796.40- 20 सूत्री कार्यक्रम (सांख्यिकी वित्त डिवीजन) (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	82.97	59.19	(-)23.78	₹ 1,40.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.03				
2053-00.796.42- झारखण्ड राज्य राजकोषीय अध्ययन तथा सुधार संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,00.51	95.23	(-)5.28	₹ 3,04.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,99.49				
2053-00.796.43- छः पिछड़ा जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,00,00.00	1,03,52.33	1,03,52.33	0.00	₹ 1,96,47.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96,47.67				
3454-02.204.02- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	19,09.86	16,27.84	16,06.42	(-)21.42	₹ 3,03.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,82.02				

**अनुदान संख्या-35 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3454-02.204.05- प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,43.09	1,20.25	1,11.55	(-)8.70	₹ 1,31.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.84				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	2,79.26	75.00	75.00	0.00	₹ 2,04.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,04.26				
3454-02.796.03- फसल सांख्यिकी सुधार के निमित्त योजना (के.से. स्कीम)	मूल	55.00	15.31	15.31	0.00	₹ 39.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.69				
3454-02.796.12- क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (के.से. स्कीम)	मूल	50.00	18.43	18.43	0.00	₹ 31.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.57				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.41- राज्य विकास परिषद् को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-35 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.800.43- छ: पिछड़ा जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				
3454-02.204.14- 6वीं आर्थिक गणना का संचालन (के.से.स्कीम)	मूल	42.71	0.00	0.00	0.00	₹ 42.71 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.71				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (के.से. स्कीम)	मूल	2,94.26	5,88.53	0.00	(-)5,88.53	₹ 5,88.53 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,94.27				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,54,70,82	18,20,13,38	13,65,17,88	(-)4,54,95,50
अनुपूरक	65,42,56			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,54,95,67

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,19,10,00	5,19,10,00	4,00,12,51	(-)1,18,97,49
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,18,97,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 4,54,95.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 18,24.65 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 43,07.26 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 4,10.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65,42.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-36 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (स्थापना व्यय), 2215-01.102.03- हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं उच्च दाब नलकूप (स्थापना व्यय), 2215.01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश) तथा 2215-02.107.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अन्तर्गत ₹ 1,10.54 लाख, ₹ 2,37.68 लाख, ₹ 1.88.90 लाख तथा ₹ 15,18.96 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹ 40,99.39 लाख, ₹ 94,46.31 लाख, ₹ 41,67,00 लाख तथा ₹ 3,36,44.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2215-01.101.04- नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना व्यय)	मूल	36,72.69	31,89.53	31,88.10	(-)1.43	₹ 7,95.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,11.21				
	पुनर्वि.	(-)7,94.37				
2215-01.102.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	91,81.00	80,57.72	80,57.72	0.00	₹ 11,23.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,23.28				
2215-01.102.14- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	2,38.31	2,40.36	+2.05	₹ 9,59.64 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,61.69				
2215-01.789.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	25,09.00	21,45.06	21,45.06	0.00	₹ 3,63.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,63.94				
2215-01.789.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	21,22.00	17,72.87	17,72.87	0.00	₹ 3,49.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,49.13				

**अनुदान संख्या-36 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (क्रे.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,23,06.00	56,14.94	35,83.75	(-)20,31.19	₹ 87,22.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66,91.06				
2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	93,11.00	85,12.80	71,58.68	(-)13,54.12	₹ 21,52.32 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,98.20				
2215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	99.14	99.14	0.00	₹ 7,00.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.86				
2215-01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	33,41.00	28,91.13	28,91.13	0.00	₹ 4,49.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,49.87				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,23,78.00	1,17,09.46	89,30.93	(-)27,78.53	₹ 34,47.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,68.54				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	64,98.00	63,33.92	44,81.57	(-)18,52.35	₹ 20,16.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.08				

**अनुदान संख्या-36 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.789.13- रूरल सेनिटेशन हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				
2215-01.796.13- रूरल सेनिटेशन हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	19,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 19,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,00.00				
2215-02.107.13- रूरल सेनिटेशन हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	32,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 32,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,00.00				

(4) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-02.107.11- ग्रामीण स्वच्छता (एम.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,41,86.00	2,03,23.60	3,09,42.11	+1,06,18.51	₹ 2,38,62.40 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,06,18.51 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38,62.40				

**अनुदान संख्या-36 क्रमशः**

(5) निम्नलिखित मामलों में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

2215-02.789.11- यू.एल.बी. से ठोस कूड़ा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	20,31.19	+20,31.19	₹ 20,31.19 लाख की बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-02.789.11- यू.एल.बी. से ठोस कूड़ा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	13,54.13	+13,54.13	₹ 13,54.13 लाख की बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-02.796.11- यू.एल.बी. से ठोस कूड़ा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	27,78.53	+27,78.53	₹ 27,78.53 लाख की बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-02.796.11- यू.एल.बी. से ठोस कूड़ा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	18,52.35	+18,52.35	₹ 18,52.35 लाख की बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

(6) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति		
4215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	1,59,20.00	1,33,65.62	1,33,65.62	0.00	₹ 25,54.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,54.38				
4215-01.102.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	28,00.00	22,77.16	22,77.16	0.00	₹ 5,22.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,22.84				



**अनुदान संख्या-36 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.789.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	91,29.00	77,36.18	77,36.18	0.00	₹ 13,92.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,92.82				
4215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	2,28,11.00	1,59,63.77	1,59,63.28	(-)0.49	₹ 68,47.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68,47.23				
4215-01.796.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	6,60.96	6,60.96	0.00	₹ 5,39.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,39.04				

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 30.00				

**अनुदान संख्या 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ( राजभाषा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,57,71	24,97,71	23,72,50	(-)1,25,21
अनुपूरक	1,40,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1.25,21

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹ 1,25.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 1,40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (3) शीर्ष 2053-00.094.08- राजभाषा स्थापना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 99.04 लाख की बचत जो ₹ 23,31.75 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.11- राजभाषा विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,65.61	1,39.79	1,39.79	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)25.82			
₹ 25.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः एक कर्मचारी के भुगतान नहीं होने (₹ 24.75 लाख) एवं बिल कम प्राप्त होने (₹ 0.52 लाख) के कारण हुई।					

**अनुदान संख्या 38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( निबंधन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,06,07	27,41,62	22,08,12	(-)5,33,50
अनुपूरक	2,35,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

5,33,81

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 5,33.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 0.25 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,35.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,35.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2030-02.101.01- केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	4,50.00	2,38.39	2,38.39	0.00	₹ 2,11.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,11.61				
2030-02.101.02- प्रतिभूति प्रेस हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	₹ 1,01.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,01.60				
	पुनर्वि.	(-)1,01.60				

**अनुदान संख्या-38 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2030-03.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	15,59.28	13,57.99	13,58.30	+0.31	₹ 2,02.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.45				
	पुनर्वि.	(-)2,02.74				
2030-03.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,01.06	2,16.51	2,16.51	0.00	₹ 84.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.55				

**अनुदान संख्या 39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,13,07,68	9,08,13,65	4,70,32,67	(-)4,37,80,98
अनुपूरक	1,95,05,97			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

44,01

**टीका एवं टिप्पणीयाँ :**

- (1) ₹ 4,37,80.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 37.76 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 1,94,49.21 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 19.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,95,05.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) ₹ 4,37,80.98 लाख के वृहत अंतिम बचत के विरुद्ध मात्र ₹ 44.01 लाख का प्रत्यार्पण किया गया।
- (3) शीर्ष 2245-80.102.11- बज्रपात प्रभावित लोगों के लिए / सहायता अनुदान (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 1,11.75 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 12,00.00 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-01.001.01- प्राकृतिक आपदाओं से संबन्धित स्थापना व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,21.33	1,88.32	1,78.06	(-)10.26	₹44.01 लाख की प्रत्याशित बचत (i) (₹25.15 लाख) सेवानिवृति तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण, (ii) (₹10.31 लाख) विपत्रों का लंबित होने (iii) (₹8.54 लाख) विपत्रों का उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी। ₹10.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)44.01				

**अनुदान संख्या-39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.06- अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	20,00.00	2,07.11	(-)17,92.89	₹ 17,92.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.102.02- पीने के पानी की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	11,00.00	11,00.00	2,59.77	(-)8,40.23	₹ 8,40.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.102.03- ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति हेतु चापानल और ट्यूबवेल की मरम्मती (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	1,14,36.35	20,00.00	(-)94,36.35	₹ 94,36.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	94,36.35				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.101.03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	6,00.00	46.14	(-)5,53.86	₹ 5,53,86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.113.02- बाढ़, चक्रवात, ओला वृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना। (स्थापना व्यय)	मूल	35,00.00	35,00.00	1,46.08	(-)33,53.92	₹ 33,53.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.113.03- आग से जले मकानों की मरम्मति/ पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	3,00.00	91.41	(-)2,08.59	₹ 2,08.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.114.01- (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) कृषि इनपुट अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	2,00.00	31.65	(-)1,68.35	₹ 1,68.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.101.16- 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन। (स्थापना व्यय)	मूल	21,04.50	21,04.50	44.31	(-)20,60.19	₹ 20,60.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	30,00.00	2,09.17	(-)27,90.83	₹ 27,90.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.02- संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निस्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (स्थापना व्यय)	मूल	42,10.00	42,10.00	68.14	(-)41,41.86	₹ 41,41.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.13- शीतलहरी से प्रभावित निःसहाय्यों को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	2,00.00	56.78	(-)1,43.22	₹ 1,43.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-39 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.01- निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1, 00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.101.07- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50% से अधिक) (स्थापना व्यय)	मूल	22,00.00	1,22,00.00	0.00	(-)1,22,00.00	₹ 1,22,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.101.08- खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.101.09- अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				



**अनुदान संख्या-39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.102.01- ट्रकों एवं टैंकों से पेयजल की ढुलाई (स्थापना व्यय)	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00	(-)11,00.00	₹ 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने की सूचना नहीं दी गई है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.102.04- शहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल जलापूर्ति आधारभूत संरचना की रख-रखाव/ पुनर्थापना/ सुसज्जीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.104.01- चारे की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.282.01- दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.101.02- खाद्यान्नों की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,10.00	1,10.00	0.00	(-) 1,10.00	₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.07- अंतर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए वस्त्र/ कंबल आदि का वितरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.282.01- मानव दवाओं की आपूर्ति। (स्थापना व्यय)	मूल	1,02.00	1,02,00.00	0.00	(-) 1,02.00	₹ 1,02.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.12- भू-धसान से प्रभावितों को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.14- अन्तर्राज्यीय आपदा के निमित्त राहत शिविर की व्यवस्था (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या-39 क्रमशः

### (5) राज्य आपदा मोचन निधि:

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिए किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के लिए निधि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिए दिशा निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाले वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए:

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़
	(₹ करोड़ में)					
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	2,73.00	2,86.50	3,00.75	3,15.75	3,31.50	15,07.50
राज्यांश (25 प्रतिशत)	91.00	95.50	1,00.25	1,05.25	1,10.50	5,02.50
<b>जोड़</b>	<b>3,64.00</b>	<b>3,82.00</b>	<b>4,01.00</b>	<b>4,21.00</b>	<b>4,42.00</b>	<b>20,10.00</b>

वर्ष 2018-19 के लिए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या-एफ 18(1)@ 2018 एफ.सी.डी.-दिनांक 13-07-2018 एवं एफ. 18(1)2018 / एफ.सी.डी. दिनांक 13-03-2019 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिए ₹ 3,15.75 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त दोनों (₹1,57.88 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 52.63 करोड़ का राज्यांश) तथा (₹1,57.87 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 52.62 करोड़ का राज्यांश) स्वीकृति आदेश संख्या-02 आ.प्र.-101/2011 (खण्ड-II)-76 (स्वी.) आ.प्र./राँची दिनांक 09/08/2018 एवं 2/आ.प्र.-101/2011 (खण्ड-II) 219 (स्वी.)/आ.प्र. राँची दिनांक 29.03.2019 संस्वीकृति प्रदान किया। अतः वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 4,21.00 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया।

### अनुदान संख्या-39 क्रमांत

वर्ष 2018-19 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गए वास्तविक व्यय के जाँचोपरांत वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 41.95 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिए था। तदनुसार वर्ष 2018-19 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 41.95 करोड़ नामे किया गया।

अतः 31 मार्च 2019 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 19,30.09 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग  
( राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2053 जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	5,67,40,17	6,03,53,31	4,82,24,55	(-)1,21,28,76
अनुपूरक	36,13,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,20,26,97

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	55,00,14	56,13,76	52,79,30	(-)3,34,46
अनुपूरक	1,13,62			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

3,34,45

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

राजस्व:

- (1) ₹ 1,21,28.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,50.31 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 34,62.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36,13.14 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 1,20,26.97 लाख), अंतिम बचत ( ₹ 1,21,28.76 लाख) से ₹ 1,01.79 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-40 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.101.01- मानकी/मुण्डा/ डाकुआ/प्रधान/ ठीकेदार के लिए सम्मान (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	21,63.97	21,63.97	0.00	₹ 13,36.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)13,36.03				
2029-00.102.05- आदिवासियों को जमीन वापसी/ अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	37.00	3.00	3.00	0.00	₹ 34.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.00				
2029-00.102.15- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	32,26.40	22,93.02	22,93.02	0.00	₹ 9,51.38 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	(-)9,51.38				
2029-00.102.19- बाह्य स्रोत / अनुबन्ध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	18,50.00	16,31.93	16,31.93	0.00	₹ 4,18.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.07				
2029-00.102.20- मशीन, उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि। (राज्य स्कीम)	मूल	14,80.00	10,08.61	10,08.61	0.00	₹ 4,71.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,71.39				

**अनुदान संख्या-40 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.104.01- राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित ) (स्थापना व्यय)	मूल	2,62,12.48	2,22,08.80	2,22,07.59	(-)1.21	₹ 40,53.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	50.13				
	पुनर्वि.	(-) 40,53.81				
2029-00.104.18- कोषागार में जमा राशि की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	14.25	14.25	0.00	₹ 1,35.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.75				
2029-00.796.20- मशीन, उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि (राज्य-स्कीम)	मूल	5,20.00	4,60.23	4,60.23	0.00	₹ 59.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.77				
2052-00.090.17- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	7,67.00	5,79.42	5,77.42	(-)2.00	₹ 1,91.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)1,89.58				
2052-00.092.04- भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	11,25.42	10,56.93	10,56.93	0.00	₹ 1,68.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,00.03				
	पुनर्वि.	(-)1,68.52				
2052-00.099.01- सामान्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,86.63	2,47.01	2,47.01	0.00	₹ 51.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	11.50				
	पुनर्वि.	(-)51.12				

**अनुदान संख्या-40 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.099.04- भू अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	81.68	52.35	52.35	0.00	₹ 29.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.33				
2053-00.093.01- जिला प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	95,41.77	83,61.24	83,59.80	(-)1.44	₹ 25,49.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	13,69.15				
	पुनर्वि.	(-)25,49.68				
2053-00.094.01- अवर प्रमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	50,92.18	41,35.22	41,35.41	+0.19	₹ 9,57.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.52				
	पुनर्वि.	(-)9,57.48				
2053-00.094.04- प्रमाण-पत्र स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	3,57.66	2,17.55	2,17.25	(-) 0.30	₹ 1,40.11 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.11				
2053-00.094.05- प्रक्रियापालक स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,81.59	5,35.63	5,35.63	0.00	₹ 1,45.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.96				
2053-00.101.01- मुख्य कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	7,46.64	8,87.80	7,90.48	(-)97.32	₹ 97.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,41.16				
	पुनर्वि.	0.00				



**अनुदान संख्या-40 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.115.03- सर्किट भवन (स्थापना व्यय)	मूल	4,05.56	3,23.35	3,23.35	0.00	₹ 1,52.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	70.00				
	पुनर्वि.	(-)1,52.21				
3454-01.001.01- कृषि गणना (के.से. स्कीम)	मूल	1,00.00	21.76	21.76	0.00	₹ 78.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.24				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.102.22- विविध-अभिलेखों का मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹ 3,34.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर, 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 1,13.62 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) शीर्ष 4047-00.800.05-राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/जीर्णोधार (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 3,33.08 लाख की बचत, जो ₹ 40,70.00 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

## अनुदान संख्या 41- पथ निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 3054-सड़क तथा सेतु, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,59,87,90	4,59,91,78	2,55,27,89	(-)2,04,63,89
अनुपूरक	3,88			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

54,29,11

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	40,00,00,00	40,00,00,00	38,43,01,42	(-)1,56,98,58
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,15,62,35

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व :

- (1) ₹ 2,04,63.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹3,39 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹0,49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3.88 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 54,29.11 लाख), अंतिम बचत (₹2,04,63.89 लाख) से ₹ 1,50,34.78 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-41 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 3054-80.001.02- सम्पादन (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 3,59.47 लाख की बचत, जो कि ₹ 86.66.03 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054-01.337.01- राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	27,17.23	52.04	(-)26,65.19	₹ 29,47.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,82.77				
3054-30.337.01- सड़क निर्माण कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	1,50,00.00	1,15,62.22	1,12,24.56	(-)3,37.66	₹37,75.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,37.78				
3054-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	13,78.97	10,97.08	10,97.34	+0.26	₹2,81.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.89				
3054-80.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	12,81.09	11,39.68	11,38.29	(-)1.39	₹1,42.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.41				
3054-80.001.05- निरूपण (स्थापना व्यय)	मूल	8,34.69	7,14.56	7,14.56	0.00	₹1,20.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.49				
	पुनर्वि.	(-)1,20.62				
3054-80.001.06- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,76.43	1,36.93	1,36.93	0.00	₹39.50 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.50				

**अनुदान संख्या-41 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054-80.001.07- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	2,86.23	2,47.87	2,47.87	0.00	₹38.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.36				
3054-80.001.08- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय)	मूल	21,87.07	17,19.43	17,17.99	(-) 1.44	₹4,69.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.66				
	पुनर्वि.	(-)4,68.30				
3054-80.001.09- अग्रिम योजना स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	8,44.43	6,04.15	5,99.32	(-)4.83	₹2,46.40 के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.29				
	पुनर्वि.	(-)2,41.57				
3451-00.090.12- पथ निर्माण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,08.65	2,08.28	2,08.28	0.00	₹1,00.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.37				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054-80.797.01- आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण केंद्रीय पथ निधि (स्थापना व्यय)	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	0.00	(-)1,20,00.00	₹ 1,20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-41 क्रमशः**

**पूँजी :**

- (5) शीर्ष 5054-03.337.01-वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम) एवं 5054.03.796.01- वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 72,81.37 लाख एवं ₹ 10,83,32 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 13,61,80.00 लाख एवं ₹ 14,55,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.052.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,99.12	98.45	98.45	0.00	₹ 1,00.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.67				
5054-03.101.03- पुल (राज्य स्कीम)	मूल	1,49,00.00	1,20,23.39	1,05,73.40	(-) 14,49.99	₹ 43,26.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,76.61				
5054-03.337.02- केन्द्रीय पथ निधि (के.से. स्कीम)	मूल	75,00.00	55,32.99	51,56.02	(-) 76.97	₹ 23,43.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,67.01				
5054-03.796.02- केन्द्रीय पथ निधि (के.से. स्कीम)	मूल	45,00.00	10,99.91	10,99.91	0.00	₹ 34,00.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,00.09				
5054-03.796.03- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-पुल (राज्य स्कीम)	मूल	1,99,00.00	1,94,79.49	1,63,58.42	(-)31,21.07	₹ 35,41.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,20.51				

**अनुदान संख्या-41 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.796.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,07.00	5,07.00	3,96.70	(-)1,10.30	₹ 1,10.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(6) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.799.01- विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	15,86.43	+15,86.43	₹ 15,86.43 लाख बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(7) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 15,86.43 लाख (निवल) का उपयोग “उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम** -इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

**अनुदान संख्या-41 क्रमशः**

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान हुए लेने-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2019 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
<b>(i) 3054-सड़क तथा सेतु</b>					
विविध निर्माण	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
कार्य अग्रिम					
जोड़	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
<b>(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
स्टॉक	(-) 1.26	0.00	0.00	0.00	(-) 1.26
विविध निर्माण	8,02,93.68	15,86.43	0.00	15,86.43	8,18,80.11
कार्य अग्रिम					
जोड़	8,02,92.42	15,86.43	0.00	15,86.43	8,18,78.85

**(8) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-**

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिस्पर्शी नामों द्वारा शीर्ष "8224-केन्द्रीय सड़क निधि" में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान' में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान' में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" में प्रतिस्पर्शी नामे द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष '3054/5054' में पुस्तान्कित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष "3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि" में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा" में डेबिट करते हुए लेखान्कित किया जाता है।

**अनुदान संख्या-41 क्रमांत**

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से ₹63,33.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” में अन्तरण के लिए “शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” के अन्तर्गत अनुपूरक बजट, 2019-20 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रक्षा गया है।

**(9) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:**

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (₹लाख में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2016-17	34,78,58.86	1,09,80.49	2.50	1,15.12	0.03
2017-18	51,82,21.05	1,45,88.95	2.18	0.00	0.00
2018-19	40,96,21.03	2,53,19.61	6.18	4,95.15	0.12



**अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण विकास प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	61,70,43,24	62,73,10,28	41,88,42,05	(-)20,84,68,23
अनुपूरक	1,02,67,04			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

21,31,69,95

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,44,64,00	5,54,82,35	5,19,71,59	(-)35,10,76
अनुपूरक	10,18,35			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

35,10,76

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

राजस्व :

- (1) ₹ 20,84,68.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 (₹ 89,22.88 लाख), जनवरी 2019 (₹ 13,44.21 लाख) में प्राप्त किया गया। ₹ 1,02,67.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 21,31,69.95 लाख), अंतिम बचत (₹20,84,68.23 लाख) से ₹ 47,01.72 लाख अत्याधिक था।

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2505-00.102.10- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखण्ड (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 4,49.78 लाख की बचत जो कि ₹ 2,21,47.47 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	28,22.40	20,23.00	20,23.00	0.00	₹ 7,99.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,99.40				
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,81.60	13,48.67	13,48.67	0.00	₹ 5,32.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,32.93				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,64.00	4,78.00	4,78.00	0.00	₹ 3,86.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,86.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,76.00	3,18.67	3,18.67	0.00	₹ 2,57.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,57.33				
2501-02.796.03- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जलछाजन विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	63.32	63.32	0.00	₹ 86.68 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.68				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	20,73.60	3,82.00	3,82.00	0.00	₹ 16,91.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,91.60				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-रज्यांश)	मूल	17,32.40	3,50.00	3,50.00	0.00	₹ 13,82.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,82.40				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार, योजना सामान्य योजना के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,76,40.00	63,61.40	63,61.40	0.00	₹ 1,14,63.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,84.60				
	पुनर्वि.	(-)1,14,63.20				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सामान्य योजना के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-रज्यांश)	मूल	1,17,60.00	46,82.89	46,82.89	0.00	₹ 72,00.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,23.07				
	पुनर्वि.	(-)72,00.18				
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-रज्यांश)	मूल	23,09.00	3,60.00	3,60.00	0.00	₹ 19,49.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,49.00				
2501-06.789.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	54,00.00	55,44.33	55,44.33	0.00	₹ 50,17.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	51,61.72				
	पुनर्वि.	(-)50,17.39				
2501-06.789.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजकार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-रज्यांश)	मूल	36,00.00	43,46.75	43,46.75	0.00	₹ 26,94.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	34,41.14				
	पुनर्वि.	(-)26,94.39				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-डी.आर. डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,90.00	4,65.38	4,65.38	0.00	₹ 5,24.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,24.62				
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,60.00	5,03.28	5,03.28	0.00	₹ 1,56.72 लाख की प्रत्याशित बचत कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.72				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,29,60.00	1,21,98.63	27,04.95	(-)94,93.68	₹ 7,61.37 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 94,93.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,61.37				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	86,40.00	19,88.93	19,88.93	0.00	₹ 66,51.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66,51.07				
2501-06.796.10- विभाग का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,92.19	1,21.99	(-) 70.20	₹ 7.81 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 70.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7.81				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	4,91.91	4,91.91	0.00	₹ 58.09 लाख की प्रत्याशित बचत की कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.09				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,63.00	8,03.76	8.03.76	0.00	₹ 10,59.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,59.24				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,10.00	4,07.88	4,07.88	0.00	₹ 4,02.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,02.12				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,40.00	4,28.57	4,28.57	0.00	₹ 1,11.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.43				
2505-01.702.02- इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,78,21.98	4,69,70.13	4,69,70.13	0.00	₹ 5,08,51.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,08,51.85				
2505-01.789.02- इंदिरा आवास योजना सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,99,45.50	2,69,17.35	2,69,17.35	0.00	₹ 30,28.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,28.15				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.796.01- नरेगा-मुख्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	95.58	95.58	0.00	₹ 74.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.42				
2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,18,69.20	4,56,25.61	4,56,25.61	0.00	₹ 2,62,43.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,62,43.59				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,92,40.00	2,63,68.35	2,63,68.35	0.00	₹ 2,28,71.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,28,71.65				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट- (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,09,60.00	82,35.77	82,35.77	0.00	₹ 27,24.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,24.23				
2505-02.101.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	3.87	3.87	0.00	₹ 23,96.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,96.13				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50,20.00	80,45.23	80,45.23	0.00	₹ 69,74.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69,74.77				
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	33,00.00	24,50.36	24,50.36	0.00	₹ 8,49.64 लाख कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,49.64				
2505-02.789.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.12	0.12	0.00	₹ 99.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.88				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम.केन्द्रांश)	मूल	3,60,80.00	1,93,24.54	1,93,24.54	0.00	₹ 1,67,55.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,67,55.46				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट- (के.प्रा.स्कीम.-राज्यांश)	मूल	80,00.00	61,06.3	61,06.33	0.00	₹ 18,93.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,93.67				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.796.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट- (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	4.18	4.18	0.00	₹ 24,95.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,95.82				
2515-00.102.34- प्रखंड कार्यालयों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	97.07	97.07	0.00	₹ 52.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.93				
2515-00.796.09- कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	3,25.00	1,92.58	1,92.58	0.00	₹ 1,32.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.42				
2515-00.796.34- प्रखंड कार्यालयों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,12.59	1,12.59	0.00	₹ 37.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.41				
2515-00.090.10- ग्रामीण विकास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	6,20.53	5,62,.04	5,61.94	(-)0.10	₹ 70.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	12.10				
	पुनर्वि.	(-)70.59				



**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.06- जलछाजन योजना- नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	48,12.48	0.00	0.00	0.00	₹ 48,12.48 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48,12.48				
2501-02.101.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,80.00				
2501-02.101.08- निरांचल योजना (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,82.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,82.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,82.00				
2501-02.101.08- निरांचल योजना (के.प्र.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,88.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,88.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,88.00				
2501-02.101.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	9,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,80.00				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.789.06- जलछाजन योजना- नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	20,05.20	0.00	0.00	0.00	₹ 20,05.20 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,05.20				
2501-02.789.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2501-02.789.08- निरांचल योजना (के.प्रा. स्कीम. केन्द्रांश)	मूल	2,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,70.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.00				
2501-02.789.08- निरांचल योजना (के.प्रा. स्कीम. राज्यांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2501-02.789.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.796.06- जलछाजन योजना- नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	65,50.32	0.00	0.00	0.00	₹ 65,50.32 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65,50.32				
2501-02.796.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.00				
2501-02.796.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,48.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,48.00				
2501-02.796.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,32.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,32.00				
2501-02.796.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.101.08- संजीवनी (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	0.00	0.00	0.00	₹ 49.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.00				
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबर्न (के.प्रा.स्कीम.-केन्द्रांश)	मूल	34,63.20	0.00	0.00	0.00	₹ 34,63.20 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,63.20				
2501-06.789.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.00				
2501-06.796.08- संजीवनी (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 36.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2501-06.796.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,40.00				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबर्न (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	24,95.00	0.00	0.00	0.00	₹ 24,95.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,95.00				
2501-06.800.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,35.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,35.00				
2515-00.102.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	19,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 19,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,60.00				
2515-00.789.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2515-00.796.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 14,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,40.00				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

(5) निम्नलिखित मामलों में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिये योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	1,42,65.90	+1,42,65.90	₹ 1,42,65.90 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

(5) ₹ 35,10.76 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 18.35 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 10,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,18.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(7) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.102.38- प्रखण्ड भवन लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	9.11	9.11	0.00	₹2,15.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,15.89				
4515-00.102.38- प्रखण्ड भवन लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	40.56	40.56	0.00	₹2,34.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,34.44				
4515-00.796.39- प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	80,74.36	80,74.36	0.00	₹19,43.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	18.35				
	पुनर्वि.	(-)19,43.99				

**अनुदान संख्या-42 क्रमशः**

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.101.43- सी.एल.एफ. हेतु भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	0.00	0.00	0.00	₹4,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				
4515-00.796.43- सी.एल.एफ. हेतु भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	0.00	0.00	0.00	₹5,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,50.00				

**अनुदान संख्या-42 क्रमांत**

**(9) उंचत लेन-देन:**

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उंचत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2019 का अन्तशेष
		(₹ लाख में)			
<b>2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
कुल	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
<b>4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
कुल	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16



**अनुदान संख्या 43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202-खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,07,45,27	5,34,10,45	3,63,66,61	(-)1,70,43,84
अनुपूरक	26,65,18			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,47,05,70

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,23,95,00	3,23,95,00	3,08,11,02	(-)15,83,98
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

15,83,98

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,70,43.84 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 23,63.62 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 1,40.96 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,60.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,65.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,47,05.70 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,70,43.84 लाख) से ₹ 23,38.14 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-43 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2203-00.105.01-डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्निहित सैंडविच पाठ्यक्रम सहित (स्थापना व्यय) एवं 2203-00.112.45- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 1,89.16 लाख एवं ₹ 94.08 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 27,68.66 लाख एवं ₹ 24,77.80 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.01- तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,83.18	1,94.23	1,94.23	0.00	₹ 30.95 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	42.00				
	पुनर्वि.	(-)30.95				
2203-00.001.A6- निदेशालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	37.82	37.82	0.00	₹ 42.18 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.18				
2203-00.003.A7- प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	1,73.45	1,73.45	0.00	₹ 5,66.55 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,66.55				
2203-00.003.AB- कौशल विकास मिशन (सामाजिक जिला अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	1,85,00.00	1,85,00.00	85,00.00	0.00	₹ 1,00,00.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				
2203-00.004.A5- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	52,00.00	42,15.35	42,15.35	0.00	₹ 9,84.65 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,84.65				

**अनुदान संख्या-43 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.105.44- राजकीय पॉलिटेक्निको/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	50,00.00	36,55.76	36,55.76	0.00	₹ 13,98.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	54.10				
	पुनर्वि.	13,98.34				
2203-00.112.02- स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	12,52.22	12,52.22	0.00	₹ 7,94.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	46.50				
	पुनर्वि.	(-)7,94.28				
2203-00.796.44- राजकीय पॉलिटेक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	6,97.18	6,97.18	0.00	₹ 3,02.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,02.82				
3451-00.090.03- विकास एवं प्राधौगिकी विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,29.27	2,83.24	2,83.24	0.00	₹ 46.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 46.03				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.003.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से. स्कीम)	मूल	17,89.09	17,89.09	0.00	(-)17,89.09	₹17,89.09 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.789.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से. स्कीम)	मूल	3,90.92	3,90.92	0.00	(-)3,90.92	₹ 3,90.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.796.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से. स्कीम)	मूल	1,58.13	1,58.13	0.00	(-)1,58.13	₹ 1,58.13 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (5) शीर्ष 4202-02.105.06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4202-02.796.06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 15,40.34 एवं ₹ 43.64 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,30,00.00 लाख एवं ₹ 93,95.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

## अनुदान संख्या 44- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

( मुख्य शीर्ष- 2205-कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,58,87	7,58,87	6,78,20	(-)80,67
अनुपूरक	0.00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

23,32

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 80.67 लाख) से ₹ 57.35 लाख कम था।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2205-00.105.01- सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना व्यय)	मूल	73.59	73.59	32.38	(-)41.21	₹ 41.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2251-00.090.03- झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	62.25	44.66	44.66	0.00	₹ 17.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.59				

## अनुदान संख्या 45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,79,72,57	1,81,53,61	1,32,97.61	(-)48,56.00
अनुपूरक	1,81,04			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

47,48,26

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00,00	16,00,00	12,50,00	(-)3,50,00
अनुपूरक	4,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

3,50,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 48,56.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,73.00 लाख ) एवं जनवरी 2019 (₹ 8.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,81.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 47,48.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,56.00 लाख) से ₹ 1,07.74 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-45 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2203-00.001.A8- स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 3,45.44 लाख जो कि ₹ 47,03.34 लाख से प्रावधान के 10 प्रतिशत कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.21- ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,56.18	2,55.34	2,55.34	0.00	₹ 8,00.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.84				
2203-00.001.96- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,50.00	42.26	(-)1,07.74	₹ 1,07.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.796.95- झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी (जैप. आई.टी.) के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	38.16	10.00	10.00	0.00	₹ 28.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए वेतन की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.16				
2203-00.796.A8 स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	14,99.26	14,99.26	0.00	₹ 3,00.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.74				

**अनुदान संख्या-45 क्रमांत**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.86- साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्सन प्लान (के.से. योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं होने के कारण हुआ था।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्सन प्लान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,00.00				

**पूँजी :**

(5) ₹3,50.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹4,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(6) निम्न मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयुक्त सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.796.77- जैसेक भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				



अनुदान संख्या 46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ( पर्यटन प्रभाग )

( मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	53,46,14	54,19,14	49,34,77	(-)4,84,37
अनुपूरक	73,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,84,37

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,10,60,00	1,10,60,00	99,36,97	(-)11,23,03
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

11,23,03

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 4,84.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 73.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-46 क्रमशः**

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-80.104.11- आई.एच.एम, एफ. सी.आई, साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक वि. प्रा., बाबा वैद्यनाथ धाम-वासुकीनाथ सराईन एरिया वि. प्रा. आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	8,79.18	8,79.18	0.00	₹ 3,20.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.82				
3452-80.796.11- आई.एच.एम, एफ. सी.आई, साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक वि. प्रा., बाबा वैद्यनाथ धाम-वासुकीनाथ सराईन एरिया वि. प्रा. आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	1,19.72	1,19.72	0.00	₹ 60.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.28				

**अनुदान संख्या-46 क्रमांत**

**पूंजी :**

(3) शीर्ष 5452-80.104.62- पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (राज्य स्कीम) तथा 5452-80.796.70 - विभिन्न पर्यटन सर्किट का समेकित विकास (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹1,31.26 लाख और ₹ 75.79 लाख की बचत, जो ₹32,60.00 लाख और ₹14,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5452-80.104.65- पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	17,00.00	8,43.35	8,43.35	0.00	₹ 8,56.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,56.65				

**अनुदान संख्या 47- परिवहन विभाग ( परिवहन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर , 3055-सड़क परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,43,97,70	1,48,34,70	1,38,90,10	(-)9,44,60
अनुपूरक	4,37,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

9,44,60

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	22,00,00	22,22,00	14,55,57	(-)7,66,43
अनुपूरक	22,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

7,66,41

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 9,44.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 4,37.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-47 क्रमशः**

(2) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2041-00.001.01- राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	2,48.40	1,51.42	1,51.42	0.00	₹ 96.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.98				
2041-00.101.01- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	2,12.47	67.77	67.77	0.00	₹ 1,47.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.70				
2041-00.101.02- मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना व्यय)	मूल	9,64.61	4,56.90	4,56.90	0.00	₹ 5,41.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	34.00				
	पुनर्वि.	(-)5,41.71				
2041-00.102.01- मोटर वाहनों का निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,69.78	78.41	78.41	0.00	₹ 91.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.37				
3451-00.090.14- परिवहन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,82.44	2,35.60	2,35.60	0.00	₹ 46.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.84				

**अनुदान संख्या-47 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3055-00.190.01- राज्य पथ परिवहन निगम, झारखंड को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

**पूँजी :**

- (4) ₹ 7,66.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 22.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.17- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	7.19	7.19	0.00	₹ 72.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.81				
5055-00.190.21- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	98.20	98.20	0.00	₹ 1,41.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.80				
5055-00.190.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,04.40	2,04.40	0.00	₹ 1,95.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.60				

**अनुदान संख्या-47 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.796.12- प्रिंटिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	2.58	2.58	0.00	₹ 46.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.42				
5055-00.796.17- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	35.70	35.70	0.00	₹ 84.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.30				
5055-00.796.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,00.40	4,00.40	0.00	₹ 1,99.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.60				

(6) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

**अनुदान संख्या 48- नगर विकास एवं आवास विभाग ( नगर विकास प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	28,19,65,72	32,04,21,63	19,20,99,50	(-)12,83,22,13
अनुपूरक	3,84,25,91			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(31 मार्च 2019)

12,83,20,44

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,72,13	65,72,13	53,23,24	(-)12,48,89
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(31 मार्च 2019)

12,48,89

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 12,83,22.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹98,84.87 लाख), एवं दिसम्बर 2018 (₹ 16,651.29 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,68,89.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,84,25.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।



**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (टोस कचरा प्रबंधन सहित) (के.स.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अन्तर्गत ₹ 89.00 लाख की प्रत्याशित बचत, जो कि ₹ 13,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.001.01- राज्य स्तरीय शहरी प्रशासन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,57.73	79.96	79.96	0.00	₹ 77.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.77				
2217-80.001.04- शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव का आयोजन (स्थापना व्यय)	मूल	6,80.00	6,09.30	6,09.30	0.00	₹ 70.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 70.70				
2217-80.191.27- नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	16,00.00	12,69.30	12,69.30	0.00	₹ 3,30.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,30.70				
2217-80.191.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	2,00.00	1,07.96	1,07.96	0.00	₹ 92.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.04				
2217-80.191.38- शहरी योजना तथा परियोजना प्रबंधन के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	8,48.85	8,48.85	0.00	₹ 6,51.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,51.15				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	10,12.54	8,79.06	8,79.06	0.00	₹ 1,33.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,33.48				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,00.00	8,22.72	8,22.72	0.00	₹ 9,77.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,77.28				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,00.00	8,48.48	5,48.48	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की कमी निधि प्रदान किये जाने के कारण हुई। ₹ 3,51.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,51.52				
2217-80.191.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	70,00.00	65,82.60	65,82.60	0.00	₹ 1,00,73.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	95,55.60				
	पुनर्वि.	(-)1,00,73.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.81-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	2,43,48.37	94.28.07	94,28.07	0.00	₹1,49,20.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49,20.30				
2217-80.191.89-प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनुदान (पी.एम.ए. वार्ड.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	35,00.00	33,43.01	33,43.01	0.00	₹36,56.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	35,00.00				
	पुनर्वि.	(-)36,56.99				
2217-80.191.89-प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनुदान (पी.एम.ए. वार्ड.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	73,00.00	69,88.58	69,88.58	0.00	प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,00.00 लाख की वृद्धि की गई। ₹12,11.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,11.42				
2217-80.192.07-नगर परिषद/ नगर पालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	11,42.64	4,26.92	4,26.92	0.00	₹ 7,15.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	(-)7,15.72				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.192.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	5,13.68	3,65.64	3,65.64	0.00	₹ 1,68.04 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)1,68.04				
2217-80.192.82- वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जनरल बेसिक ग्रान्ट के तहत नगर परिषदों/ नगर पालिकाओं को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	74,49.93	33,95.81	33,95.81	0.00	₹ 40,54.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,54.12				
2217-80.193.07- नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,61.61	45.80	45.80	0.00	₹ 1,15.81 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.81				
2217-80.193.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)।	मूल	4,74.05	3,29.21	3,29.21	0.00	₹ 1,54.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.84				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.193.83- 14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जनरल बेकि ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	22,06.70	11,78.17	11,78.17	0.00	₹ 10,28.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,28.53				
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,00.00	2,52.89	2,52.89	0.00	₹ 4,47.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,47.11				
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,50.00	1,68.59	1,68.59	0.00	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,12.50 लाख की कमी की गई। ₹ 1,68.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.41				
2217-80.796.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	2,50.00	1,56.00	1,56.00	0.00	₹94.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.56- शहरी भू-प्रबंधन तथा अधिग्रहण के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	3,50,00.00	2,65,00.00	2,65,00.00	0.00	₹ 85,00.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85,00.00				
2217-80.796.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	20,00.00	48.33	48.33	0.00	₹ 19,51.67 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,51.67				
2217-80.796.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,50.00	32.22	32.22	0.00	₹ 13,17.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,17.78				
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत अभियान (ठोस कचरा प्रबंधन सहित) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,00.00	9,23.98	9,23.98	0.00	₹ 6,76.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6.76.02				
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत अभियान (ठोस कचरा प्रबंधन सहित) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	16,50.00	8,03.74	8,03.74	0.00	₹ 8,46.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,46.26				
2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30,00.00	28,76.40	28,76.40	0.00	₹ 41,27.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	40,03.40				
	पुनर्वि.	(-)41,27.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.89- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनुदान (पी.एम.ए. वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40,00.00	35,33.35	35,33.35	0.00	₹ 39,66.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	35,00.00				
	पुनर्वि.	(-)39,66.65				
2251-00.090.05- शहरी विकास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,43.40	4,32.45	4,30.78	(-)1.67	₹ 1,31.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	19.00				
	पुनर्वि.	(-)1,29.95				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.65- झारखण्ड शहरी विकास निधि के लिए अनुदान (राज्य निधि) (राज्य योजना)	मूल	50,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,00.00				
2217-80.191.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	70,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,60,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	90,20.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60,20.00				
2217-80.191.80- पी.पी.पी. परियोजनाओं का क्रियान्वयन (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.83- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जनरल वेसिकग्रांट के तहत नगर निगम को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	69,09.63	0.00	0.00	0.00	₹ 69,09.63 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	69,09.63				
2217-80.191.84- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जनरल परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत नगर परिषदों/ नगर पालिकाओं को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	21,14.15	0.00	0.00	0.00	₹ 21,14.15 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,14.15				
2217-80.191.85- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जनरल परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	6,26.22	0.00	0.00	0.00	₹ 6,26.22 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,26.22				
2217-80.789.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				



अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.789.56- शहरी भू-प्रबंधन तथा अधिग्रहण के लिए अनुदान (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2217-80.789.89- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनुदान (पी.एम.ए. वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
2217-80.789.61- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सह एन.एल.सी.पी. एवं एन.जी.आर.बी.ए. सह नमामि गंगे हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,35.00				
2217-80.796.75- स्मार्ट सिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.75- स्मार्ट सिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	स्मार्ट सिटी के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 25,00.00 लाख की कमी की गई। ₹ 75,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				
2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन- (ए.एम.आर. यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 65,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	35,80.00				
	पुनर्वि.	(-) 65,80.00				
2217-80.796.80- पी.पी.पी. परियोजनाओं का क्रियान्वयन (राज्य योजना)	मूल	35,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,00.00				

**अनुदान संख्या-48 क्रमांत**

**पूँजी :**

(4) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6217-60.191.03- नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	21,50.00	16,92.40	16,92.40	0.00	₹ 4,57.60 लाख के की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,57.60				
6217-60.192.03- नगर परिषद्/ नगर पालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	12,43.75	5,69.77	5,69.77	0.00	₹ 6,73.98 लाख के की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 6,73.98				
6217-60.193.02- पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	1,78.38	61.07	61.07	0.00	₹ 1,17.31 लाख के की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,17.31				

## अनुदान संख्या 49- जल संसाधन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2700- मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 3451- सचिवालय-आर्थिक संवाएं, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,12,69,00	4,13,42,19	3,23,78,55	(-)89,63,64
अनुपूरक	73,19			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

89,63,30

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,64,50,00	18,97,65,00	11,64,49,60	(-)7,33,15,40
अनुपूरक	3,33,15,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

7,30,50,35

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 89,63.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 ( ₹ 40.68 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹ 6.71 लाख) तथा जनवरी 2019 (₹ 25.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 73.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

(2) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2700-01.001.01- तेनुघाट बाँध परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	6,01.90	5,03.64	5,06.64	0.00	₹ 1,19.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20.80				
	पुनर्वि.	(-1,19.06)				
2701-01.001.02- स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,98,10.78	1,60,38.18	1,60,37.84	(-)0.34	₹ 37,74.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.41				
	पुनर्वि.	(-)37,74.01				
2701-03.001.06- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	83,54.05	54,59.09	54,59.09	0.00	₹ 28,95.67 लाख की प्रत्याशित बचत में से (i) ₹ 4.00 लाख के विपत्र की अप्राप्ति (ii) ₹ 5.84 लाख के विपत्र के पास नहीं होने (iii) 15 प्रतिशत (₹ 7.21 लाख), के बंधान के लागू होने तथा (iv) ₹ 27,62.55 लाख, सेवानिवृति एवं तबादले के कारणों से हुई थी। ₹ 1,16.70 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.71				
	पुनर्वि.	(-)28,95.67				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2701-03.001.07- मध्यम सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,12,70.27	92,89.68	92,89.68	0.00	₹ 19,91.75 लाख की प्रत्याशित बचत में से मुख्यतः (i) ₹ 6.50 लाख के विपत्र के पास नहीं होने (ii) ₹ 4.62 लाख के विपत्र की अप्राप्ति (iii) ₹ 19.43 लाख के बंधन के लागू होने तथा (iv) ₹ 19,33.97 लाख, सेवानिवृति एवं तबादले के कारणों से हुई थी। ₹ 27.23 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	11.16				
	पुनर्वि.	(-)19,91.75				
2701-80.001.01- मुख्यालय सचिवालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,91.86	1,68.58	1,68.58	0.00	₹ 23.28 लाख के बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.28				
3451-00.090.09- जल संसाधन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	8,65.82	7,75.50	7,75.50	0.00	₹ 1,29.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	39.11				
	पुनर्वि.	(-)1,29.43				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2711-01.001.01- नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ के दौरान मरम्मतकारण का कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

**पूँजी :**

- (4) ₹ 7,33,15.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 ( ₹ 3,10,00.00 लाख), तथा जनवरी 2019 ( ₹ 23,15.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,33,15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 7,30,50.35 लाख), अंतिम बचत ( ₹ 7,33,15.40 लाख) से ₹ 2,65.05 लाख कम था।
- (6) शीर्ष 4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (के.से.स्कीम), 4701-80.796.54- संपूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य योजना), 4701-80.800.54- संपूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹ 10,66.36 लाख, ₹ 4,21.02 लाख, ₹ 10,71.57 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 1,80,00.00 लाख, ₹ 2,00,00.00 लाख एवं ₹ 3,00,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत ( ₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30,00.00	1,23,18.87	1,03,95.32	(-)19,23.55	₹ 1,81.13 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार के द्वारा निधि के अप्राप्त रहने तथा कार्य के गैर-प्रगति के कारण हुई थी। ₹ 19,23.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	95,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,81.13				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.13- स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना)	मूल	3,50,00.00	74,68.68	74,68.68	0.00	₹ 2,75.31.32 लाख की प्रत्याशित बचत ई-भुगतान के बंद हो जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,75,31.32				
4701-80.789.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य योजना)	मूल	6,00.00	4,96.29	4,85.94	(-)10.35	₹ 1,03.71 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई। ₹ 10.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03.71				
4701-80.789.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	50,00.00	59,27.79	47,78.73	(-)11,49.06	₹ 2,72.21 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के विलंबित क्रियान्वयन के कारण हुई। ₹ 11,49.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	12,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,72.21				
4701-80.789.64- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	18,51.57	18,51.57	0.00	₹ 21,48.43 लाख की प्रत्याशित बचत कोणार्क सिंचाई योजना का क्रियान्वयन का कार्य अपूर्ण रहने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,48.43				
4701-80.789.66- नए भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का मरम्मतकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,16.31	1,16.31	0.00	₹ 2,83.69 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.83.69				



**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	26,00.00	29,08.17	29,08.17	0.00	₹ 4,91.83 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर सी.ए.डी.डब्ल्यू.ए.एम. का कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	8,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,91.83				
4701-80.796.68- भवनों का रखरखाव (राज्य योजना)	मूल	3,00.00	40.54	40.54	0.00	₹ 2,59.46 लाख की प्रत्याशित बचत सही रूप से कार्य की प्रगति नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,59.46				
4701-80.796.74- अवशेष कार्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के 2011-12 में पूर्ण किये जाने का दायित्व (राज्य योजना)	मूल	21,00.00	3,60.92	3,60.92	0.00	₹ 17,39.08 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च महीने में निकासी की सीमा 15% किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,39.08				
4701-80.796.75- सर्वे, जाँच, परामर्श तथा मूल्यांकन (राज्य योजना)	मूल	15,50.00	11,15.66	11,15.66	0.00	₹ 4,34.34 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वे संबंधी कार्य के अपूर्ण रहने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,34.34				
4701-80.800.64- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	48,00.00	48,00.00	8,70.75	(-)39,29.25	₹ 39,29.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.800.65- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नए योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	40,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 38,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,00.00				
4701-80.800.71- अवशेष कार्य एवं छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना के 2011-12 में पूर्ण किये जाने का दायित्व (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	11,39.89	5,39.89	(-) 6,00.00	₹ 98,60.11 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च महीने में निकासी की सीमा 15 प्रतिशत किये जाने के कारण हुई। ₹ 6,00.00 ला की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	95,00.00				
	पुनर्वि.	(-)98,60.11				
4701-80.800.75- सर्वे, जाँच, परामर्श तथा मूल्यांकन (राज्य योजना)	मूल	22,00.00	19,51.43	19,39.26	(-) 12.17	₹ 2,48.57 लाख की प्रत्याशित बचत धीमा कार्य प्रगति के कारण हुई। ₹ 12.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0,00				
	पुनर्वि.	(-)2,48.57				
4701-01.789.58- नए बाढ़ नियंत्रण/ कटाव विरोधी कार्य का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	10,00.00	8,69.25	8,69.25	0.00	₹ 1,30.75 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अस्वीकृत होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.75				
4701-01.796.58- नए बाढ़ नियंत्रण/ कटाव विरोधी कार्य का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	9,53.24	9,53.24	0.00	₹ 5,46.76 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अस्वीकृत होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,46.76				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.11- स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/ पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (राज्य योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,00.00				
4700-80.005.76- राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रीय निधि की अप्राप्ति के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				
4701-80.789.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
4701-80.789.65- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नए योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 20,00.00				
4701-80.796.12- बाँध सुरक्षा एवं हाइड्रोलॉजी परियोजना-2 (राज्य योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.14- झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन (राज्य योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				
4701-80.796.39- वाल्मी तथा सिंचाई भवन का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	1,10.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				
4701-80.796.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 20,00.00				
4701-80.796.67- जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नए वाहनों का क्रय (राज्य योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूरा नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 30.00				
4711-80.789.59- चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
4701-80.796.56- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-49 क्रमशः**

(8) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अधिकाई सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.13- स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,64,70.00	0.00	85.61	+85.61	₹ 1,64,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है तथा ₹ 85.61 लाख की अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64,70.00				

(9) निम्नलिखित मामलों में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.799.12- उचंत (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	28,49.20	+28,49.20	₹ 28,49.20 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4701-03.799.01- उचंत - विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य योजना)	मूल	0.00	0.00	54,49.61	+54,49.61	₹ 54,49.61 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-49 क्रमांत**

**(10) उचंत लेन-देन:**

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 54,49.61 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम :** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2019 को अन्तशेष
		(₹ लाख में)			
<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	52,29.73	54,49.61	0.00	54,49.61	1,06,79.34
कुल	52,29.73	54,49.61	0.00	54,49.61	1,06,79.34

**अनुदान संख्या 50- जल संसाधन विभाग ( लघु सिंचाई प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,13,87,15	11,13,88,77	83,39,04	(-)30,49,73
अनुपूरक	1,62			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

30,49,34

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,29,00,00	5,33,90,00	3,11,96,31	(-)2,21,93,69
अनुपूरक	4,90,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,21,90,49

**अनुदान संख्या-50 क्रमशः**

**टीका और टिप्पणियाँ :**

**राजस्व :**

- (1) शीर्ष 2702-01.102.02- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (राज्य स्कीम) और शीर्ष 2702-01.796.02- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालकों हेतु अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 20.00 लाख और ₹ 21.00 लाख की बचत, जो कि क्रमशः ₹ 3,15.00 लाख और ₹ 3,25.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2702-02.005.01- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (स्थापना व्यय)	मूल	1,07,27.15	77,30.43	77,30.04	(-)0.39	₹ 29,98.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.62				
	पुनर्वि.	(-)29,98.34				

**पूँजी :**

- (2) ₹ 2,21,93.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 ₹ 4,90.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,58,00.00	48,85.84	48,85.84	0.00	₹ 1,09,14.16 लाख की प्रत्याशित बचत, बजट उपलब्ध का 15 प्रतिशत राशि व्यय में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09,14.16				
4702-00.101.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	9,71.78	9,71.78	0.00	₹ 4,28.22 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,28.22				



अनुदान संख्या-50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	89,00.00	70,10.26	70,10.26	0.00	₹ 18,89.74 लाख की प्रत्याशित बचत तालाब के पुनःस्थापन योजना के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 18,89.74				
4702-00-101.31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्शी एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	5.31	5.31	0.00	₹ 44.69 लाख की प्रत्याशित बचत, बजट उपबंध का 15 प्रतिशत राशि व्यय में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 44.69				
4702-00.101.37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक (के. से. स्कीम)	मूल	60.00	26.94	24.30	(-)2.64	₹ 2,73.06 लाख की प्रत्याशित बचत ई-पेमेंट सेवा में समस्या के कारण हुई। ₹ 2.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,40.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,73.06				
4702-00.796.16- भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संचरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	4.16	4.16	0.00	₹ 75.84 लाख की प्रत्याशित बचत कम राशि स्वीकृत के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 75.84				
4702-00.796.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,40,00.00	95,89.71	95,89.71	0.00	₹ 44,10.29 लाख की प्रत्याशित बचत, बजट उपलक्ष का 15 प्रतिशत राशि व्यय में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44,10.29				

**अनुदान संख्या-50 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.796.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,10,00.00	75,57.51	75,55.68	(-)1.83	₹ 32,42.49 लाख की प्रत्याशित बचत तालाब के पुनः स्थापन योजना के कारण हुई। ₹ 1.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,42.49				
4702-00.796.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	6.21	6.21	0.00	₹ 33.79 लाख के प्रत्याशित बचत योजना को छोड़ने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.79				
4702-00.796.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	48.00	48.00	0.00	₹ 42.00 लाख का प्रत्याशित बचत धीमे कार्य प्रगति के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				
4702-00.796.31- सर्वेक्षण एवं अनुंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	8.82	8.82	0.00	₹ 41.18 लाख का प्रत्याशित बचत, बजट उपलबन्ध का 15 प्रतिशत राशि व्यय में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.18				
4702-00.796.37- रेसनलाईजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक (के.से. स्कीम)	मूल	40.00	12.81	11.89	(-) 0.92	₹ 2,77.19 लाख का प्रत्याशित बचत, ई-पेमेंट सेवा समस्या के कारण हुई।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)2,77.19				

**अनुदान संख्या-50 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.16- भूगर्भ जल सर्वेक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संचरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 30.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 30.00				
4702-00.789.18- चालु लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 90.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 90.00				
4702-00.789.19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4702-00.789.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				

**अनुदान संख्या-50 क्रमांत**

**(5) उचंत लेन-देन :**

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से कोई भी राशि को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनो सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम** - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे (₹ लाख में)	जमा	निवल	31 मार्च 2019 को अन्तशेष
<b>4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	6,02.30	0.00	0.00	0.00	6,02.30
कुल	6,02.30	0.00	0.00	0.00	6,02.30

## अनुदान संख्या 51- कल्याण विभाग ( कल्याण प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2225 -अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,86,24,30	17,69,90,71	11,51,35,84	(-)6,18,54,87
अनुपूरक	1,83,66,41			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

5,02,07,06

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,90,00,00	3,80,77,00	3,33,84,90	(-)46,92,10
अनुपूरक	90,77,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

26,01,77

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 6,18,54.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 (₹ 1,14,93.23 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 46,48.73 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 22,24.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,83,66.41 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,02,07.06 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,18,54.87 लाख) से ₹ 1,16,47.81 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2225-02.796.01- विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम) के अन्तर्गत एवं शीर्ष 2225-02.796.A1- गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासिय विद्यालयों को अनुदान (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 11,78.10 लाख एवं ₹ 71.07 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,40,00.00 लाख एवं ₹ 11,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	26,22.46	26,22.46	22,79.59	(-)3,42.87	₹ 3,42.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.01- निदेशन एवं प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	2,67.00	2,67.00	1,87.56	(-)79.44	₹ 79.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.05- आवासीय विद्यालय के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	1,99.93	1,99.93	0.00	₹ 5,00.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.07				
2225-01.789.06- सेमिनार, प्रदर्शनी इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	1,11.70	64.12	57.29	(-)6.83	₹ 54.41 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.58				
2225-01.789.10- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	3,00.00	2,02.16	(-)97.84	₹ 97.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.10- अनुचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	2,00.00	1,43.81	(-)56.19	₹ 1,56.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				
2225-01.789.11- छात्रावासों के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,53.08	2,53.08	0.00	₹ 46.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 46.92				
2225-01.789.16- भोकेशनल प्रशिक्षण/कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,09.71	1,09.71	0.00	₹ 90.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.29				
2225-01.789.21- प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	50.00	9.04	(-)40.96	₹ 1,90.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2225-01.789.42- शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	51.15	51.15	0.00	₹ 68.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.85				
2225-01.789.46- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	93.28	(-)2,06.72	₹ 2,06.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	53,00.00	11,26.60	9,76.93	(-)1,49.67	₹ 43,23.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,73.40				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	28,00.00	21,68.56	5,45.30	(-)16,23.26	₹ 22,54.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,31.44				
2225-01.789.62- माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	10,26.82	8,85.17	(-)1,41.65	₹ 9,14.83 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,73.18				
2225-01.789.67- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विशेष अंगीभूत योजना (के.से. स्कीम)	मूल	10,00.00	7,96.00	7,96.00	0.00	₹ 2.04.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,04.00				
2225-01.789.86- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग 9 एवं 10) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,00.00	1,63.51	95.43	(-)68.08	₹3,04.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,36.49				
2225-01.789.92- आवासीय विद्यालयों में ई-लर्निंग प्रोग्राम/ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय (राज्य स्कीम)	मूल	4,80.00	3,90.00	3,17.34	(-)72.66	₹ 1,62.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2225-02.277.01- विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	10,00.00	3,44.16	2,80.00	(-)64.16	₹ 6,55.84 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 64.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 6,55.84				



**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.03- लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (स्थापना व्यय)	मूल	11,93.23	7,18.23	5,70.50	(-)1,47.73	₹ 6,22.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,75.00				
2225-02.277.10- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	23.86	23.86	0.00	₹ 51.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.14				
2225-02.277.13- छात्र-छात्राओं के लिए साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	6,19.99	5,99.34	(-)20.65	₹ 4,00.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,80.01				
2225-02.277.26- झारखण्ड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (स्थापना व्यय)	मूल	1,73.62	2,41.92	1,61.66	(-)80.26	₹ 80.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	68.30				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.44- आवासीय विद्यालयों के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,38.38	1,23.06	(-)15.32	₹ 1,26.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.62				
2225-02.277.46- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,50.00	86.89	(-)1,63.11	₹ 1,63.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.49- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	2,76.11	2,76.11	0.00	₹ 73.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.89				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	2,50.00	94.15	44.04	(-)50.11	₹6.10.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4,05.00				
	पुनर्वि.	(-)5,60.85				
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,10.00	10,57.00	10,19.47	(-)37.53	₹ 1,90.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.00				
2225-02.277.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	1,60.98	1,37.31	(-)23.67	₹ 22,62.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,39.02				
2225-02.277.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	4,31.93	2,28.19	(-)2,03.74	₹13,71.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,68.07				
2225-02.277.65- प्रवेशिकोत्तर प्रावेधिकी छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	7,50.00	10,50.58	9,99.61	(-)50.97	₹ 19,47.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	21,97.21				
	पुनर्वि.	(-)18,96.63				
2225-02.277.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	4,15.76	3,58.55	(-)57.21	₹ 8,41.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 7,84.24				
2225-02.277.AO- आवासीय विद्यालयों में ई-लर्निंग प्रोग्राम/ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	2,25.00	2,04.69	(-)20.31	₹ 35.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.282.01- आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,08.23	2,08.23	1,66.91	(-)41.32	₹ 41.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.24- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	6.00.00	2,08.44	2,08.44	0.00	₹ 3,91.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,91.56				
2225-02.796.42- शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,75.00	88.76	88.76	0.00	₹ 86.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.24				
2225-02.796.44- आवासीय विद्यालयों के लिए सामाग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	11,50.00	8,80.24	8,77.98	(-) 2.26	₹ 2,72.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.69.76				
2225-02.796.46- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,50.00	1,21.90	(-)1,28.10	₹ 1,28.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के. से. स्कीम)	मूल	3,50.00	9,71.88	4,50.47	(-) 5,21.41	₹ 5,99.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	7,00.00				
	पुनर्वि.	(-)78.12				
2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	49,43.00	49,43.00	44,46.27	(-)4,96.73	₹ 4,96.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,12,05.00	7,46.31	6,19.07	(-) 1,27.24	₹ 1,05,85.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04,58.69				
2225-02.796.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	46,00.00	19,26.10	12,19.30	(-) 7,06.80	₹ 33,80.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,73.90				
2225-02.796.78- समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.) (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	6,00.00	4,82.09	(-)1,17.91	₹ 5,17.91 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2225-02.796.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	18,63.79	17,67.38	(-)96.41	₹ 12,32.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,36.21				
2225-02.796.98- शहीद ग्राम विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2225-02.796.AO- आवाससीय विद्यालयों में ई-लनिग प्रोग्राम/ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय (राज्य स्कीम)	मूल	21,80.00	12,00.00	10,65.43	(-)1,34.57	₹ 11,14.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 9,80.00				
2225-03.277.05- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	16,50.00	15,25.76	9,05.92	(-)6,19.84	₹ 7,44.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.24				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.06- प्री.-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	4,80.00	3,16.34	(-)1,63.66	₹ 1,63.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,80.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.07- आवासीय विद्यालय का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,40.00	1,72.00	1,28.79	(-)43.21	₹ 43.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	32.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.08- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	74.43	74.43	0.00	₹ 75.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.57				
2225-03.277.12- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,08,00.00	68,00.00	63,70.44	(-)4.29.56	₹ 44,29.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,00.00				
2225-03.277.19- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,03.37	(-)96.63	₹ 96.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.24- छात्रवासों के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	94.90	94.90	0.00	₹ 1,55.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,55.10				
2225-03.277.58- मध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	34,00.00	18,36.76	16,31.91	(-)2,04.85	₹ 17,68.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 15,63.24				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.66- परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	3,65.00	1,43.36	1,43.36	0.00	₹ 2,21.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,21.64				
2225-03.796.05- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,50.00	12,24.00	8,76.56	(-)3,47.44	₹ 3,73.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.00				
2225-03.796.06- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	3,59.00	2,54.22	(-)1,04.78	₹ 1,04.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,59.75				
	पुनर्वि.	(-)0.75				
2225-03.796.07- आवासीय विद्यालयों का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	2,10.00	2,10.00	1,67.38	(-)42.62	₹ 42.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.10- साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	14,81.19	13,04.07	(-)1,77.12	₹ 1,95.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 18.81				
2225-03.796.19- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,02.44	(-)97.56	₹ 97.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.23- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (पुस्तक अधिकोष सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	1,24,00.00	64,00.00	58,74.11	(-)5,25.89	₹ 65,25.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,00.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.24- छात्रावासों के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	47.45	47.45	0.00	₹1,02.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,02.55				
2225-03.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	33,00.00	31,21.90	29,52.23	(-)1,69.67	₹ 3,47.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.10				
2225-03.796.58- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	23,00.00	14,00.00	12,59.50	(-)1,40.50	₹ 10,40.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2225-03.796.66- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,45.00	70.37	70.37	0.00	₹ 74.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 74.63				
2251-00.090.06- कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,68.45	5,70.25	4,90.48	(-) 79.77	₹ 79.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.80				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.20- शिक्षा-अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2225-01.789.53- शिक्षा-कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-01.789.87- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 2,00.00				
2225-02.277.71- कोचिंग एंड एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-02.796.21- टी.सी.डी.सी. को हिस्सापूँजी (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				



**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.26- झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-02.796.26- झारखण्ड जनजातीय शोध थान, राँची (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-02.796.50- शिक्षा- टी.सी.डी.सी. के सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 5,00.00				
2225-02.796.71- कोचिंग एंड एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-02.796.91- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 5,00.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.99- प्रीझाह फाउन्डेशन के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2225-03.277.65- आयवृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-03.277.87- कोचिंग एंड एलाईड (राज्य-स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-03.796.65- आयवृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,00.00				
2225-03.796.85- पिछड़ा वर्ग विकास निगम सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.87- कोचिंग एंड एलाईड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹ 46,92.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 (₹ 60,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹ 30,77.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 90,77.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,01.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 46,92.10 लाख) से ₹ 20,90.33 लाख कम था।
- (7) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.277.05- आवासीय विद्यालयों का निर्माण / जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	1,08.66	1,08.66	0.00	₹ 5,41.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,41.34				
4225-02.277.08- संविधान की धारा 275 (i) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	10,00.00	4,00.00	4,00.00	0.00	केन्द्र सरकार से निधि को प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 6,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.277.33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/ मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़ीया हाउस का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	8,00.00	3,47.33	(-)4,52.67	₹ 4,52.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.37- जाहेरस्थान/हड़गड़ी/ मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	13,20.99	(-)6,79.01	₹ 6,79.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.283.06- बिरसा आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	12,28.55	(-)2,71.45	₹ 2,71.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.09- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	26,50.00	21,89.58	21,89.58	0.00	₹ 4,60.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,60.42				
4225-03.277.06- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	2,28.51	(-)71.49	₹ 71.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.796.06- आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,00.00	99.23	(-)0.77	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या-51 क्रमांत**

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.0				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या 52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग  
( कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

**राजस्व :**

**दत्तमत :**

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	82,42,00	82,62,75	64,60,08	(-)18,02,67
अनुपूरक	20,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

18,15,38

**पूंजी:**

**दत्तमत :**

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	49,20,00	49,20,00	35,77,37	(-)13,42,63
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

13,42,63

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

**राजस्व:**

- (1) ₹ 18,02.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 (₹ 7.85 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 12.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या-52 क्रमशः**

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 18,15.38 लाख), अंतिम बचत ( ₹ 18,02.67 लाख) से ₹ 12.71 लाख अधिक था।
- (3) बचत ( ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.102.01- राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	14,29.20	11,26.35	11,26.43	(+0.08	₹ 3,02.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,02.85				
2204-00.104.27- खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/ सम्मान/पूर्व खिलाड़ी पेंशन/बीमा (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	94.47	94.47	0.00	₹ 1,55.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55.53				
2204-00.104.33- प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	3.66	3.66	0.00	₹ 16.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16.34				
2204-00.104.38- स्टेडियम एवं खेल छात्रावास का अनुरक्षण, मरम्मत, सुज्जीकरण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	3,36.27	3,36.27	0.00	निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 13.73 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.73				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.49- कमल क्लब, हॉकी एवं फुटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तरीय) (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	44.79	44.79	0.00	₹ 25.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.21				
2205-00.104.50- अन्तराष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक का खेल प्रतियोगिता / आयोजन/ भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,95.67	2,94.82	(-)0.85	₹ 1,04.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.33				
2204-00.796.27- खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/ सम्मान / पूर्व खिलाड़ी पेंशन/ बीमा (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,12.71	2,12.71	0.00	₹ 87.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)87.29				
2205-00.796.49- कमल क्लब एवं हॉकी एवं फुटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय) (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	45.99	45.99	0.00	₹ 34.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.01				
2204-00.796.50- अन्तराष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक का खेल प्रतियोगिता/ आयोजन/ भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,12.39	4,12.31	(-)0.08	₹ 87.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)87.61				



अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.101.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,60.97	3,60.67	(-)0.30	₹ 1,39.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.03				
2205-00.796.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	56.25	56.25	0.00	निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण ₹ 18.75 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.75				
2205-00.796.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,33.03	5,33.03	0.00	मेले में प्रदर्शनीय हेतु निधि की आवश्यकता रहने के कारण ₹ 45.00 लाख की पुनः प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 1,11.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.97				
2205-00.796.40- सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	70.00	70.00	0.00	₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2251-00.090.02- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,26.26	1,82.73	1,82.73	0.00	₹ 43.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.53				

**अनुदान संख्या-52 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.796.33 - प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2204-00.796.52- परामर्शी, सुरक्षा तथा अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	1,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.00				
2205-00.101.40- सरकारी/ गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2204-00.101.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2205-00.102.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

**अनुदान संख्या-52 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.796.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2205-00.796.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

**पूंजी :**

- (5) शीर्ष 4202-03.102.19- स्टेडियम/खेल तथा युवा छात्रावास/स्वामी विवेकानंद स्मारक/एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4202-03.796.19- स्टेडियम/खेल तथा युवा छात्रावास/ स्वामी विवेकानंद स्मारक/ एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 92.31 लाख एवं ₹ 1,01.81 लाख की बचत, जो कि ₹ 14,00.00 लाख एवं ₹ 14,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-03.102.09- खेल छात्रावास का निर्माण, रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				

**अनुदान संख्या-52 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-03.796.09- खेल छात्रावास का निर्माण, रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीडा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	2,35.50	2,35.50	0.00	₹ 39.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.50				
4202-04.101.12- सांस्कृतिक भवनों एवं संग्रहालय का निर्माण, सुरक्षा और रखरखाव तथा पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	5,70.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 2,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.00				
4202-04.796.12- सांस्कृतिक भवनों एवं संग्रहालय का निर्माण, सुरक्षा और रख-रखाव तथा पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं रख-रखाव (राज्य-स्कीम)	मूल	6,00.00	2,36.00	2,36.00	0.00	₹ 3,64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,64.00				

**अनुदान संख्या-52 क्रमांत**

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या 53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( मत्स्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2405-मछली पालन, 4405 -मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	82,86,58	82,91,67	53,76,32	(-)29,15,35
अनुपूरक	5,09			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

29,12,84

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	56,80,00	62,28,00	51,49,30	(-)10,78,70
अनुपूरक	5,48,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

10,78,70

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 29,15.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 ( ₹ 2.50 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2.59 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 29,12.84 लाख), अंतिम बचत (₹ 29,15.35 लाख) से ₹ 2.51 लाख काम था।

**अनुदान संख्या-53 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	15,25.00	13,07.36	13,07.36	0.00	₹ 2,17.64 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,17.64				
2405-00.101.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,39.00	2,61.89	2,61.89	0.00	₹ 77.11 लाख की की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.11				
2405-00.101.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	1,45.00	81.26	81.26	0.00	₹ 63.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.74				
2405-00.101.62- नई योजना-नील क्रान्ति योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,55.76	40.50	40.50	0.00	₹ 1,15.26 लाख के प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.26				
2405-00.101.62- नई योजना-नील क्रान्ति योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,93.24	40.50	40.50	0.00	₹4,52.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,52.74				
2405-00.789.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,35.00	2,77.90	2,77.90	0.00	₹57.10 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.10				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.789.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	67.00	49.24	49.24	0.00	₹ 17.76 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.76				
2405-00.789.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	7.01	7.01	0.00	₹ 22.99 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.99				
2405-00.789.62- नई योजना-नील क्रांति योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,64.16	44.34	44.34	0.00	₹ 1,19.82 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.16				
2405-00.796.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	12,90.00	11,31.93	11,31.93	0.00	₹ 1,58.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.07				
2405-00.796.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,34.00	3,36.74	3,36.74	0.00	₹ 97.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.26				
2405-00.796.50- मत्स्य मार्केटिंग स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	74.58	74.58	0.00	₹ 25.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.42				
2405-00.796.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	27.75	27.75	0.00	₹ 47.25 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.25				



**अनुदान संख्या-53 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.796.62- नई योजना-नील क्रान्ति योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,40.40	40.39	40.39	0.00	₹ 1,00.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.01				
2405-00.796.62- नई योजना-नील क्रान्ति योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,44.60	40.39	40.39	0.00	₹ 4,04.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,04.21				

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.48- झासको फिश को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.00				
2405-00.101.63- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम- 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,08.68	0.00	0.00	0.00	₹ 1,08.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.68				
2405-00.101.63- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम- 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	72.45	0.00	0.00	0.00	₹ 72.45 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.45				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.789.48- झासको फिश को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2405-00.796.48- झासको फिश को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2405-00.796.63- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम - 1, 2 एवं एन.एम. पी. एस. (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,02.22	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार के केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,02.22 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.22				
2405-00.796.63- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम - 1, 2 एवं एन.एम. पी. एस. (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	68.15	0.00	0.00	0.00	₹ 68.15 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.15				

पूँजी :

- (5) ₹ 10,78.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 2,68.00 लाख) एवं दिसम्बर 2018 (₹ 2,80.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,48.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) शीर्ष 4405-00.101.69- वेद व्यास आवास योजना (राज्य स्कीम), 4405-00.789.69- वेद व्यास आवास योजना (राज्य स्कीम), 4405-00.796.69- वेद व्यास आवास योजना (राज्य स्कीम) तथा 4405-00.796.71- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 44.00 लाख ₹ 30.80 लाख, ₹ 22.00 लाख तथा ₹ 20.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 16,04.00 लाख, ₹ 5,00.00 लाख, ₹ 11,80.00 लाख तथा ₹ 3,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई।

**अनुदान संख्या-53 क्रमांत**

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 1,2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,71.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	91.20				
	पुनर्वि.	(-)2,71.20				
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 1,2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,80.80 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	60.80				
	पुनर्वि.	(-)1,80.80				
4405-00.789.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 2 (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 36.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
4405-00.789.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 2 (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	24.00	0.00	0.00	0.00	₹ 24.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम.पी. एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,65.60	0.00	0.00	0.00	₹ 2,35.20 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	69.60				
	पुनर्वि.	(-)2,35.20				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम. पी. एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,10.40	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,56.80 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	46.40				
	पुनर्वि.	(-)1,56.80				

**अनुदान संख्या 54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( डेयरी प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2404- डेयरी विकास, 4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,19,20,60	3,19,43,71	1,42,99,49	(-)1,76,44,22
अनुपूरक	23,11			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,59,16,34

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,20,00	9,20,00	0,00	(-)9,20,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

7,60,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,76,44.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2018 को प्राप्त किया गया ₹ 23.11 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 1,59,16.34 लाख), अंतिम बचत ( ₹ 1,76,44.22 लाख) से ₹ 17,27.88 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-54 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.001.02- क्षेत्रीय तथा जिला प्रशासन एवं प्रसार (स्थापना व्यय)	मूल	1,76.91	31.65	29.37	(-)2.28	₹ 1,47.54 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.26				
2404-00.001.05- मुख्यालय स्थापना तथा डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (स्थापना व्यय)	मूल	2,28.52	1,73.58	1,73.04	(-)0.54	₹ 55.48 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.94				
2404-00.102.10- विस्तृत इकाईयाँ (स्थापना व्यय)	मूल	8,28.56	7,31.84	7,19.84	(-) 12.00	₹ 1,08.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.72				
2404-00.102.66- प्रशिक्षण प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	4,53.37	4,50.36	(-)3.01	₹ 2,89.64 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,86.63				
2404-00.102.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन (राज्य स्कीम)	मूल	61,70.00	37,88.00	37,88.00	0.00	₹ 23,82.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,82.00				
2404-00.102.80- लाभकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	42,90.00	35,18.96	30,55.58	(-) 4,63.38	₹ 12,34.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,71.04				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	87.19	86.28	(-)0.91	₹ 93.72 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.81				
2404-00.789.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन (राज्य स्कीम)	मूल	16,20.00	11,20.00	11,20.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2404-00.789.80- लाभुकोन्मुखी (राज्य स्कीम)	मूल	9,30.00	8,07.71	5,74.66	(-) 2,33.05	₹ 3,55.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.29				
2404-00.789.68- दुग्धा संग्रहण, विधायन एवं विपणन (राज्य स्कीम)	मूल	30,10.00	20,69.60	20,69.60	0.00	₹ 9,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,40.40				
2404-00.789.80- लाभुकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	19,30.00	15,28.10	12,65.89	(-) 2,62.21	₹ 6,64.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,01.90				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	48,00.00	1,20.00	0.00	(-)1,20.00	₹ 48,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46,80.00				

**अनुदान संख्या-54 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.00				
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2404-00.102.76- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2404-00.102.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	10.00	0.00	(-) 10.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.102.82- बायो-गैस इकाई की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.789.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,40.00	26.00	0.00	(-) 26.00	₹ 10,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,14.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹ 78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2404-00.102.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				



अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	52.00	0.00	0.00	0.00	₹ 52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	39.00	0.00	0.00	0.00	₹ 39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	26.00	26.00	0.00	(-) 26.00	₹ 26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.00				
2404-00.796.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	21,60.00	54.00	0.00	(-) 54.00	₹ 21,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,06.00				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,62.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,62.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,62.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,08.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	81.00	0.00	0.00	0.00	₹ 81.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.00				
2404-00.796.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	₹ 54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
2404-00.796.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.796.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.796.81- केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या-54 क्रमांत**

**पूँजी :**

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,60.00 लाख) अंतिम बचत (₹ 9,20.00 लाख) से ₹ 1,60.00 लाख कम था।
- (6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4404-00.102.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	1,40.00	0.00	(-) 1,40.00	₹ 5,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.00				
4404-00.789.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
4404-00.796.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹ 2,40.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.00				

**अनुदान संख्या 55- ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,34,97.19	24,54,05,17	23,82,27,59	(-)71,77,58
अनुपूरक	12,19,07,98			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

65,32,02

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	21,70,80,00	21,70,80,00	19,41,16,07	(-)2,29,63,93
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

2,17,07,56

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

राजस्व :

- (1) ₹ 65,32.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 4,25,14.10 लाख), तथा दिसम्बर 2018 (₹ 58,39.88 लाख ) तथा जनवरी 2019 (₹ 7,35,54.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,19,07.98 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनवश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 65,32,02 लाख), अंतिम बचत (₹ 71,77.58 लाख) से ₹ 6,45.56 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-55 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2515-00.001.27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 4,34,97 लाख की कुल बचत, जो ₹ 72,05,25 लाख की प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.702.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	8,90.33	8,90.33	0.00	₹ 3,09.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,09.67				
2505-01.796.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	7,82.85	7,82.85	0.00	₹ 5,17.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,17.15				
2515-00.001.26- अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग, मुखालय स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	2,19.28	2,82.22	2,82.22	0.00	₹ 46.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,09.58				
	पुनर्वि.	(-)46.64				
2515-00.001.28- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्यालय विभाग) गैर पी.एम. जी.एस. वार्ड. सड़क हेतु (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,00.00	53,69.08	53,69.08	0.00	₹ 25,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कटौती तथा ₹ 46,30.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71,30.92				

**अनुदान संख्या-55 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.62- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथों की मरम्मत (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	25,00.10	18,27.79	(-)6,72.31	₹ 25,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा ₹ 6,72.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.10				
	पुनर्वि.	25,00.00				
2515-00.102.08- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ख) ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	5,63.25	4,02.95	4,02.95	0.00	₹ 1,60.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,60.30				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई.यू. का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 30.00				
2515-00.001.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकाश प्राधिकरण का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

**अनुदान संख्या-55 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.003.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अंतर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.796.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई.यू. का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.796.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकाश प्राधिकरण का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2515-00.796.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अंतर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

**पूँजी :**

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,17.07.566 लाख), अंतिम बचत (₹2,29,63.93 लाख) से ₹ 12,56.37 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-55 क्रमशः**

- (6) शीर्ष 4515-00.103.04- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम), 4515-00.796.10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम) शीर्ष 4515-00.796.04- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 17,92.66 लाख, ₹ 23,06.44 लाख, ₹ 3,97.61 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,30,00.00 लाख, ₹ 2,52,00.00 लाख एवं ₹ 7,20,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.103.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	28,33.00	17,90.56	17,90.56	0.00	₹ 10,42.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,42.44				
4515-00.103.36- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	3,49.15	3,49.15	0.00	₹ 50.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.85				
4515-00.789.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50,00.00	85,63.46	76,97.50	(-)8,65.96	₹ 64,36.54 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 8,65.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 64,36.54				
4515-00.789.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु (राज्य स्कीम)	मूल	52,93.00	9,06.03	9,06.03	0.00	₹ 43,86.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 43,86.97				
4515-00.796.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	39,74.00	30,73.99	30,73.99	0.00	₹ 9,00.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 9,00.01				



**अनुदान संख्या-55 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4515-00.796.10- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	2,88,00.00	2,42,67.77	2,42,67.77	0.00	₹ 45,32.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 45,32.23				
4515-00.796.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम - परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	3,24.18	3,24.18	0.00	₹ 75.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 75.82				

न्यूनतम आवश्यक

कार्यक्रम - परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4515-00.103.15- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4515-00.796.15- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

**अनुदान संख्या 56- ग्रामीण विकास विभाग  
(पंचायती राज प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2015 -निर्वाचन, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,59,19,49	17,43,93,13	8,72,87,50	(-)8,71,05,63
अनुपूरक	84,73,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

8,71,08,88

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	2,39,30	(-) 3,60,70
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

3,60,70

(मार्च 2019)

**टीका एवं टिप्पणीयाँ**

**राजस्व:**

- (1) ₹ 8,71,05.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, ₹ 84,73.64 लाख, जूलाई 2018 (₹ 60,00.00 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 12,54.48 लाख) एवं जनवरी 2019 ( ₹ 12,19.16 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 84,73.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,71,08.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,71,05.63 लाख) से ₹ 3.25 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या-56 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.109.01- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना व्यय)	मूल	3,17.99	2,80.69	2,80.69	0.00	₹ 51.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	14.00				
	पुनर्वि.	(-)51.30				
2515-00.109.04- पंचायत चुनाव स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	20.00	20.00	0.00	₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.001.03- जिला पंचायत स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,83,12.43	1,43,04.00	1,43,04.00	0.00	₹ 40,08.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,08.43				
2515-00.001.05- पंचायत मुख्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	3,20.92	3,20.92	0.00	₹ 10,54.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	12,25.00				
	पुनर्वि.	(-)10,54.08				
2515-00.001.06- जिला पंचायत स्थापना-दलपतियों से सम्बंधित व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	85.20	28.08	28.08	0.00	₹ 57.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.12				
2515-00.001.54- पंचायत सचिवालय/ राज्य पंचायत स्वयं शासित परिषद (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	2,23.99	2,23.99	0.00	₹ 5,76.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,76.01				

**अनुदान संख्या-56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.55- पंचायत राज स्वशासन परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	7,86.00	5,30.18	5,30.18	0.00	₹ 2,55.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.82				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,40.00	2,77.08	2,77.08	0.00	₹ 5,62.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,62.92				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,60.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 3,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.00				
2515-00.001.59- कार्यालयों/संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,24.00	1,53.48	1,53.48	0.00	₹ 70.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.52				
2515-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (स्थापना व्यय)	मूल	3,48.37	3,10.28	3,10.28	0.00	₹ 71.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	33.46				
	पुनर्वि.	(-)71.55				
2515-00.101.04- पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	11,69.69	11,69.69	0.00	₹ 8,30.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,30.31				

**अनुदान संख्या-56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.198.44- 14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में सामान्य आधारभूत अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,08.24.00	6,04,12.00	6,04,12.00	0.00	₹ 6,04,12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,04,12.00				
2515-00.198.45- 14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में सामान्य प्रदर्शन अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,52,38.00	11,85.70	11,85.70	0.00	₹1,52,38.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	11,85.70				
	पुनर्वि.	(-)1,52,38.00				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,80.00	54.24	54.24	0.00	₹4,25.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.76				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,20.00	71.00	71.00	0.00	₹2,49.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,49.00				
2515-00.789.59- कार्यालयों/ संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,27.00	93.05	93.05	0.00	₹33.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.95				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	1,17.68	1,17.68	0.00	₹ 9,62.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,62.32				

**अनुदान संख्या-56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,20.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹4,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,20.00				
2515-00.796.58- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	9.96	9.96	0.00	₹80.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.04				
2515-00.796.59- कार्यालयों/संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,87.00	2,40.50	2,40.50	0.00	₹46.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.50				
3451-00.090.17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) (स्थापना व्यय)	मूल	2,35.39	89.02	89.02	0.00	₹1,46.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.37				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				

**अनुदान संख्या-56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.52- जिला परिषदों में पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाईट (एल.ई. डी.) का अधिष्ठापन तथा अन्य आय स्रोत में वृद्धि (राज्य स्कीम)	मूल	1,75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.00				
2515-00.101.06- पंचायत भवनों का खरखाव (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2515-00.789.52- जिला परिषदों में पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाईट (एल.ई. डी.) का अधिष्ठापन तथा अन्य आय स्रोत में वृद्धि (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2515-00.796.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				

**अनुदान संख्या-56 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.52- जिला परिषदों में पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाईट (एल.ई. डी.) का अधिष्ठापन तथा अन्य आय स्रोत में वृद्धि (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.00				

**पूँजी :**

(5) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6515-00.197.01- जिला तथा स्थानीय निधि समितियों को उधार (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	2,39.30	2,39.30	0.00	₹ 3,60.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,60.70				



**अनुदान संख्या 57- नगर विकास एवं आवास विभाग  
(आवास प्रभाग)**

(मुख्य शीष-2216- आवास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 6216-आवास के लिए उधार)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,25,48	13,25,48	12,19,07	(-)1,06,41
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

1,06,41

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,00,00	20,00,00	0,00	(-)20,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

20,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2216-02.796.08- पी.एम.यू. एवं परामर्शी शुल्क हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,35.61	1,35.61	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)64.39			
₹ 64.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।					

**अनुदान संख्या-57 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.04- आवास विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	1,10.48	83.46	83.46	0.00	₹ 27.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.02				

**पूँजी :**

(2) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6216-02.201.05- अधिग्रहित भूमि के विकास एवं एच.आई.जी/एम.आई. जी/एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के निर्माण हेतु कर्ज (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 5,00.00				
6216-02.796.05- अधिग्रहित भूमि के विकास एवं एच.आई.जी/एम.आई. जी/एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के निर्माण हेतु कर्ज (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
6216-02.796.08- सहजानंद चौक, हरमू, रांची में व्यावसायिक परिसर का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

**अनुदान संख्या 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
(माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,56,82,93	16,81,44,41	9,65,16,87	(-)7,16,27,54
अनुपूरक	24,61,48			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

4,95,35,11

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	56,07,23	56,07,23	0,00	(-)56,07,23
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

25,00,00

**टीका एवं टिप्पणीयाँ**

राजस्व :

- (1) ₹ 7,16,27.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 1,49.58 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 2,50.29 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 20,61.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,61.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,95,35.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,16,27.54 लाख) से ₹ 2,20,92.43 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-58 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2202-02.109.66- उत्कर्मित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 1,33.89 लाख की कुल बचत, जो ₹ 65,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.001.01- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,29.89	1,80.82	1,79.61	(-) 1.21	₹ 51.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1.21				
	पुनर्वि.	(-)50.28				
2202-02.101.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,20.60	2,46.98	2,46.88	(-)0.10	₹ 73.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.62				
2202-02.101.02- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	19,09.48	16,39.83	16,39.83	0.00	₹ 2,70.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.53				
	पुनर्वि.	(-)2,70.18				
2202-02.109.01- माध्यमिक विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,07,72.88	3,11,28.32	3,11,07.16	(-)21.16	₹ 97,26.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	60.70				
	पुनर्वि.	(-)97,05.26				
2202-02.109.03- इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	8,49.30	7,45.31	7,45.31	0.00	₹ 1,03.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03.99				
2202-02.109.05- नेतरहाट आवासीय विद्यालय (आवासीय महाविद्यालय सहित) वीडमनी (स्थापना व्यय)	मूल	95.81	32.41	32.41	0.00	₹ 63.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.40				

**अनुदान संख्या-58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	7,29.00	1,99.99	(-)5,29.01	₹ 5,29.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,29.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	92,10.04	36,51.71	8,61.99	(-)27,89.72	₹ 83.48.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55,58.33				
2202-02.109.62- छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कोपी का निःशुल्क वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	22,50.00	22,50.00	19,91.25	(-)2,58.75	₹ 2,58.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	42,50.00	42,50.00	26,41.91	(-)16,08.09	₹ 16,08.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.71- झा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	16,88.61	16,88.61	0.00	₹ 13,11.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,11.39				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.72- निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति (आर.आई. एम.सी., देहरादून में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	36.82	(-) 38.18	₹ 38.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमीनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित (राज्य स्कीम)	मूल	12,50.00	3,50.00	77.50	(-)2,72.50	₹ 11,72.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2202-02.109.75- आकांक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,44.00	1,44.00	7.14	(-)1,36.86	₹ 1,36.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	17.00	10.69	(-)6.31	₹ 1,59.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.00				
2202-02.789.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	68.00	2,47.86	42.39	(-) 2,05.47	₹ 2,05.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	1,79.86				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए. बालिका छात्रावास तथा आई.सी.टी. सहित) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	31,30.00	9,33.54	1,35.42	(-)7,98.12	₹ 29,94.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,96.46				
2202-02.789.62- छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कोपी का निःशुल्क वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,65.00	7,65.00	3,39.90	(-)4,25.10	₹ 4.25.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.66- उत्क्रमित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	22,10.00	22,10.00	19,07.61	(-)3,02.39	₹ 3,02.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,45.00	14,45.00	31.19	(-)14,13.81	₹ 14,13.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.00				
2202-02.789.71- झा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु) अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,20.00	5,65.42	5,65.42	0.00	₹ 4,54.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,54.58				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,30.00	33.00	33.00	0.00	₹2,97.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,97.00				
2202-02.796.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,32.00	4,81.14	1,31.99	(-)3,49.15	₹3,49.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,49.14				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60,77.50	16,65.20	2,37.26	(-)14,27.94	₹58,40.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 44,12.30				
2202-02.796.62- छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	14,85.00	14,85.00	11,41.81	(-)3,43.19	₹3,43.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	28,05.00	25,05.00	18,55.48	(-)9,49.52	₹9,49.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				



**अनुदान संख्या-58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.71- ज्ञा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु) अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	19,80.00	10,97.58	10,97.58	0.00	₹8,82.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,82.42				
2202-02.796.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमीनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	8,25.00	2,25.00	1,17.00	(-) 1,08.00	₹7,08.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2202-02.796.75- आकांक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	95.00	95.00	32.35	(-) 62.65	₹62.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.800.04- सैनिक विद्यालय, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	50.00	50.00	0.00	₹3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,50.00				
2202-03.103.01- इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 व्यावसायिक शिक्षा सहित) (स्थापन व्यय)	मूल	1,58,03.11	1,44,03.11	1,44,03.11	0.00	₹24,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 24,00.00				
2202-03.103.04- शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापन व्यय)	मूल	4,11.81	1,97.40	1,97.40	0.00	₹2,14.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.20				
	पुनर्वि.	(-) 2,14.61				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-05.103.04- राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापन व्यय)	मूल	2,13.60	1,43.42	1,43.42	0.00	₹70.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 70.18				
2202-05.200.04- गैर-सरकारी मदरसा (स्थापना व्यय)	मूल	51,20.53	15,33.43	15,33.43	0.00	₹35,87.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 35,87.10				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.02- राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (कें.से.स्कीम)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				
2202-02.109.18- झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	50.00	0.00	(-) 50.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				
2202-02.109.28- स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (राज्य योजना)	मूल	4,50.00	4,50.00	0.00	(-)4,50.00	₹ 4,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए. बालिका छात्रावास तथा आई.सी.टी. सहित) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	61,39.03	20,50.56	0.00	(-)20,50.56	₹61,39.03 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,88.47				
2202-02.109.59- जे.सी.ई.आर.टी. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	32,00.00	17,00.00	0.00	(-) 17,00.00	₹32,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2202-02.109.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.04- सैनिक विद्यालय, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	1,36.00	0.00	0.00	0.00	₹1,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम. एस.ए. बालिका छात्रावास तथा आई.सी.टी. सहित) (के.प्रा.स्कीम-रज्यांश)	मूल	20,87.00	5,32.08	0.00	(-) 5,32.08	₹20,87.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,54.92				
2202-02.789.44- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना योजना के अन्तर्गत प्रवेशिका स्तर तक की छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-) 1,50.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	10,88.00	5,78.00	0.00	(-)5,78.00	₹10,88.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,10.00				
2202-02.789.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमीनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य योजना)	मूल	4,25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	₹4,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,40.00	3,40.00	0.00	(-) 3,40.00	₹3,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.75- आकांक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	49.00	0.00	(-)49.00	₹49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.02- राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	केंद्र सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹37.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				
2202-02.796.04- सैनिक स्कूल तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	2,64.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,64.00				
2202-02.796.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40,52.00	10,17.36	0.00	(-)10,17.36	₹40,52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,34.64				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.44- झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना योजना के अन्तर्गत प्रवेशिका स्तर तक की छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.59- जे.सी.ई.आर.टी. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	33.00	33.00	0.00	(-)33.00	₹33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	21,12.00	11,22.00	0.00	(-)11,22.00	₹21,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,90.00				
2202-02.796.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,60.00	6,60.00	0.00	(-)6,60.00	₹6,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.103.05- गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,23.00	0.00	0.00	0.00	₹4,23.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,23.00				

**अनुदान संख्या-58 क्रमांत**

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में, अभ्यार्पण द्वारा कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.110.03- माध्यमिक, बहुदेशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,31,87.41	1,08,23.05	1,12,02.70	+3,79.65	₹23,67.98 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹3,79.65 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3.62				
	पुनर्वि.	(-)23,67.98				

**पूंजी :**

(6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹25,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹56,07.23 लाख) से ₹31,07.23 लाख कम था।

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.202.78- नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर स्थापित किये गए तीन आवासीय विद्यालय एवं इन्दिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	16,07.23	1,07.23	0.00	(-)1,07.23	₹16,07.23 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	15,00.00				
4202-02.796.78- नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर स्थापित किये गए तीन आवासीय विद्यालय एवं इन्दिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00	₹40,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 10,00.00				

**अनुदान संख्या 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	70,99,47,89	71,92,62,09	54,20,88,62	(-)17,71,73,47
अनुपूरक	93,14,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

17,71,74,37

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- ₹ 17,71,73.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जुलाई 2018 (₹ 45,00.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 48,14.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 93,14,20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- शीर्ष 2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) के अन्तर्गत ₹ 12,62.05 लाख की बचत जो कि ₹ 1,37,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.001.01- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,77.58	1,98.42	1,99.32	+ 0.90
	अनुपूरक	2.20			
	पुनर्वि.	(-)81.36			
₹ 81.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।					



**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.01- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	36,91,26.43	32,23,19.81	32,23,29.29	+9.48	₹ 4,67,97.14 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,68,06.62				
2202-01.101.14- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हेतु मेधा छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (स्थापना व्यय)	मूल	64.00	10.34	10.34	0.00	₹ 53.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.66				
2202-01.101.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	29,00.04	27,48.05	27,38.57	(-)9.48	₹ 4,61.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,51.99				
2202-01.101.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	11,52.00	8,86.26	8,86.26	0.00	₹ 2,65.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.74				
2202-01.101.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट (राज्य स्कीम)	मूल	90,00.00	45,00.00	45,00.00	0.00	₹ 45,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45,00.00				
2202-01.101.59- ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	29,60.41	29,60.41	0.00	₹ 10,39.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,39.59				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-01.102.02- गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	1,90,32.93	1,34,43.66	1,34,43.67	0.00	₹ 55,89.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55,89.27				
2202-01.104.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	90,73.02	56,14.35	56,14.35	0.00	₹ 34,62.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)34,62.67				
2202-01.107.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	19,13.73	17,17.67	17,17.67	0.00	₹ 1,96.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.06				
2202-01.107.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,72.00	1,79.34	1,79.34	0.00	₹ 10,92.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,92.66				
2202-01.107.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,78.00	6,49.40	6,49.40	0.00	₹ 7,28.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 7,28.60				
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,77,00.00	3,90,50.29	3,90,50.29	0.00	₹ 86,49.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86,49.71				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,18,00.00	2,60,33.53	2,60,33.53	0.00	₹ 57,66.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57,66.47				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,36,49.66	1,83,77.61	1,83,77.61	0.00	₹ 52,72.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52,72.05				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,32,97.21	1,20,49.45	1,20,49.45	0.00	₹ 1,12,47.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12,47.76				
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	53,54.64	47,85.42	47,85.42	0.00	₹ 10,92.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,23.00				
	पुनर्वि.	(-)10,92.22				
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	52,74.84	29,36.84	29,36.84	0.00	₹ 26,23.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,85.00				
	पुनर्वि.	(-) 26,23.00				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	72,00.00	66,25.30	66,25.30	0.00	₹ 13,74.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	8,00.00				
	पुनर्वि.	(-)13,74.70				
2202-01.789.42- डायट (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,88.00	43.47	43.47	0.00	₹ 2,44.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.53				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.42- डायट (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,12.00	1,12.25	1,12.25	0.00	₹ 1,99.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.75				
2202-01.789.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	8,50.04	3,30.18	3,30.18	0.00	₹ 5,19.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,19.86				
2202-01.789.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,89.60	3,44.80	3,44.80	0.00	₹ 1,44.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.80				
2202-01.789.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	38,25.00	20,00.00	20,00.00	0.00	₹ 18,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,25.00				
2202-01.789.59- ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक विद्यालय) (राज्य स्कीम)	मूल	8,50.00	14,17.47	14,17.47	0.00	₹ 4,32.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,32.53				
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,56,17.70	92,28.27	92,28.27	0.00	₹ 63,89.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63,89.43				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,53,84.95	69,37.80	69,37.80	0.00	₹ 84,47.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84,47.15				
2202-01.796.14- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हेतु मेधा छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	68.80	13.53	13.53	0.00	₹ 55.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.27				
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,10,00.00	1,26,67.84	1,26,67.84	0.00	₹ 83,32.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83,32.16				
2202-01.796.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,40.00	1,06.86	1,06.86	0.00	₹ 7,33.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,33.14				
2202-01.796.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,10.00	4,21.12	4,21.12	0.00	₹ 4,88.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,88.88				
2202-01.796.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	12,50.00	7,44.61	7,44.61	0.00	₹ 5,05.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,05.39				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-01.796.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,38.00	9,19.00	9,19.00	0.00	₹ 3,19.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,19.00				
2202-01.796.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	96,75.00	60,00.00	60,00.00	0.00	₹ 36,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,75.00				
2202-01.796.59- ज्ञानोदाय योजना (प्राथमिक विद्यालय) (राज्य स्कीम)	मूल	21,50.00	26,72.50	26,72.50	0.00	₹ 9,77.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 9,77.50				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-01.101.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (राज्य स्कीम)	मूल	9,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,60.00				
2202-01.101.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,80.00	0.00	0.00	0.00	₹8,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,80.00				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.52- झारखण्ड बालिका आवासीय योजना हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	32,00.00	0.00	0.00	0.00	₹32,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,00.00				
2202-01.101.57- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	48,00.00	0.00	0.00	0.00	₹48,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48,00.00				
2202-01.102.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-01.789.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक (राज्य स्कीम)	मूल	4,08.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,08.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,08.00				
2202-01.789.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,70.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				

**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.02	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.02 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.02				
2202-01.789.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,01.60	0.00	0.00	0.00	₹ 2,01.60 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,01.60				
2202-01.789.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,74.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,74.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,74.00				
2202-01.101.52- झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 13,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,60.00				
2202-01.789.57- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,40.00				



**अनुदान संख्या-59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक (राज्य स्कीम)	मूल	10,32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,32.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,32.00				
2202-01.796.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,30.00				
2202-01.796.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,75.07	0.00	0.00	0.00	₹ 8,75.07 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,75.07				
2202-01.796.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,88.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,88.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,88.00				
2202-01.796.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,46.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,46.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,46.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.52- झारखण्ड बालिका आवासीय योजना हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	34,40.31	0.00	0.00	0.00	₹ 34,40.31 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,40.31				
2202-01.796.57- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	51,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 51,60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.60.00				
2202-01.800.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,25.11	0.00	0.00	0.00	₹ 13,25.11 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13.25.11				
2202-01.800.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,90.40	0.00	0.00	0.00	₹ 8,90.40 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8.90.40				

**अनुदान संख्या 60- महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**

(मुख्य शीर्ष- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,92,21,63	35,60,16,10	25,82,92,00	(-)9,77,24,10
अनुपूरक	1,67,94,47			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

9,03,21,87

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,60.00	39,56.51	0,00	(-)39,56,51
अनुपूरक	12,96.51			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2019)

26,60,00

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

- (1) ₹ 9,77,24.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 67,44.47 लाख), दिसम्बर 2018 (₹ 18,31.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 82,19.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,67,94.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,03,21.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,77,24.10 लाख) से ₹ 74,02.23 लाख कम था।

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2235-03.101.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.101.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2235-03.101.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम), 2235-03.796.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2235-03.796.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अंतर्गत ₹6,68.28 लाख, ₹ 13,85.82 लाख, ₹ 8,80.63 लाख, ₹ 6,52.12 लाख एवं ₹11,87.39 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹99,21.00 लाख, ₹ 1,98,45.00 लाख, ₹ 94,18.00 लाख, ₹ 98,85.00 लाख, ₹ 1,97,68.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.001.18- स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	71,98.00	56,58.43	56,58.43	0.00	₹ 15,39.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,39.57				
2235-02.101.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,75.00	1,23.81	1,23.81	0.00	₹ 3,51.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,51.19				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,07,85.00	86,31.43	86,31.43	0.00	₹ 33,25.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	11,71.80				
	पुनर्वि.	(-)33,25.37				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	98,57.82	72,60.39	72,60.39	0.00	₹ 31,71.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,73.68				
	पुनर्वि.	(-)31,71.11				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,07.00	1,50.40	1,50.40	0.00	₹ 3,56.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,56.60				
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	69.00	4.20	4.20	0.00	₹ 64.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.80				
2235-02.102.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (राज्य स्कीम)	मूल	67,50.00	37,23.73	36,76.36	(-)47.37	₹ 31,23.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)30,76.27				
2235-02.102.AR- समेकित बाल विकास योजना योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,42.18	7,76.28	7,76.28	0.00	₹ 4,65.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,65.90				
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	22,21.89	1,10.99	(-)21,10.90	₹ 21,10.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	22,21.89				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	5,55.50	18.99	(-)5,36.73	₹ 5,36.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,55.50				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.28- आंगनबाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	40.30.62	40.30.62	0.00	₹ 4,69.38 लाख की प्रत्याशित के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,69.38				
2235-02.103.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	14,63.70	14,63.70	0.00	₹ 5,36.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,36.30				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,35.00	6,01.05	6,01.05	0.00	₹ 2,33.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.95				
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,29.00	1,38.38	1,38.38	0.00	₹ 2,90.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,90.62				
2235-02.103.AL- महिला शक्ति केंद्र योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,50.00	8,16.72	8,16.72	0.00	₹ 2,33.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.28				
2235-02.103.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,35.00	19.94	19.94	0.00	₹ 1,15.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.06				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	90.00	14.22	14.22	0.00	₹ 75.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.78				
2235-02.103.AO कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,15.00	35.57	35.57	0.00	₹ 1,79.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,79.43				
2235-02.103.AQ- क्षमता निर्माण, अनुश्रवण, प्रदर्शनी-सेमिनार इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	3,02.00	32.33	32.33	0.00	₹ 2,69.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,69.67				
2235-02.103.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	20,50.00	13,09.99	(-)7,40.01	₹ 7,40.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	20,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.106.39- प्रतिप्रेक्षण गृह (स्थापना व्यय)	मूल	96.57	48.54	48.54	0.00	₹ 48.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.03				
2235-02.106.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	5,28.00	9.83	9.83	0.00	₹ 5,18.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,18.17				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	14,90.00	9,28.51	9,28.51	0.00	₹ 5,61.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,61.49				
2235-02.789.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,62.70	3,62.70	0.00	₹ 2,37.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,37.30				
2235-02.789.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,04.00	45.62	45.62	0.00	₹ 58.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.38				
2235-02.789.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	5,50.00	1,67.21	(-)3,82.77	₹ 3,82.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	5,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	51,12.00	42,63.04	42,63.04	0.00	₹ 8,48.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 8,48.96				
2235-02.796.28- आंगनवाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (राज्य स्कीम)	मूल	48,00.00	41,79.10	41,79.10	0.00	₹ 6,20.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,20.90				



**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.32- आयुक्त निःशक्ता के लिए कार्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	58.67	58.67	0.00	₹ 31.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.33				
2235-02.796.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	19,42.35	19,42.35	0.00	₹ 4,57.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,57.65				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	मूल	1,16,83.00	85,69.42	85,69.42	0.00	₹ 39,88.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	8,75.00				
	पुनर्वि.	(-)39,88.58				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,02,45.38	84,87.78	84,87.78	0.00	₹ 30,55.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	12,98.10				
	पुनर्वि.	(-)30,55.70				
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,45.00	9,16.49	9,16.49	0.00	₹ 3,28.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,28.51				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना ( आई.सी.पी.एस. ) ( 75:25 ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	9,05.00	6,84.15	6,84.15	0.00	₹ 2,20.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.85				
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	5,49.00	3,91.76	3,91.76	0.00	₹ 1,57.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.24				
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	75.00	4.54	4.54	0.00	₹ 70.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.46				
2235-02.796.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	67,50.00	36,32.93	35,88.99	(-)43.94	₹ 32,11.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)31,67.07				
2235-02.796.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	5,43.00	2,02.65	2,02.65	0.00	₹ 3,40.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,40.35				
2235.-02.796.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों / गृहों इत्यादि का संचालन ( राज्य स्कीम )	मूल	5,72.00	60.10	60.10	0.00	₹ 5,11.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2019 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,11.90				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,64.00	1,33.44	1,33.44	0.00	₹ 3,30.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,30.56				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,65.00	11,30.71	11,30.71	0.00	₹ 2,34.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,34.29				
2235-02.796.AN- किशोरी बालिकाओ लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,74.00	31.00	31.00	0.00	₹ 1,43.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,43.00				
2235-02.796.AN- किशोरी बालिकाओ लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,17.00	26.00	26.00	0.00	₹ 91.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.00				
2235-02.796.AO- कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,35.00	54.67	54.67	0.00	₹ 1,80.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.33				
2235.-02.796.AP- विभिन्न आयोग, बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	24.14	48.27	+24.13	₹ 3,45.86 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 24.13 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,45.86				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AQ- क्षमता निर्माण, अनुश्रवण, प्रदर्शनी-सेमिनार इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	3,28.00	57.07	57.07	0.00	₹ 2,70.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.93				
2235-02.796.AR- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	17,78.62	13,52.86	13,52.86	0.00	₹ 4,25.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.76				
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	24,47.00	2,03.21	(-)22,43.79	₹ 22,43.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	24,47.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	6,11.74	48.52	(-)5,63.22	₹ 5,63.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	6,11.74				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	24,00.00	16,42.37	(-)7,57.63	₹ 7,57.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	24,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-03.101.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,28.00	14,26.64	14,26.64	0.00	₹ 1,40.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	2,39.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.36				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.101.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40,60.00	37,58.17	37,08.34	(-)49.83	₹ 3,51.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,01.83				
2235-03.101.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40,60.00	37,33.26	37,83.09	+49.83	₹ 3,26.74 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 49.83 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.74				
2235-03.101.16- आदिम जनजाति पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,08.00	6,78.35	6,78.35	0.00	₹ 3,29.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.65				
2235-03.102.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	8,00.00	2,69.70	2,69.70	0.00	₹ 5,30.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,30.30				
2235-03.789.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30,68.00	27,40.10	27,40.10	0.00	₹ 3,27.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,27.90				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.789.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	61,35.00	54,98.65	54,98.65	0.00	₹ 6,36.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,36.35				
2235-03.789.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,55.00	27,74.28	27,74.28	0.00	₹ 2,80.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.72				
2235-03.789.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,83.00	13,18.41	13,18.41	0.00	₹ 1,64.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.59				
2235-03.789.14- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	14,83.00	13,19.88	13,19.88	0.00	₹ 1,63.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,63.12				
2235-03.789.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	3,00.00	1,33.00	1,33.00	0.00	₹ 1,67.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,67.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.789.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,44.00	14,88.49	14,88.49	0.00	₹ 4,55.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,55.51				
2235-03.796.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,67.00	11,19.34	11,19.34	0.00	₹ 1,47.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.66				
2235-03.796.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	93,45.00	90,71.43	90,71.43	0.00	₹ 2,73.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,73.57				
2235-03.796.14- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45,42.00	41,70.38	40,95.41	(-)74.97	₹ 3,71.62 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 74.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,71.62				
2235-03.796.14- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	45,42.00	41,31.72	42,06.68	+ 74.96	₹ 4,10.28 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 74.96 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.28				
2235-03.796.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,53.00	2,72.88	2,72.88	0.00	₹ 80.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.12				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.796.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम)	मूल	9,00.00	5,73.30	5,73.30	0.00	₹ 3,26.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.70				
2235-03.796.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	59,76.00	52,41.76	52,41.76	0.00	₹ 7,34.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,34.24				
2235-60.102.10- वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	10,55.11	7,65.47	7,65.47	0.00	₹ 2,89.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,89.64				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,69,78.00	1,25,86.88	1,25,86.88	0.00	₹ 43,91.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43,91.12				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,69,78.00	1,31,16.56	1,31,16.56	0.00	₹ 38,61.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,61.44				



**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.101.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,85.00	0.03	0.03	0.00	₹ 6,84.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,84.97				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45,56.00	28,18.02	28,18.02	0.00	₹ 17,37.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,37.98				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	45,56.00	29,28.77	29,28.77	0.00	₹ 16,27.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,27.23				
2236-02.789.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,85.00	0.40	0.40	0.00	₹ 1,84.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.60				
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,98,76.00	1,14,94.13	1,14,94.13	0.00	₹ 83,81.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83,81.87				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,98,76.00	1,18,02.16	1,18,02.16	0.00	₹ 80,73.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,73.84				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,60.00	0.00	0.00	0.00	₹1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,60.00				
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,07.00	0.00	0.00	0.00	₹1,07.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.00				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,53.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,53.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,69.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,69.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,69.00				
2235-02.102.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,11.00	0.00	0.00	0.00	₹1,11.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.00				
2235-02.102.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	74.00	0.00	0.00	0.00	₹74.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.00				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,39.00	0.00	0.00	0.00	₹2,39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.00				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,59.00	0.00	0.00	0.00	₹1,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.00				
2235-02.102.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	9,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,60.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.00				
2235-02.102.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	77.00	0.00	0.00	0.00	₹ 77.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.00				
2235-02.103.64- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.00	0.00	0.00	0.00	₹ 46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
2235-02.103.64- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2235-02.103.75- आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,95.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2235-02.103.A0- तेजस्विनी योजना (किशोरी बालिकाओं, युवा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	0.00	0.00	0.00	₹14,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.00				
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू.) के अंतर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (भी. सी.एफ.एस.) का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.00	0.00	0.00	0.00	₹46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू.) के अंतर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (भी. सी.एफ.एस.) का कार्यान्वयन (के. प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	31.00	0.00	0.00	0.00	₹ 31.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,66.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,66.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,66.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,12.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,12.00				
2235-02.106.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों / गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	4,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
2235-02.796.47- दवा किट्स (के.प्रा. स्कीम- केन्द्रांश)	मूल	1,74.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,74.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.47- दवा किट्स (के.प्रा.स्कीम- राज्यांश)	मूल	1,16.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.00				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2235-02.796.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.से.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2235-02.796.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.से.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,59.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,59.00				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,73.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,73.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.00				
2235-02.796.65- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2235-02.796.65- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	₹ 34.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.00				
2235-02.796.75- आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,12.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.00				



**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,41.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,41.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.00				
2235-02.796.93- राज्य पोषण मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2235-02.796.A0- तेजस्विनी योजना (किशोरी बालिकाओं, युवा महिलाओ के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 16,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
2235-02.796.A2- वन स्टॉप सेन्टर (के.से. स्कीम)	मूल	1,04.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.00				
2235-02.796.A3- महिला हेल्प लाईन योजना (के.से. स्कीम)	मूल	69.00	0.00	0.00	0.00	₹ 69.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीणोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	5,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,20.00				
2235-02.796.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,40.00				
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.00	0.00	0.00	0.00	₹ 46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,05.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,05.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,36.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.00				
2235-02.796.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	83.00	0.00	0.00	0.00	₹ 83.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.00				
2236-02.101.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,85.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,85.00				
2236-02.789.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,85.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.00				
2236-02.796.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.796.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 39,56.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 12.96.51 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,60.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 39,56.51 लाख) से ₹ 12,96.51 लाख कम था।
- (7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.103.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,58.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,58.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.00				
4235-02.103.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,06.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,06.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.00				
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				

**अनुदान संख्या-60 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
4235-02.796.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,38.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,38.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.00				
4235-02.796.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,58.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,58.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.00				
4235-02.796.78- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	12,96.51	0.00	(-)12,96.51	₹ 12,96.51 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	12,96.51				
	पुनर्वि.	0.00				

## परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक (+)/कमी(-)
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
03. भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत		
	30,00	00	(-) 30,00
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	पूंजी दत्तमत		
	55,00,00	00	(-)55,00,00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत		
	4,21,00,00	41,95,00	(-)3,79,05,00
41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत		
	1,20,00,00	00	(-)1,20,00,00
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	पूंजी दत्तमत		
	1,50,00	00	(-)1,50,00
	जोड़: राजस्व दत्तमत		
	5,41,30,00	41,95,00	(-) 4,99,35,00
	पूंजी दत्तमत		
	56,50,00	00	(-) 56,50,00
	कुल जोड़: राजस्व पूंजी		
	5,41,30,00	41,95,00	(-)4,99,35,00
	56,50,00	00	(-)56,50,00

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2019  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agjh.cag.gov.in](http://www.agjh.cag.gov.in)